सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2023-2024

विषय - सूची

अध्याय संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	सिंहावलोकन	1-9
2	कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा	10-31
3	निर्यात संवर्धन	31-35
4	कच्ची सामग्री सहायता	36-73
5	प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता	74-77
6	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना	78-89
7	अवसंरचना हेतु सहायता	90-95
8	तकनीकी वस्त्र	96-99
9	क्षेत्रगत योजनाएं	100-118
10	वस्त्र क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलें	119-120
11	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	121-123
12	एससी/एसटी, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपाय	124-126
13	सतर्कता क्रियाकलाप	127-128

अध्याय-I

सिंहावलोकन

1.1 भारत वस्त्र और अपैरल के निर्यातकों में विश्व में छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्पों सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) का हिस्सा 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से 8.21% है। वस्त्र और अपैरल में वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 3.91% है। भारत के लिए वस्त्र और अपैरल निर्यात के प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका और ईयू है और कुल वस्त्र और अपैरल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 47% है। इस क्षेत्र का रोजगार की दृष्टि से भी महत्व है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से 100 मिलियन से अधिक लोगों, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और ग्रामवासी शामिल हैं, के लिए आजीविका का स्रोत है। इस क्षेत्र का मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार की सरकार की मुख्य पहलों के साथ संपूर्ण तालमेल है।

भारत के विकास को समावेशी और सहयोगी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार का मुख्य ध्यान सर्वोत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर का विनिर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, वस्त्र क्षेत्र में कौशल ओर पारंपरिक शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण को बढ़ाने पर रहा है। कुछ एक प्रमुख पहलें और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

1.2 निर्यात

भारत विश्व में वस्त्र एवं अपैरल का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी 2023-24 में 8.21% तक पहुंच गई है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.91% है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र और अपैरल निर्यात गंतव्य यूएसए और ईयू हैं, जिनकी कुल वस्त्र और अपैरल निर्यात में लगभग 47% हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र का रोजगार की दृष्टि से भी महत्व है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से 100 मिलियन से अधिक लोगों, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और ग्रामवासी शामिल हैं, के लिए आजीविका का स्रोत है।

1.3 कच्ची सामग्री सहायता

क. कपास

i. कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और कुल वैश्विक फाइबर उत्पादन का लगभग 23% हिस्सा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्चे माल की खपत टोकरी में कपास का अनुपात लगभग 60% है। कपास की खपत प्रति वर्ष लगभग 323 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) है। भारत कपास की खेती के तहत 126.80 लाख हेक्टेयर के साथ कपास के रकबे में दुनिया में पहले स्थान पर है, जो कि 313.30 लाख हेक्टेयर के विश्व क्षेत्र का लगभग 40% है। भारत का लगभग 62% कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों और 38% सिंचित भूमि पर उत्पादित होता है। कपास मौसम 2023-24 के दौरान, भारत की उत्पादकता लगभग 436 किलोग्राम/हेक्टेयर थी। भारत दुनिया में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों में से एक बनकर उभरा है।

ii. जीवन की मूलभूत आवश्यकता अर्थात क्लोदिंग जो भोजन के बाद दूसरा है, का प्रदाता होने के अलावा, कपास, कच्ची कपास, मध्यवर्ती उत्पादों जैसे यार्न और फेब्रिक तथा अपैरल, मेड-अप्स और निटवियर के रूप में अंतिम तैयार उत्पादों का निर्यात करके भारत की कुल विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण, इसे "सफेद सोना" भी कहा जाता है।

iii. कपास, लगभग 6 मिलियन कपास किसानों तथा कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसे संबंधित क्रियाकलापों में लगे 40-50 मिलियन लोगों की आजीविका को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कपास उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने कपास के दो आधारभूत स्टेपल समूहों यथा मध्यम स्टेपल और लंबी स्टेपल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया है। वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) प्रचलित बीज कपास (कपास) के मूल्यों के एमएसपी स्तर से कम होने पर एमएसपी अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है।

iv. वैश्विक महामारी के कारण, सीसीआई को पिछले दो वर्षों अर्थात 2019-20 के दौरान बड़े पैमाने पर एमएसपी अभियान चलाना पड़ा, एमएसपी अभियान

के तहत 33,500 करोड़ रुपये मूल्य की 124.60 लाख गांठों की खरीद की गई, जिससे 25 लाख कपास किसानों को लाभ हुआ। जबकि 2020-21 के दौरान, एमएसपी के तहत खरीद प्रचालन 99.33 लाख गांठ था, जिसका मूल्य 28,800 करोड़ रुपये था, जिससे 20.50 लाख कपास किसानों को लाभ हुआ। हालांकि, 2021-22 में किसानों को बाजार की शक्तियों से ही एमएसपी से ऊपर बेहतर कीमत मिली और एमएसपी अभियान चलाने के लिए सीसीआई के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी।

v. कपास वर्ष 2023-24 के दौरान, सीसीआई ने एमएसपी अभियान के तहत 11,712 करोड़ रुपये मूल्य की 32.84 लाख गांठें खरीदी हैं, जिससे सभी कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 7.25 लाख कपास किसान लाभान्वित हुए हैं।

ख पटसन

पटसन उद्योग पूर्वी क्षेत्र, में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। यह अनुमान है कि पटसन उद्योग संगठित मिलों और तृतीयक क्षेत्र और संबद्ध गतिविधियों सहित विविध इकाइयों में 4.00 लाख कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सहायता करता है। इसके अलावा पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 111 समग्र पटसन मिलें हैं, जिनमें से पश्चिम बंगाल राज्य में 82 जूट मिलें हैं, आंध्र प्रदेश में 14 मिलें हैं, उत्तर प्रदेश में 3 मिलें हैं, बिहार में 4 मिलें हैं, उड़ीसा में 3 मिलें हैं, असम में 2 मिलें हैं, छत्तीसगढ़ में 2 मिलें हैं और त्रिपुरा में 1 जूट मिल हैं। भारत सरकार के अधीन स्वामित्व वार 6 मिलें हैं और ये एक-एक मिल क्रमशः त्रिपुरा सरकार और उड़ीसा सरकार के स्वामित्व में है, असम में 1 मिल सहकारी क्षेत्र में है और बाकी 102 मिलें निजी स्वामित्व वाली हैं।

भारत सरकार पटसन उत्पादकों को न केवल भारतीय पटसन निगम द्वारा संचालित एमएसपी अभियानों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को लागू करके खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए प्रति वर्ष लगभग 12000 करोड़ रुपए के मूल्य के पटसन बोरों की सीधी खरीद के माध्यम से भी पटसन उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराती है। यह न केवल पटसन किसानों बल्कि पटसन मिल कामगारों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहायता है।

दिनांक 1 नवंबर, 2016 से जूट सैकिंग की खरीद के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म "जूट-स्मार्ट" (जूट बोरी आपूर्ति प्रबंधन और मांग उपकरण) क्रियान्वित किया गया है। वर्तमान में, जूट-स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील हो गया है और लगभग पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि से एसपीए द्वारा 31 मार्च, 2024 तक 67.80 हजार करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के लगभग 225.32 लाख गांठों के मांग-पत्र पहले ही जूट-स्मार्ट के माध्यम से दिए जा चुके हैं और विभिन्न बिचौलियों की मदद से कई पटसन मिलों से राज्य सरकारों के 6 राज्यों में स्थित पटसन मिलों को इन गांठों के लिए पीसीएसओ दिए गए हैं।

जूट-आईसीएआरई को फाइबर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने, जूट उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों को बढ़ावा देने, बेहतर कृषि पद्धतियों और जूट के पौधों के सूक्ष्मजीवी पुनःउपयोग के माध्यम से पटसन किसानों की आय में कम से कम 50% की वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम ने अब तक बहुत बड़ी उम्मीदें जगाई हैं।

पटसन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जो एक वैधानिक निकाय है और पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित किया गया है।

ग. रेशम

रेशम एक कीट रेशा है, जिसमें चमक, कसावट और मजबूती होती है। इन अनूठी विशेषताओं के कारण, रेशम को दुनिया भर में "वस्त्रों की रानी" के रूप में जाना जाता है। भारत प्राचीन सभ्यता की भूमि रहा है और इसने दुनिया को कई चीजें दी हैं, जिनमें से एक रेशम भी है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। फिर भी, भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो रेशम की सभी चार व्यावसायिक किस्मों, अर्थात् मलबरी, उष्णकटिबंधीय और ओक तसर, मुगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग

में उच्च रोजगार क्षमता, कम पूंजी की आवश्यकता और रेशम उत्पादकों को लाभकारी आय प्रदान करने की अनूठी विशिष्टता है।

भारत 38,913 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन के साथ चीन के बाद दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादित रेशम की चार किस्मों में, मलबरी का उत्पादन 76.82 % (29,892 मीट्रिक टन), तसर का 4.08 % (1,586 मीट्रिक टन), एरी का 18.46 % (7,183 मीट्रिक टन) और मुगा का 0.65 % (252 मीट्रिक टन) है। वर्ष 2023-24 के दौरान बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम का उत्पादन 8.66 % बढ़कर 9,675 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान 8,904 मीट्रिक टन था । इसके अलावा, वन्या रेशम, जिसमें तसर, एरी और मुगा रेशम शामिल हैं, 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान 1.04 % बढ़ गया है।

घ. ऊन

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) को युक्तिसंगत बनाने और जारी रखने को मंजूरी दी थी, जिसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की दिनांक 15-06-2021 को हुई बैठक में अनुमोदित किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी योजना का उद्देश्य भारत को निम्नलिखित तकनीकी इंटर्वेशन के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धी और ऊनी उत्पाद के गुणवत्ता निर्माता/आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना और ऊन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को अनुकूलित करना है:- (i) ऊन आपूर्ति श्रृंखला को सुसंगत बनाना और राज्य सरकार की कच्ची ऊन खरीद क्षमता में वृद्धि करके पिछड़े और आगे के लिंकेज को बढ़ाना, (ii) ऊन उद्योग को ऊन उत्पादकों के साथ जोड़ने के लिए सुविधाएं सृजित करना, (iii) एक्सपो के माध्यम से छोटे ऊनी उत्पाद विनिर्माण को विपणन मंच प्रदान करना, (iv) मशीन कतरनी के माध्यम से ऊन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक भेड़ों को शामिल करना, (v) आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना के माध्यम से तैयार ऊनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, (vi) ऊन परीक्षण, गांठ बनाने की सुविधाएं बढ़ाना और ऊनी उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपकरण प्रदान करना, कोर्स वूल का उपयोग तथा अनुसंधान एवं विकास द्वारा तकनीकी टेक्सटाइल में ऊन का प्रयोग; (viii) हस्तनिर्मित पारंपरिक डिजाइन गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण हेतु कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण; (ix) पश्मीना तथा कारपेट ग्रेड ऊन की ब्रांडिंग और (x) हिमालय क्षेत्र में पश्मीना ऊन क्षेत्र का विकास।

ङ. मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ)

मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला कच्ची सामग्री से लेकर तैयार सामग्री तक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज के साथ लंबवत रूप से एकीकृत है। वैश्विक स्तर पर एमएमएफ की खपत प्रमुख है, जबकि भारत पारंपरिक रूप से सूती वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इसलिए, उच्च वैश्विक एमएमएफ हिस्सेदारी की ओर बढ़ने के लिए, सूती वस्त्रों के साथ-साथ मानव निर्मित वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण हो गया है। मंत्रालय ने एमएमएफ पर वस्त्र सलाहकार समूह की स्थापना की है - जो मानव निर्मित रेशों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए 17 जनवरी 2023 के कार्यालय ज्ञापन के तहत एक अनौपचारिक निकाय है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का एमएमएफ वस्त्र और अपैरल का निर्यात 8.19 बिलियन अमरीकी डॉलर था और इसमें और वृद्धि की संभावना है। सरकार ने वीएसएफ के सब-ग्रेडेड आयात की जाँच करने के लिए 29 दिसंबर 2022 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) के आयात पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) भी जारी किया है।

उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की अवधि में 10683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है, ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के दो भाग हैं; भाग-1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का निवेश और 600 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश और 200 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 को निर्माण काल माना गया है। इस योजना के तहत कंपनियों को सीमा निवेश और सीमा कारोबार और उसके बाद वृद्धिशील कारोबार हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

1.4 प्रौद्योगिकी सहायता

प्रौद्योगिकी उन्नयन: संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस): एमएसएमई संचालित इस वस्त्र उद्योग में बेंचमार्क क्रेडिट लिंक्ड प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट फ्लो को प्रोत्साहित करने, पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए, नए निवेशों को प्रोत्साहित करने को बढ़ावा देने के लिए 17822 करोड़ रुपये (पुरानी योजनाओं और एटीयूएफएस को कवर करते हुए) के परिव्यय के साथ जनवरी 2016 में एटीयूएफएस को अधिसूचित किया गया था। दिनांक 31.03.2022 तक, एटीयूएफएस के तहत ऑटोमेटिड रूट के माध्यम से कुल 14389 यूआईडी जारी किए गए हैं, जिनकी अनुमानित परियोजना लागत 69160 करोड़ रुपये है। एटीयूएफएस ऋण सम्बद्ध पूंजीगत निवेश सब्सिडी के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

1.5 कौशल प्रशिक्षण के लिए सहायता

'समर्थ' को आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑन-लाइन निगरानी आदि जैसी विकसित सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल प्रशिक्षण रूपरेखा के तहत तैयार किया गया था।

कार्यान्वयन और निगरानी में आसानी के लिए एक मजबूत प्रणाली को लागू करने के प्रयास के साथ हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के तहत प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों के ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों का मोबाइल ऐप समर्थित भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणन के पश्चात प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने आदि के प्रावधानों को शामिल करते हुए एंड टु एंड सालुशन के साथ एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म का प्रचालन किया गया।

1.6 अवसंरचना का विकास

1.6.1 पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र):

भारत सरकार इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम-मित्र पार्क स्थापित कर रही है। इस योजना से वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए ₹4,445 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यह योजना वस्त्र उद्योग की कुल मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे की सुविधा विकसित करेगी, उदाहरण के लिए, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, कपड़ा निर्माण, प्रसंस्करण और कपड़ा मशीनरी उद्योग। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के फलने-फूलने की अंतर्निहित ताकत है और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हैं। इस योजना में समयबद्ध तरीके से तेजी से कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।

1.6.2 वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस)

भारत में वस्त्र उद्योग अंतर-निर्भर क्लस्टरों के रूप में विकसित हुआ है। इनमें से कुछ कलस्टरों को आधुनिक नहीं बनाया गया है और वे बदलते हुए माहौल के साथ स्वयं को गतिमान रखने योग्य नहीं है और पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी और मशीनरी से काम करना जारी रखे हुए है। इसके परिणामस्वरूप इन कामगारों की अकुशलता और कम उत्पादकता उत्पन्न हुई है। इस प्रकार, एक ठोस नीति द्वारा समग्र कलस्टर विकास मॉडल वस्त्र मूल्य श्रृंखला में स्थायित्व और प्रचालन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रालय उन्हें प्रचालनशील और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भावी और मौजूदा वस्त्र इकाइयों हेतु एकीकृत कार्यस्थल और लिंकेज आधारित पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करने की दृष्टि से रोल ओवर देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 1.4.2021 से वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) को क्रियान्वित कर रहा है। टीसीडीएस का कलस्टर विकास मॉडल अधिक अच्छी पहुंच को विशेष रूप तैयार किए जाने, प्रचालन में बड़ी अर्थव्यवस्था,

विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत कुशल, प्रौद्योगिकी और सूचना की बेहतर पहुंच आदि हेतु बढ़े पैमाने पर लाभ प्रदान करेगा। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 853 करोड़ रुपए है।

रोल ओवर देयताओं के लिए टीसीडीएस के निम्नलिखित घटक हैं:

(क) एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना: वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वित किया जा रहा था; लेकिन, अब इस योजना को वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जिसका कुल परिव्यय केवल वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 853 करोड़ रुपये है।

(ख) व्यापक पावरलूम, निटवियर और रेशम मेगा कलस्टर: भिवंडी (महाराष्ट्र) और इरोड (तमिलनाडु) में पावरलूम मेगा कलस्टर विकसित करने के लिए वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2008-09 में व्यापक पावरलूम कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) का निर्माण किया गया था। इसके बाद, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2014-15 में अपने बजट भाषण में क्रमश: भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) और मैसूर (कर्नाटक) में रेशम मेगा कलस्टर के विकास की घोषणा की थी। वर्ष 2022-23 में करंज (गुजरात) में पावरलूम मेगा कलस्टर को मंजूरी दी गई है।

भूमि की अनुपलब्धता और हितधारकों/राज्य सरकार से खराब प्रतिक्रिया के कारण भिवंडी तथा भीलवाड़ा में पावरलूम मेगा कलस्टर रद्द कर दिए गए थे।

कलस्टर के डिजाइन में निहित दिशानिर्देश/सिद्धांत विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करने के लिए हैं तथा उत्पादन श्रृंखला को इस रूप में एकीकृत करते हैं जोकि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यमियों की व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेगा कलस्टर पहुंच योजना का विस्तृत उद्देश्य बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी के संबंध में कलस्टरों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उत्पादों की उच्चतर इकाई मूल्य प्राप्ति करके बढ़ी हुई उत्पादकता सुनिश्चित करना है। यह योजना आवश्यक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास, कच्ची सामग्री बैंक, मार्किटिंग तथा प्रचार, ऋण, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य संघटकों को प्रदान करती है जोकि विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की सस्टेनेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है।

यह योजना 3 वर्ष की अवधि (दिनांक 1.4.2017 से 31.03.2020 तक) तक क्रियान्वयन के लिए दिसंबर, 2016 में संशोधित की गई थी। संशोधित योजना के तहत, एक मेगा कलस्टर हेतु सरकारी सहायता परियोजना लागत का 60% तक सीमित है जोकि अधिकतम 50 करोड़ रुपए होगी। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 101.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 से, विभिन्न अवसंरचना संबंधी मामलों में बाधाओं को दूर करने के लिए इरोड और इचलकरंजी के दो पावरलूम कलस्टरों को सहायता दी गई है। इरोड मेगा कलस्टर ने इरोड मेगा कलस्टर में और उसके आसपास उनके अपने उत्पादों को पावरलूम बुनकरों को बेचने के लिए मार्किट लिंकेज विकसित किए हैं जबकि इचलकरंजी मेगा कलस्टर ने पावरलूम-पूर्व और पश्च प्रावधान किए हैं। इस योजना के तहत इचलकरंजी मेगा कलस्टर में एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें पावरलूम बुनकरों को कलस्टर से ही अपने तैयार उत्पादों को बेचने के लिए एक नया जीवन मिला है। इन पहलों में कलस्टरों के पावरलूम बुनकरों को उनके उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए उत्साहित करने की क्षमता है। इरोड (तमिलनाडु) में पावरलूम मेगा कलस्टर का कार्य पूरा हो गया है और इचलकंरजी (महाराष्ट्र) में पावरलूम मेगा कलस्टर का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(ग) पावर टेक्स इंडिया स्कीम के कुछ घटक

(i) समूह वर्कशैड योजना (जीडब्ल्यूएस): इस योजना का उद्देश्य आधुनिक वीविंग मशीनरी वाले पावरलूम हेतु वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अवसंरचना की स्थापना करना है। संशोधित योजना के अनुसार, वर्कशैड के निर्माण हेतु अधिकतम सब्सिडी 400

रुपए प्रति वर्ग फुट, अथवा इकाई की निर्माण लागत का 40% तक जो भी कम हो, सीमित होगी। सामान्यत: एकल चौड़ाई (230 से.मी. तक) वाले 24 आधुनिक करघों के साथ अथवा और अधिक चौड़ाई वाले 16 करघों (230 से.मी. और उससे अधिक) के साथ न्यूनतम 4 बुनकर एक समूह बनाएंगे, प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 4 करघे होने चाहिएं।

प्रति पावरलूम न्यूनतम 1.25 व्यक्तियों के आवासन हेतु डोरमिट्री/कामगार आवास जिसमें पर्याप्त स्वच्छ शौचालय तथा स्नानागार (स्टोर रूम के साथ किचन तथा डाइनिंग हॉल वैकल्पिक रूप में शामिल किया जा सकता है), के निर्माण हेतु 125 वर्ग मी. प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। डोरमिट्री/कामगार आवास हेतु प्रति वर्ग मी. सब्सिडी की दर समूह वर्कशैड पर लागू प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर के समान होगी।

इस योजना के तहत जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 55.80 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2014-15 से मौजूदा छोटे पावरलूम बुनकरों द्वारा न्यूनतम 4 पावरलूम बुनकरों का एक समूह बनाकर 347 नए समूह वर्कशैड स्थापित किए गए। इन समूह वर्कशैडों में 12,492 शटलरहित करघे स्थापित किए गए हैं।

(ii) गैर-टीएक्ससी पावरलूम सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान(पीएससी): वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के नियंत्रणाधीन 15, वस्त्र अनुसंधान संघों(टीआरए) के तहत 26 और राज्य सरकार के तहत 6 पावरलूम सेवा केंद्र कार्यशील हैं। ये पीएससी सरकार की ओर से पावरलूम क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, सेमिनार आयोजन/कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुख्य रूप से पावरलूम क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने हेतु पीएससी चलाने के लिए होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा सहायता अनुदान की मंजूरी दी जाएगी। इस घटक के तहत कुल 23.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(iii) पावरलूम बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना: भारत सरकार, पावरलूम बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं (सावधि ऋण) और कार्यशील पूंजीगत निवेश आवश्यकता पूरा करने के लिए उनको लचीले और लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में दो घटक अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत श्रेणी-I और स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत श्रेणी-II है। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय ने योजना के प्रचालन के लिए ऋण देने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। चल रही परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 93.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में पीएम स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत आधुनिक शटल रहित करघों के साथ 510 महिला उद्यमियों ने अपनी नई इकाइयों को स्थापित किया है।

(iv) साधारण विदयुयतकरघा के लिए स्व-स्थाने उन्नयन योजना: इस योजना का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त अटैचमेंट के साथ अपने मौजूदा साधारण करघों का उन्नयन करके उत्पादित किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाना है। यह योजना 8 करघे तक विद्युत करघों इकाइयों के लिए है। 4 करघों से कम वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रति करघा 50%, 75% और 90% की सीमा तक उन्नयन लागत का अधिकतम सब्सिडी क्रमशः 45,000/- रुपये, 67,500/- रुपये और 81,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वर्ष 2014-15 से, इस योजना के अंतर्गत 2,09,748 साधारण पावरलूम को सेमी-ऑटो करघा में उन्नत किया गया।

(v) सुविधा, प्रचार, आईटी, एमआईएस और प्रशासनिक व्यय: पावरलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; उत्पादकता और दक्षता में सुधार, क्लस्टरों में पावरलूम बुनकरों के कौशल का प्रशिक्षण और विकास/उन्नयन एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना या कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टीमीडिया के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार करना है, जिसमें कार्यक्रम-आधारित प्रचार आदि शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण है। इसके अलावा, यह समग्र वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक लागत, एमआईएस और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के व्यय को भी कवर करेगा। इस

घटक के तहत कुल 9.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

1.6.3 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और मौजूदा प्रसंस्करण क्लस्टरों में नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन के साथ-साथ विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में नए प्रसंस्करण पार्कों को समर्थन देने के लिए, सरकार पूरे देश में एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) लागू कर रही है। इस योजना का दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वित किया जा रहा था; लेकिन, अब इस योजना को केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 275 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बढ़ा दिया गया है।

1.7 क्षेत्रगत योजनाएं

क. हथकरघा क्षेत्र

हथकरघा क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है। यह क्षेत्र 25 लाख से अधिक महिला बुनकरों और संबद्ध कामगारों को रोजगार देता है जो इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। हथकरघा वीविंग भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और जीवंत पहलुओं में से एक है। इस क्षेत्र में कम पूंजी गहनता, बिजली का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल, छोटे उत्पादन का लचीलापन, नवाचारों के लिए खुलापन और बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ है। डिजाइन का अनूठापन और विशिष्टता, छोटे बैच के आकार का उत्पादन करने की क्षमता और पर्यावरण के अनुकूल कपड़े होने के कारण, हथकरघा उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उच्च मांग है और समझदार ग्राहकों के साथ खुदरा विक्रेता नियमित आधार पर प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के विश्वसनीय स्रोत की तलाश में रहते हैं।

i. हथकरघा क्लॉथ का उत्पादन और निर्यात

यह 28.23 लाख करघों के साथ रोजगार क्षमता के मामले में सबसे बड़े हथकरघा उद्योग में से एक है, जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खपत दोनों के लिए उत्पादन करता है।

प्रमुख हथकरघा निर्यात केंद्र करूर, पानीपत, वाराणसी और कन्नूर हैं जहां हथकरघा उत्पाद जैसे बेड लिनेन, टेबल लिनेन, किचन लिनेन, टॉयलेट लिनेन, फ्लोर कवरिंग, कशीदाकारी संबंधी वस्त्र सामग्री, पर्दे आदि निर्यात बाजारों के लिए उत्पादित किए जाते हैं।

हथकरघा उद्योग मुख्य रूप से कपड़े, बेड लिनेन, टेबल लिनेन, टॉयलेट और किचन लिनेन, तौलिये, पर्दे, कुशन और पैड, टेपेस्ट्री और असबाब, कालीन, फर्श कवरिंग आदि का निर्यात करता है। भारत से हथकरघा उत्पादों के प्रमुख आयातक देश यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और यूएई हैं।

ii. क्षेत्रगत विस्तार

भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से योजनाबद्ध सहायता के माध्यम से देश में हथकरघा गतिविधियों का समर्थन करती है। वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक 715 हथकरघा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2018-19 से 2023-24 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान किए गए क्लस्टरों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत क्लस्टर की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1	2018-19	16	8.56
2	2019-20	21	16.84
3	2020-21	2	17.60
4	2021-22	69	59.92
5	2022-23	110	76.20
6.	2023-24	96	76.35

इसके अलावा, वर्तमान में, 9 मेगा हैंडलूम क्लस्टर 8 राज्यों अर्थात असम (शिवसागर), उत्तर प्रदेश (वाराणसी), तमिलनाडु (विरुधनगर और त्रिची), पश्चिम बंगाल

(मुर्शिदाबाद), झारखंड (गोड्डा और पड़ोसी जिले), आंध्र प्रदेश (प्रकाशम और गुंटूर जिला) और बिहार (भागलपुर) और मणिपुर (पूर्वी इंफाल) में कार्यान्वयनाधीन हैं।।

वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 11.01.2024 तक), मेगा क्लस्टरों में विभिन्न इंटरवेंशन के क्रियान्वयन के लिए 14.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

क. हथकरघा योजनाएं:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) पर नवीनतम दिशा-निर्देश अप्रैल, 2023 में जारी किए गए हैं और इन्हें वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया है। यह योजना हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। यह योजना सहकारी समितियों के भीतर और बाहर स्वयं सहायता समूहों आदि सहित बुनकरों को डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्किटिंग सहायता, शहरी हाट, मार्किटिंग परिसरों के रूप में स्थायी अवसंरचना का निर्माण, हथकरघा उत्पादों के ई-मार्केटिंग के लिए वेब पोर्टल के विकास के लिए सहायता प्रदान करती है।

2. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार का सूत उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना क्रियांवित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा एवं वस्त्र आयुक्त/ निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें, शीर्ष सोसायटियां और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत राज्य हथकरघा निगम कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो ऑपरेटिंग एजेंसियों को आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% (15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित) डिपो प्रचालन शुल्क दिया जाता है।

3. हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का उद्देश्य देश के लाखों हथकरघा बुनकरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पावरलूम और मिल क्षेत्र द्वारा उनकी आजीविका पर अतिक्रमण से बचाना है। दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में तीन प्रवर्तन कार्यालय हैं, जो हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं

ख. हस्तशिल्प क्षेत्र:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिल्पकारों के एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है और देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा आय के एक प्रमुख स्त्रोत के रूप में कार्य करता है, साथ ही हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। हस्तशिल्प में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि वे न केवल देश भर में फैले लाखों कारीगरों की आजीविका को बनाए रखने की साधन हैं, बल्कि शिल्प गतिविधि में आने वाले नए लोगों की बढ़ती संख्या के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान में, हस्तशिल्प क्षेत्र रोजगार सृजन और निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अर्थव्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, इस क्षेत्र को अपने मुख्य रूप से असंगठित संरचना से उत्पन्न असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की कमी, अपर्याप्त पूंजी संसाधन, आधुनिक तकनीकों के लिए अपर्याप्त जोखिम, बाजार की जानकारी की कमी और एक मजबूत संस्थागत अवसंरचना की अनुपस्थिति जैसी प्रमुख समस्याओं ने इसकी विकास क्षमता को बाधित किया है।

वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा "पहचान" पहल के तहत कुल 32.03 लाख कारीगरों को संगठित किया गया है। कारीगर पहचान पत्र जारी किए गए कारीगरों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है:

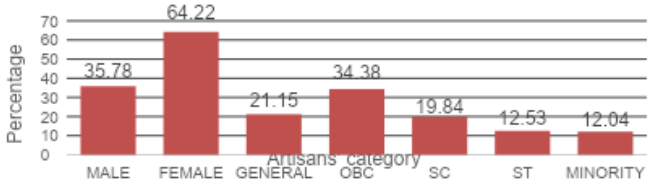

विकास आयुक्त [हस्तशिल्प] का कार्यालय हस्तशिल्प क्षेत्र

के संवर्धन और विकास के लिए दो प्रमुख योजनाओं अर्थात् "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" [एनएचडीपी] और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना [सीएचसीडीएस] के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, जिसमें समग्र तरीके से हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है।

1. योजना: "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम"
   उप योजनाएं:
   1. मार्किटिंग सहायता और सेवाएं।
   2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास
   3. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
   4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण)
   5. आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी सहायता
   6. अनुसंधान और विकास।
2. योजना: "व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना"

1.8 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना वर्ष 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत की गई थी। यह संस्थान निफ्ट अधिनियम, 2006 द्वारा शासित है।

निफ्ट फैशन और डिजाइन एजूकेशन में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का विजन तदनुसार चुनौतियों को स्वीकार करने और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। संस्थान का पाठ्यक्रम छात्रों के लिए सीखने के विविध और व्यावहारिक अनुभव के लिए उद्योग-अकादमिक इंटरफेस और शिल्प क्लस्टर एसोसिएशन प्रदान करता है और उन्हें उद्योग, शिल्प और उनके आउटरीच के बारे में एक सूक्ष्म और गहन समझ बनाने में मदद करता है। निफ्ट लगातार उद्योग जगत में आगे रहने का प्रयास करता है तथा पेशेवर रूप से प्रबंधित अपने 19 परिसरों के माध्यम से भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।

1.9 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के क्रियान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य पारदर्शिता लाना और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निधियों के वितरण से चोरी को समाप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का लाभ आधार पंजीकरण के साथ बैंक/डाक खाते के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने का लक्ष्य है अर्थात लाभार्थी के राज्य राजकोष खाते के माध्यम से अथवा एनजीओ अथवा एलआईसी आदि जैसी किन्हीं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मामले अथवा इस प्रकार के अन्य मामले का सीधा अंतरण करना है। भारत पोर्टल और पीएफएमएस के साथ आपस में जोड़कर लाभार्थी और निधि के लेनदेन के बारे में रियल टाइम सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक योजना के लिए एक सीधा एमआईएस पोर्टल भी है। इलैक्ट्रानिक अंतरण हेराफरी और दोहराव को समाप्त करने के अलावा, वांछित लाभार्थी को समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करता है।

मंत्रिमंडल सचिवालय में डीबीटी मिशन ऑनलाइन अर्थात डीबीटी भारत पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर कर रहा है। आर्थिक प्रभाग,वस्त्र मंत्रालय लाभार्थी का डिजिटलीकरण, आधार नंबर, डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एमआईएस का एकीकरण आदि सहित डीबीटी भारत - पोर्टल के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय की पहचान की गई 12 परियोजनाओं के पंजीकरण संबंधी कार्य का समन्वयन कर रहा है। 5 योजनाओं के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार किया गया है और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ 4 योजनाओं का एकीकरण किया गया है तथा शेष योजनाओं के लिए डीबीटी भारत पोर्टल के साथ शीघ्र एकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्याय-II
कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

2.1 कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के लिए नीति बनाने, योजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। वस्त्र मंत्रालय के प्रमुख वस्त्र मंत्री हैं जिन्हें वस्त्र राज्य मंत्री, सचिव (वस्त्र) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 विजन

वस्त्र उद्योग को 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग विकसित करके, भारत को वैश्विक वस्त्र विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना तथा 2030 तक उच्च तकनीक और उच्च विकास वाले उत्पाद क्षेत्र पर फोकस करके वैश्विक वस्त्र निर्यात में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना, आंतरिक क्षमताओं का उपयोग करना, बड़े पैमाने पर प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे का विकास करना और इन सभी में निरंतरता को केंद्र में रखते हुए बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना, पारंपरिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और कच्चे माल की मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर बनना।

2.3 मिशन

i. उद्योग इको सिस्टम को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ), दोनों को शामिल करते हुए कच्चे माल की मूल्य श्रृंखला में वास्तव में ' आत्मनिर्भर ' बनना।
ii. विश्व स्तरीय वस्त्र मशीनरी विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताएं स्थापित करना।
iii. संतुलित क्षेत्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करते हुए रोजगार के अवसरों के लिए विकास का मुख्य वाहक बनना।
iv. वैश्विक रूझानों के अनुरूप कार्य करना तथा 60% मानव निर्मित फाइबर खपत प्राप्त करना।
v. अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले मेगा टेक्सटाइल पार्कों का संवर्धन करना और भारत के विकास को ऐसे आगे बढ़ाना कि अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करके वस्त्र उद्योग में फिर से वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना।
vi. निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने और उच्च मूल्य श्रृंखला को और ऊपर ले जाने के लिए गुणवत्ता मानकों को बढ़ाकर उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
vii. यह सुनिश्चित करना कि उद्योग 2030 तक एसडीजी प्राप्त करे तथा समावेशी विकास के लिए सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।
viii. सर्कुलर वस्त्र उद्योग की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक क्षमताओं और इको सिस्टम का निर्माण करना
ix. वैश्विक सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भारत के विशिष्ट योगदान के रूप में प्राकृतिक रंगों के साथ जैविक कपास और अन्य जैविक प्राकृतिक फाइबर को विकसित करना और बढ़ावा देना।
x. उच्च मूल्य वर्धित/उच्च तकनीक विनिर्माण की ओर बढ़ने के लिए उप-क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र स्तर पर रणनीतिक रोडमैप तैयार करना तथा उच्च तकनीक/उच्च मूल्य वाले उत्पादों के आयात के बजाय स्वयं ऐसे उत्पाद बनाने में सक्षम बनना।
xi. वैश्विक उच्च तकनीक क्षेत्रों के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल का सृजन करना।
xii. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्रों के लिए ब्रांड निर्माण, प्रचार और बाजार संपर्क नेटवर्क बनाने में सहायता प्रदान करना।
xiii. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और इनोवेशन पर निरंतर फोकस रखना।

2.4 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए, निम्नेलिखित सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा सलाहकार समिति द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है:-

2.4.1 संबद्ध कार्यालय:-

(i) विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय, नई दिल्ली

इस कार्यालय के प्रमुख विकास आयुक्त (हथकरघा) हैं। यह हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके तहत 29 बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी), 06 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 को क्रियान्वित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र हैं।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, नई दिल्ली

विकास आयुक्त हस्तशिल्प, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के प्रमुख हैं। यह हस्तशिल्प के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा कार्यों को क्रियान्वित करता है और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, गुवाहाटी तथा नई दिल्ली में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा देश भर में 67 हस्तशिल्प सेवा केंद्र हैं।

2.4.2 अधीनस्थ कार्यालय

(i) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय (टीएक्ससी) का मुख्यालय मुंबई में है तथा अमृतसर, नोएडा, इंदौर, कोलकाता, बेंगलुरू, कोयम्बत्तूर, नवीं मुंबई और अहमदाबाद में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, प्रौद्योगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण करता है और सरकार को वस्त्र उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति के बारे में सलाह देता है। वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के विकासात्मक कार्यकलाप वस्त्र तथा क्लोदिंग क्षेत्र की समानांतर उन्नति और विकास की योजना के आस-पास केंद्रित रहते हैं। देश भर में कार्यरत सैंतालीस पावरलूम सेवा केंद्रों (पीएससी) में से पन्द्रह पावरलूम वस्त्र आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे हैं। ये पीएससी वस्त्र एवं क्लोदिंग उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति की पूर्ति करते हैं तथा विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र को तकनीकी परामर्श/सेवाएं देते हैं। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित शेष बत्तीस पावरलूम सेवा केंद्रों का समन्वय करता है और उनका मार्ग दर्शन करता है। यह कार्यालय तकनीकी वस्त्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), समूह पावरलूम योजनाओं संबंधी विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनकी मॉनीटरिंग करता है।

(ii) पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता

पटसन आयुक्त कार्यालय के कार्य और गतिविधियां निम्नलिखित से संबंधित हैं:

i. मशीनरी विकास सहित जूट उद्योग से संबंधित नीति निर्माण के मामले में मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
ii. पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के व्यवस्थित विकास और संवर्धन की देखरेख करता है। पटसन आयुक्त कार्यालय के विनियामक और विकासात्मक, दोनों कार्य हैं। इसमें न केवल पटसन मिलें शामिल हैं, बल्कि कच्ची पटसन की मार्किटिंग से लेकर पटसन के सामान के उत्पादन के अंतिम रूप से तैयार होने तक का काम शामिल है, जिसमें पटसन निर्माण इकाइयों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और सहायक उपकरणों का विकास शामिल है। पटसन आयुक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के तहत विनियामक शक्तियों का प्रयोग करता है।
iii. कच्ची पटसन और पटसन के सामान, दोनों के मूल्य व्यवहार की निगरानी करना और पटसन और मेस्टा उत्पादकों को एमएसपी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पटसन निगम के साथ समन्वय करना, और
iv. बाजार संवर्धन, विशेष रूप से घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में, पटसन के सामान के बाजारों को तलाशना। पटसन उगाने वाले क्षेत्रों, जहां ऐसी गतिविधियां अपर्याप्त हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पटसन न उगाने वाले राज्यों में पटसन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने/उसका संवर्धन करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
v. पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की धारा 4 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, पटसन आयुक्त बी ट्विल बैग की आपूर्ति के लिए पटसन मिलों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी करते हैं। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए एफसीआई सहित विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए इन बैगों की आवश्यकता होती है। पटसन आयुक्त मंत्रालय को नियमित रूप से और समय पर पटसन क्षेत्र की समस्याओं और स्थिति से भी अवगत कराते रहते हैं। पटसन से संबंधित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पटसन माल आयातक और निर्यातक को लाइसेंस जारी करना पटसन आयुक्त कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। वर्ष 2022-23 में जारी किए गए लाइसेंस की कुल संख्या 36 है और नवीनीकृत की संख्या 27 है, 2023-24 में जारी किए गए लाइसेंस की कुल संख्या 46 है और नवीनीकृत की संख्या 21 है और 2024-25 (जुलाई 2024 तक) में जारी किए गए लाइसेंस की कुल संख्या 11 और नवीनीकृत की संख्या 2 है। पंजीकृत आयातकों की संख्या 672 है।

2.4.3 सलाहकार समिति

(i) वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास उत्पादन और उपभोग संबंधी समिति (सीओसीपीसी) का गठन 14 सितंबर, 2020 को किया गया था। सीओसीपीसी को कपास क्षेत्र के विकास के लिए आयोजना कार्यनीति बनाने में मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित आंकड़ों का अनुमान लगाने का दायित्व सौंपा गया है:-

i. कपास की फसल और कपास उत्पादन का राज्यवार बुवाई क्षेत्र;
ii. कॉटन बैलेंस शीट में आपूर्ति, मांग, मिल की खपत और अंतिम स्टॉक;
iii. एमएसपी अभियान और वाणिज्यिक प्रचालन;
iv. निर्यात और आयात का डाटा;
v. अतिरिक्त लंबे स्टेपल (ईएलएस), रंगीन और आर्गनिक कपास का उत्पादन और तत्संबंधी मामले;
vi. कपास की प्रमाणित/गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और तत्संबंधी मामले;
vii. कपास की खेती के आधुनिकीकरण की जांच और तत्संबंधी मामले; तथा
viii. जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण का स्तर।

(iii) पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति- भारत सरकार के "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन" के विजन के अनुरूप, कम सरकारी मशीनरी और सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की आवश्यकता के अनुरूप, वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 06.08.2020 पत्र के माध्यम से पटसन सलाहकार बोर्ड (जेएबी) को समाप्त कर दिया है। पटसन और पटसन के सामानों के उत्पादन, आपूर्ति और निर्यात के आंकड़ों के आकलन के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.09.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या जे-7/4/2020-जूट के तहत पटसन संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष पटसन आयुक्त हैं।

पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति की नवीनतम बैठक दिनांक 17.04.2023 को आयोजित की गई थी। विभिन्न हितधारकों के मतों पर विचार-विमर्श करने के बाद, समिति को वर्ष 2022-23 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति-मांग की स्थिति की जानकारी मिली है जिसे नीचे दिया गया है: -

मात्रा: लाख गांठों में

	2023-24
(क) आपूर्ति	
i) आरंभिक स्टॉक	0.32
ii) जूट और मेस्टा फसल	00.09
iii) आयात	0.6
कुल :	00.911
(ख) वितरण	
iv) मिल की खपत	00.27
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	00.51
vi) निर्यात	0.2
कुल:	00.98
(ग) अंतिम स्टाक	0.03

पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 22-05-2024 को आयोजित ईसीजे बैठक में वर्ष 2024-25 मौसम के लिए फसल मात्रा का अनुमान लगाया है, जिसे तालिका में दिया गया है:-

2024-25 के लिए कच्ची पटसन की आपूर्ति एवं वितरण

मात्रा: लाख गांठ में

	2024-25 ((अनुमान))
(क) आपूर्ति	
i) आरंभिक स्टाक	30.0
ii) पटसन और मेस्टा फसल	74.0
iii) आयात	5.0
कुल :	109.0
(ख) वितरण	
iv) मिल की खपत	70.0
v) घरेलू/औद्योगिक खपत	12.0
vi) निर्यात	2.0
कुल:	84.0
(ग) अंतिम स्टाक	25.0

2.4.4 इसके अलावा, निम्नलिखित सांविधिक निकाय तथा पंजीकृत सोसाइटियां मंत्रालय के कार्यों से संबद्ध हैं।

सांविधिक निकाय :

(i) वस्त्र समिति: वस्त्र समिति की स्थापना, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के अंतर्गत की गई थी। वस्त्र समिति ने एक संगठन के रूप में 22 अगस्त, 1964 से कार्य करना प्रारंभ किया। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, वस्त्र समिति निरंतर उतराधिकार के साथ एक सांविधिक निकाय है। मुंबई स्थित वस्त्र समिति वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। वस्त्र समिति का मुख्य उद्देश्य आंतरिक खपत तथा निर्यात उद्देश्यों, दोनों के लिए वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड: राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2010 से लागू है और तत्कालीन पटसन विनिर्माण विकास निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र का राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) की धारा-। की उप-धारा (3) में प्रदत्त 'शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को उस तिथि के रूप में निर्धारित किया है जिस दिन से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के प्रावधान लागू होंगे। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना पटसन की खेती, विनिर्माण तथा पटसन तथा पटसन उत्पादों की मार्किटिंग के विकास और उससे संबद्ध और उनसे उत्पन्न मामलों के लिए की गई है।

एनजेबी को सांविधिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है:-

- पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तत्संबंधी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना की तैयारी करने, विस्तार कार्य, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन के मामलों में पटसन की खेती के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना;
- बेहतर गुणवत्ता वाली कच्ची पटसन के उत्पादन का संवर्धन;
- कच्ची पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना;
- कच्ची पटसन की बेहतर मार्किटिंग तथा कच्ची कपास के मूल्यों के स्थिरीकरण को बढ़ावा देना अथवा इसकी व्यवस्था करना;
- कच्ची पटसन तथा पटसन उत्पादों के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- अवशिष्ट को समाप्त करने,अधिकतम उत्पादन,गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कमी के उद्देश्य से पटसन उद्योग के लिए दक्षता के मानकों के लिए सुझाव देना;
- कच्ची पटसन के उत्पादकों तथा पटसन उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए उपयोगी सूचना का प्रचार करना;
- गुणवत्ता नियंत्रण अथवा कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों का संवर्धन करना और उपाय करना।
- कच्ची पटसन के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की तकनीकी में सुधार के लिए अध्ययन तथा अनुसंधान में सहायता करना और उसे प्रोत्साहित करना।
- कच्ची पटसन और पटसन उत्पादों के संबंध में आंकड़ों का संग्रह करने तथा उसे तैयार करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण अथवा अध्ययन को बढ़ावा देना;
- पटसन विनिर्माताओं के मानकीकरण का संवर्धन करना;
- पटसन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन विनिर्माताओं के उत्पादन के विकास का संवर्धन करना;
- पटसन क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक तथा मार्किटिंग अनुसंधान के लिए प्रायोजन, सहयोग, समन्वय, प्रोत्साहित अथवा आरंभ करना;
- पटसन विनिर्माताओं के लिए देश के भीतर और बाहर मौजूदा बाजारों को बनाए रखना और उनका विकास करना तथा नए बाजार विकसित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे विनिर्माताओं के लिए मांग के अनुरूप मार्किटिंग रणनीतियां तैयार करना;
- नयी सामाग्रियों की खोज और विकास, उपकरण तथा पद्धतियों की खोज और विकास तथा पटसन उद्योग में पहले ही प्रयोग में लायी जा रही पद्धतियों में सुधार करने सहित सामाग्रियों,उपकरण,उत्पादन की पद्धतियों,उत्पाद विकास से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक,प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान प्रायोजित के लिए उसके सहयोग,समन्वय करना अथवा उन्हें प्रोत्साहित करना;
- उद्यमियों, कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों, विनिर्माताओं, निर्यातकों, गैर-सरकारी एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध कराकर विविधीकृत पटसन

उत्पादों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनका सृजन करना;

- कार्यशालाओं, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना तथा पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से अध्ययन समूह गठित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- पटसन फसलों के तैयार होने की अवधि को कम करने तथा पटसन बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान करना;
- पटसन क्षेत्र के सुस्थिर मानव संसाधन विकास तथा इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने हेतु उपायों को करना;
- पटसन क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय विकास;
- पटसन उत्पादकों तथा कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा आजीविका के माध्यमों द्वारा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- पटसन उद्योग में लगे कामगारों के लिए कार्य करने का बेहतर परिवेश तैयार करना तथा सुविधाएं एवं प्रोत्साहन प्रदान करना और उनमें सुधार करना।
- वैकल्पिक आधार पर उत्पादकों तथा विनिर्माताओं का पंजीकरण करना;
- संकलन तथा प्रकाशन के लिए पटसन एवं पटसन उत्पादों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना;
- पटसन क्षेत्र के संवर्धन अथवा भारत एवं विदेशों में पटसन एवं पटसन उत्पादों के संवर्धन एवं मार्केटिंग के लिए किसी भी अन्य कार्पोरेट निकाय की शेयर पूंजी में अंशदान करना या उसके साथ-साथ कोई भी अनुबंध (भागीदारी,संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य तरीके से) करना।

(iii) केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बैंगलोर

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) एक वैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जिसकी स्थापना 1948 में संसद के एक अधिनियम (1948 का अधिनियम संख्या 11) द्वारा की गई थी। सीएसबी को देश में रेशम उद्योग के विकास की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें खाद्य संयंत्रों के विकास से लेकर सिल्क यार्न के उत्पादन हेतु रेशम कोकून तक और रेशम के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाली नीतियों के निर्माण तक की गतिविधियों को शामिल किया गया है। सीएसबी मूल रूप से एक अनुसंधान और विकास संगठन है। सीएसबी की रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान को सहायता और प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। रेशम उत्पादन और रेशम वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यक्रम मुख्य रूप से राज्य रेशम उत्पादन/वस्त्र विभागों द्वारा तैयार और क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड अपने केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधान और विकास, विस्तार और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाता है। इसके अलावा, केंद्रीय रेशम बोर्ड गुणवत्तापूर्ण रेशमकीट बेसिक और वाणिज्यिक बीजों के उत्पादन और आपूर्ति का आयोजन करता है, और राज्यों को विभिन्न रेशम उत्पादन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में भी सहायता करता है। साथ ही, केंद्रीय रेशम बोर्ड राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर रेशम उत्पादन के आँकड़े एकत्र करता है और उनका संकलन करता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड निम्नलिखित विजन और मिशन के साथ काम कर रहा है

विजन:

भारत को रेशम के लिए विश्व बाजार में अग्रणी के रूप में उभरता देखना।

मिशन:

- अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निरंतर प्रयास करना।
- वैज्ञानिक रेशम उत्पादन पद्धतियों के प्रसार के माध्यम से रेशम उत्पादन में लाभकारी रोजगार और आय के बेहतर स्तर के लिए अधिक अवसर सृजित करना।
- रेशम उत्पादन के सभी स्तरों में उत्पादकता में सुधार करना।
- गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से दक्षता के स्तर को मजबूत करना।

2.4.5 पंजीकृत समितियाँ

(i) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर का गठन जुलाई, 1987 में किया गया था, जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी

पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ii) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं प्रबंधन स्कूल (एसवीपीआईएसटीएम)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में वस्त्र और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयम्बटूर में सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना की है ताकि वस्त्र उद्योग में पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा किया जा सके। एसवीपीआईएसटीएम वस्त्र क्षेत्र के प्रबंधन के लिए देश के युवाओं में उत्कृष्टता का सृजन करने और इस क्षेत्र में घरेलू और वैश्विक, दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाली प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के भावी प्रमुख बनने के लिए सक्षम वैश्विक स्तर की मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए अग्रणी के रुप में कार्य करने की दृष्टि से कोयम्बटूर जिले में केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित भारत में अपनी किस्म का पहला संस्थान है। सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट (एसवीपीआईएसटीएम) की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और इसे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान के रूप में सोसायटी अधिनियम, 1975 के तहत पंजीकृत किया गया। यह संस्थान वस्त्र प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। एसवीपीआईएसटीएम वस्त्र के क्षेत्र में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को शिक्षा, अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूटीएन) के सहयोग से संस्थान पांच एमबीए कार्यक्रम (अवधि: दो वर्ष) और चार बीएससी/बीबीए कार्यक्रम (अवधि: तीन वर्ष) चल रहा है, अर्थात् **1) एमबीए-टेक्सटाइल प्रबंधन, 2) एमबीए-परिधान प्रबंधन, 3) एमबीए-रिटेल प्रबंधन, 4) एमबीए-तकनीकी वस्त्र प्रबंधन, 5) एमबीए-टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स 6) बीएससी-टेक्सटाइल 7) बीएससी-टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन 8) बीएससी-तकनीकी वस्त्र और 9) बीबीए-टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स**

2.4.6 निर्यात संवर्धन परिषदें:

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
iv. ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यूईपीसी)
v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद (वूल टेक्सप्रो)
vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix. पावरलूम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x. हथकरघा निर्यात सवंर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

2.4.7 अन्य संगठन:

1. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली
2. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही (उत्तर प्रदेश)
3. धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

2.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2.5.1 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी)

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) की स्थापना मुख्य रूप से वर्ष 1974, 1986 और 1995 में प्रख्यापित तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत रूग्ण वस्त्र मिलों/उपक्रमों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। वर्ष 1960 के दशक के अंत में देश में बड़ी संख्या में वस्त्र मिलें रूग्ण होने लगीं। इनमें से कई मिलों के प्रबंधन ने प्रचालन बंद कर दिया था और वे पतन के कगार पर थीं। इस तरह के घटनाक्रम ने अर्थव्यवस्था में गंभीर असंतुलन पैदा किया और साथ ही देश में रोजगार परिदृश्य को अस्थिर कर दिया। इस अराजक स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप करने और कामगारों के लिए रोजगार बचाने के लिए ऐसी रूग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया और अप्रैल 1968 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना की गई। रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधिनियमन के साथ, 103 रूग्ण वस्त्र उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके बाद स्वदेशी कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 का अधिनियमन किया गया, जिसके तहत 06 रूग्ण वस्त्र उपक्रमों और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 के तहत 15

रूग्ण वस्त्र उपक्रमों का अधिग्रहण किया गया और ऐसे रूग्ण वस्त्र उपक्रमों को पुनर्गठित करने और उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया। रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1995 को निम्नलिखित धारा जोड़कर रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और स्वदेशी कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

"11क: यदि राष्ट्रीय वस्त्र निगम किसी रुग्ण वस्त्र उपक्रम के बेहतर प्रबंधन, आधुनिकीकरण, पुनर्गठन या पुनरुद्धार के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी भी रुग्ण वस्त्र उपक्रम की किसी भी भूमि, संयंत्र, मशीनरी या किसी भी रूग्ण वस्त्र उपक्रमों की किसी भी अन्य परिसंपत्ति को हस्तांतरित, बंधक, बिक्री कर सकता है या अन्यथा उनका निपटान कर सकता है;

लेकिन ऐसे किसी हस्तांतरण, बंधक, बिक्री या निपटान की आय का उपयोग उस उद्देश्य को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई है"।

इसके अलावा, पट्टा अवधि पूरी होने पर एनटीसी में निहित पट्टा अधिकार को जारी रखने के लिए, रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 और वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 में संशोधन करके वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2014 लागू किया गया।

रुग्ण मिलों की संख्या वर्ष 1995 तक वर्ष दर वर्ष बढ़ती रही। इन मिलों का विकेन्द्रीकृत आधार पर प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मिलों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए 9 सहायक निगमों की स्थापना की थी।

तकनीकी रूप से अप्रचलित होने; अधिक कार्मिक होने; बहुत कम उत्पादकता आदि होने के कारण 9 में से 8 सहायक कंपनियों का निवल मूल्य 1990 के दशक की शुरुआत में पूरी तरह खत्म हो गया, जिससे इस मामले को वर्ष 1993-94 में रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजना आवश्यक हो गया। एनटीसी (टीएनएंडपी) को छोड़कर अन्य सभी सहायक कंपनियों को बीआईएफआर को भेजा गया और बाद में रूग्ण घोषित कर दिया गया। बीआईएफआर ने फरवरी-जुलाई, 2002 के दौरान एनटीसी की 8 सहायक कंपनियों के लिए पुनर्वास योजना को मंजूरी दी और बाद में वर्ष 2005 में बीआईएफआर को भेजी गई 9वीं सहायक कंपनी एनटीसी (टीएनएंडपी) लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी।

वर्ष 2002-03 की मूल स्वीकृत योजना (एसएस-02) को 3937 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 736 करोड़ रुपये का एक घटक आवंटित किया गया था। इस योजना को दो बार संशोधित किया गया - पहली बार वर्ष 2006 में (एमएस-06) कुल 5267 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर जिसमें 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 530 करोड़ रुपये का घटक शामिल था और दूसरी बार वर्ष 2008 में (एमएस-08) कुल 9102 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर जिसमें 4 नई मिलों की स्थापना सहित विस्तारित क्षमता वाली 22 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 1155 करोड़ रुपये का घटक शामिल था। इस योजना को बीआईएफआर द्वारा 31.03.2012 तक बढ़ा दिया गया था।

बीआईएफआर द्वारा एनटीसी की पुनरुद्धार योजना (एमएस-08) को अनुमोदित किए जाने के आधार पर, एनटीसी ने औद्योगिक विवाद (आईडी) अधिनियम, 1947 के तहत 78 मिलों को अव्यवहार्य होने के कारण बंद कर दिया है; अपने स्तर पर 23 मिलों का आधुनिकीकरण किया है; और संयुक्त उद्यम (जेवी) व्यवस्था के माध्यम से 5 मिलों को पुनर्जीवित किया है।
बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना (एमएस-08) को लागू करते समय, कंपनी ने 6584.08 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति बेची और 01.04.2006 से 9 सहायक कंपनियों का होल्डिंग कंपनी में विलय कर दिया। तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत अपने अधिकार में ली गई 124 मिलों में से 5 मिलों का मामला बीआईएफआर को भेजने से पहले इन्हें बंद कर दिया गया था/इनका विलय कर दिया गया था। 119 मिलों के मामलों को बीआईएफआर को भेजा गया था, जिनमें से 78 मिलों को अव्यवहार्य पाए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम (आई.डी. अधिनियम) के तहत बंद कर दिया गया था। इनमें से, 29 मिलों की भूमि योजना के अनुसार बेच दी गई थी (वर्ष 2002 से 2013 के दौरान)। बंद की गई एक विदर्भ मिल पर, फिनले मिल

स्थापित की गई है। इन मिलों की भूमि की बिक्री से प्राप्त बिक्री मूल्य में से, एनटीसी ने पुनर्जीवित योजना के तहत 23 वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ एकबारगी निपटान (ओटीएस) के रूप में 248.69 करोड़ रुपये; बकाया सांविधिक देयताओं के तहत ईपीएफ/ईएसआई को 224 करोड़ रुपए; बांड के मोचन पर 2028 करोड़ रुपए और इन बॉण्डों पर ब्याज के रूप में 785.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया। संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दायित्व को पूरा करने के लिए बांड की राशि को जुटाया गया। कंपनी ने वस्त्र मंत्रालय को पूंजी गारंटी शुल्क के रूप में 89.00 करोड़ रुपये और पुनरुद्धार योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए 1646.07 करोड़ रुपये की राशि (आज तक) का भुगतान किया है।

दिनांक 01.04.2002 से 30.09.2023 की अवधि के बीच, एनटीसी के 63792 कर्मचारियों ने संशोधित वीआरएस (एमवीआरएस) का लाभ उठाया है और इन कर्मचारियों को मुआवजे के रूप में 2384.79 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। वर्तमान में, सितंबर 2023 तक एनटीसी में 10261 कर्मचारी हैं।

वर्तमान में, एनटीसी की 23 कार्यरत मिलें (वर्तमान में संचालन निलंबित), 49 बंद मिलें (आईडी अधिनियम के तहत) और 2 गैर-संचालन मिलें हैं। इन 23 मिलों में से 5 मिलों में सूत की कताई के अलावा ग्रेज बुनाई की सुविधाएं भी हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

क. कार्यशील 23 एनटीसी मिलों की राज्यवार सूची

राज्य	**क्रम सं.**	**मिलों का नाम**	**स्थान**
आंध्र प्रदेश			
	1	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनीगुंटा
गुजरात			
	2	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स नं. 1	अहमदाबाद
कर्नाटक			
	3	न्यू मिनर्वा मिल्स	हसन
केरल			
	4	अलग्प्पा टेक्स्टाइल मिल्स	अलगप्पानगर
	5	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	कन्नानोर
	6	केरला लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
	7	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेंद्रम
मध्य प्रदेश			
	8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
	9	न्यू भोपाल टेक्स्टाइल मिल्स	भोपाल
महाराष्ट्र			
	10	पोद्दार मिल्स	मुंबई
	11	टाटा मिल्स	मुंबई

	12	इंडिया युनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
	13	बरशी टेक्स्टाइल मिल्स	बरशी
	14	फिनले मिल्स	अचलपुर
पुदुचेरी			
	15	कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	माहे
तमिलनाडु			
	16	पायनियर स्पिनर मिल्स	कमुदकुदी
	17	कलेसरवर मिल्स 'बी' यूनिट	कलायारकोइल
	18	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बतूर
	19	कोयम्बतूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बतूर
	20	पंकजा मिल्स	कोयम्बतूर
	21	श्री रंगा विलास स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	कोयम्बतूर
	22	कोयम्बतूर स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	कोयम्बतूर
पश्चिम बंगाल			
	23	आरती कॉटन मिल्स	दास नगर

ख. संयुक्त उद्यम व्यवस्था के माध्यम से आधुनिकीकरण की गई मिलों की सूची

राज्य	**क्र.सं.**	**मिलों का नाम**	**स्थान**
महाराष्ट्र			
	1	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं.1 मुंबई	मुंबई
	2	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स मुंबई	मुंबई
	3	गोल्डमोहर मिल्स मुंबई	मुंबई
	4	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स मुंबई	मुंबई
	5	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स औरंगाबाद	औरंगाबाद

पांच संयुक्त उद्यम कंपनियां: बीआईएफआर ने 28.03.2006 को अपनी बैठक में एनटीसी पुनरुद्धार योजना (एमएस-06) को मंजूरी दी, जिसके तहत संयुक्त उद्यम (जेवी) रूट के माध्यम से एनटीसी की 30 मिलों को पुनर्जीवित करने

का प्रावधान किया गया। लेकिन, 16 मिलों को जेवी रूट के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया था। वर्तमान में, एनटीसी की 3 रणनीतिक भागीदारों के साथ 5 जेवी कंपनियां हैं। इन 5 संयुक्त उद्यम कंपनियों के कार्य-निष्पादन पर दो बार विशेष लेखा परीक्षा की गई जिसमें लेखा-परीक्षकों ने जेवी कंपनियों के संबंध में अनुबंध के विभिन्न उल्लंघनों और प्रचालन में पारदर्शिता न बरतने का का उल्लेख किया।

3 संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात् अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड, गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड और इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के मामले में रणनीतिक साझेदार को यह उल्लेख करते हुए दिनांक 26.07.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि बोर्ड द्वारा 23.05.2018 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए उल्लंघनों के लिए उनके विरूद्ध एसएसएसए और अन्य समझौतों और कानून के तहत उचित कार्रवाई क्यों न की जाए।

2 जेवीसी: एनटीसी बोर्ड ने 14.09.2017 को संयुक्त उद्यम व्यवस्था को रद्द करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, 2 संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात् औरंगाबाद टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड और न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड को रद्द करने के संबंध में एनटीसी के निदेशक मंडल की 22.07.2021 को आयोजित अपनी 394वीं बैठक में अनुमोदन के बाद, मामले को वस्त्र मंत्रालय को भेज दिया गया।

3 जेवीसी - जेवीसी के संबंध में आगे की कार्रवाई के बारे में मामला 16.06.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की 399वीं बैठक में रखा गया और बोर्ड ने लंबे विचार-विमर्श के बाद और भारत के महाधिवक्ता और कानूनी सलाहकार की राय के आधार पर भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय को 3 जेवीसी अर्थात् इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क लिमिटेड और अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क लिमिटेड को रद्द करने की सिफारिश भेजने का निर्णय किया।

इसके अलावा, मैसर्स इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के मामले में रणनीतिक साझेदार ने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की है। वर्तमान में, मामला न्यायालय में है।

वर्तमान में, एनटीसी के 5 जेवी को रद्द करने की समयसीमा के लिए जेवी के मामले में डीपीई के साथ परामर्श किया जा रहा है और डीपीई भी जेवी को रद्द करने पर अंतिम विचार के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए मामले को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा, विधायी कार्य विभाग के परामर्श से अनियमितताओं पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

ग्यारह संयुक्त उद्यम कंपनियां (अब रद्द):- सभी 3 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को एनटीसी द्वारा दिनांक 14.09.2010 के पत्र के द्वारा समाप्त कर दिया गया था क्योंकि एमओयू में निर्दिष्ट तरीके से एमओयू के निष्पादन की तारीख से 240 दिनों के भीतर निश्चित समझौते निष्पादित नहीं किए गए थे। मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दिनांक 10.04.2019 के सामान्य अधिनिर्णय के अनुसार दोनों पक्षों के दावों और प्रतिदावों को अस्वीकार कर दिया और पक्षों को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया, जो निर्धारित समय अवधि के भीतर अधूरी रह गईं, जिनके पूरा न होने पर रणनीतिक साझेदार बिना किसी ब्याज के एनटीसी में जमा की गई राशि के वापसी के हकदार होंगे। उक्त अधि निर्णय के अनुपालन में, एनटीसी ने चयनित जेवी भागीदार को अग्रिम राशि वापस कर दी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अन्य भागीदारों की ओर से जेवी के एक चुनिंदा भागीदार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उक्त अधिनिर्णय को चुनौती दी है। यह मामला निर्णयाधीन है।

लाभप्रदता

मापदंड	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22* (अनं.)	2022-23* (अनं.)
23 कार्यशील मिलों का नकद लाभ/ (हानि)	करोड़ रु.	(135.12)	(170.44)	(163.93)	(208.37)	(167.27)	(171.84)	(181.39)
निवल कुल लाभ/ (हानि) (समग्र एनटीसी)	करोड़ रु.	969.38	(307.95)	(310.22)	(350.11)	(343.87)	(306.14)	(324.91)

*लॉकडाउन के कारण मिलें प्रचालनशील नहीं थीं।

2.5.2 भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी):

भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी), वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में "भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड" के रूप में दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी (i) निर्यात संवर्धन तथा हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का व्यापार विकास। वर्ष 1962 में इसका नाम बदल कर ''भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड" किया गया था। निगम को सोना एवं चाँदी के आभूषण/वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों (हाथ से बुने हुए ऊनी गलीचे एवं सिले सिलाए वस्त्र सहित) का कार्य सौंपा गया। निगम को वर्ष 1977-78 में सोने-चांदी के आयात तथा बिक्री के लिए नामित किया गया था।

एचएचईसी को 2015-16 से लगातार घाटा हो रहा है और इसका कारोबार लगभग ठप हो गया है। वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य होने के कारण, 16.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एचएचईसी को बंद करने को मंजूरी दी गई थी। वीआरएस की लागत, लंबित वेतन, सांविधिक बकाया का भुगतान, व्यापार देयता, आकस्मिक देनदारियों और बंद किए जाने के उपरांत प्रशासनिक व्ययों के लिए निगम की तत्काल निधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए 66.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

वर्तमान में, एचएचईसी की कुल देनदारियां (आकस्मिक देनदारियों को छोड़कर)/ बकाया राशि 116.26 करोड़ रुपये है। इस देनदारी का भुगतान भारत सरकार से प्राप्त 66.21 करोड़ रुपये के ऋण के माध्यम से किया जाएगा। इस ऋण और अन्य देनदारियों का भुगतान एचएचईसी की चल और अचल संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से किया जाएगा।

अचल संपत्तियों (11 संपत्तियां) को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई सहित कार्यालयों/विभागों द्वारा हस्तांतरण/उपयोग द्वारा और शेष को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के माध्यम से निपटाने का प्रस्ताव था। इन 11 संपत्तियों में से 2 संपत्तियां मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी हैं। एचएचईसी को अंतिम रूप से इस मामले में डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किया जाएगा।

2.5.3 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) लिमिटेड:

एनएचडीसी लिमिटेड की स्थापना, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत फरवरी, 1983 में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप की गई थी। एनएचडीसी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2000 लाख रुपये है और प्रदत्त पूंजी 1900 लाख रुपये है। एनएचडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए सभी प्रकार के धागे की आपूर्ति करना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले रंगों और संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति करना।
- हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुपालन में, एनएचडीसी निम्नलिखित कार्य कर रही है:
यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को आंशिक संशोधन के साथ और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के रूप में नए नाम से वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना पूरे देश में क्रियांवित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, राज्य सरकारें अपने सीधे नियंत्रण और देखरेख के तहत हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/ निदेशक, शीर्ष सोसायटियों और राज्य हथकरघा निगम कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से आपूर्ति किये गये यार्न का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	यार्न की आपूर्ति	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (लाख किग्रा. में)
2018-19	442.04	897.15
2019-20	406.17	700.61
2020-21	215.09	521.67
2021-22	235.80	732.09
2022-23	304.72	1090.65
2023-24	339.98	1165.96

कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के अंतर्गत, भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो ऑपरेटिंग एजेंसियों को आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% की दर से (15,000/- रुपये प्रतिमाह तक) डिपो ऑपरेटिंग चार्ज दिया जाता है। वर्तमान में, देश भर में ऐसे 511 यार्न डिपो और 46 गोदाम कार्यशील हैं। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण डाई और केमिकल की आपूर्ति भी कर रहा है। वर्ष 2018-19 से डाई और केमिकल की आपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	डाई और केमिकल	
	मात्रा (लाख किग्रा. में)	मूल्य (लाख किग्रा. में)
2018-19	40.51	45.43
2019-20	33.07	42.13
2020-21	35.17	45.34
2021-22	38.50	58.12
2022-23	41.91	65.73
2023-24	45.40	54.23

2. हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेशन, सिल्क फैब्स एवं वूल फैब्स और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करता है। भारत सरकार इन प्रदर्शनियों में निगम द्वारा वहन की गई राशि की प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2018-19 से प्रदर्शनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	इवेंट की संख्या	स्टालों की सं.	कुल बिक्री (रु. करोड़ में)
2018-19	48	2165	15.00
2019-20	37	1957	75.80
2020-21	9	406	12.85
2021-22	7	357	4.41
2022-23	36	1906	17.46
2023-24	31	2280	18.97

3. एनएचडीसी, बुनकरों को नवीनतम डाई तकनीकों के विषय में शिक्षित करने के लिए तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं बुनकरों की जानकारी के लिए भारत सरकार की चालू योजनाओं के विषय में भी निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है:

- क्रेता-विक्रेता बैठकें
- एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम।
- विभिन्न प्रकार के यार्न का प्रयोग करते हुए नए उत्पादों के विकास पर कार्यक्रम।

पिछले 6 वर्षों के दौरान एनएचडीसी का कुल कारोबार, लाभ, इत्यादि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष	कारोबार	कुल लाभ
2018-19	95093.59	(1621.82)
2019-20	74866.74	(1119.22)

2020-21	57203.63	(963.15)
2021-22	79856.28	(156.54)
2022-23	116948.44	(521.40)
2023-24	122749.61	*

* अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है |

2.5.4 भारतीय कपास निगम (सीसीआई)

सीसीआई, भारत सरकार द्वारा 1970 में कपास की मार्किटिंग के क्षेत्र में एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। अपनी शुरूआत के समय से, निगम निजी कपास व्यापारियों और अन्य संस्थागत खरीदार क्रेताओं से प्रतिस्पर्धा में प्रचालन कर रहा है। एमएसपी अभियानों के अंतर्गत इसकी बाजार हिस्सेदारी कुछ वर्षों को छोड़कर, जब यह 31 प्रतिशत तक चली गई थी, 5% से 8% तक है।

बदलते कपास परिदृश्य के साथ, निगम की भूमिका और कार्यों की समीक्षा की गई और समय-सयम पर इन्हें संशोधित किया गया। वर्ष 1985 में मंत्रालय से प्राप्त हुए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई उस स्थिति में न्यूनतम मूल्य समर्थन अभियान के लिए सरकार की एकमात्र एजेंसी है, जब कभी कपास (बीज कपास) का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे पहुंचता है। एमएसपी अभियानों के अलावा, घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की मांग आपूर्ति पूरा करने के लिए, विशेष रूप से जब इसकी फसल का समय नहीं होता है, निगम अपने जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद अभियान चलाता है। निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- जब कभी कपास का बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाए तो किसी मात्रा की सीमा के बिना मूल्य समर्थन अभियान चलाना।
- सीसीआई के अपने जोखिम पर केवल वाणिज्यिक अभियान प्रारंभ करना।

वित्तीय परिणाम

सीसीआई ने पिछले वर्ष के 3457.80 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 166.47 करोड़ रुपए का कारोबार किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रही:

विवरण	**वित्तीय वर्ष**	
	2022-23	**2023-24**
खरीद (गांठ लाख में)	1.05	32.93
बिक्री(गांठ लाख में)	0.34	0.83
कारोबार (रुपए करोडं में)	166.47	3457.80
कर पश्चात लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ में)	(55.54)	38.91

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अक्यूट (बाह्य रेटिंग एजेंसी) ने अल्प कालीन ऋण की रेटिंग एसीयूआईटीई ए1+ (एसीयूआईटीई

वन प्लस के रूप में पढ़ा जाए) और दीर्घावधि ऋण की रंटिंग एसीयूआईटीई एएए (एसीयूआईटीई ट्रिपल ए के रूप में पढ़ा जाए) अर्थात 25,000 करोड़ रुपए की बैंक सुविधा के रूप में पुन: पुष्टि की है। दृष्टिकोण 'स्थिर' है।

2.5.5 सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), नई दिल्ली

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे आमतौर पर "कॉटेज" के रूप में जाना जाता है) भारत और विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले भारत के हस्तशिल्पों और हथकरघा उत्पादों को कारीगरों/बुनकरों/शिल्पकारों से खरीद कर उनका विकास, संवर्धन करने और उन्हें बाजार में लाने में कार्यरत है। निगम के जवाहर व्यापार भवन (जेवीबी), नई दिल्ली में मार्किटिंग आउटलेट, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलूरू, चेन्नई सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, केवडिया (गुजरात) में लोटा शॉप हैं और यह www.thecottage.in पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

पूँजी

निगम की अधिकृत पूँजी 1200 लाख रुपए तथा प्रदत्त पूँजी 1085 लाख रुपए है।

कार्यशील परिणाम

क) कारोबार

वर्ष 2022-23 के दौरान निगम का सकल कारोबार पिछले वर्ष अर्थात 2020-21 के दौरान 2237.82 लाख रुपए की तुलना में 4643.76 लाख रुपए है।

ख) निर्यात

वर्ष 2022 23 के दौरान निगम का निर्यात पिछले वर्ष 37.44 लाख रुपए की तुलना में 118.93 लाख रुपए था।

ग) लाभप्रदता

पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2439.72 लाख रुपए की कर पूर्व हानि की तुलना में चालू वर्ष 1304.08 लाख रुपए की कर पूर्व हानि के साथ समाप्त हुआ। पिछले 3 वर्षों का सारांशीकृत कार्यशील परिणाम नीचे तालिका में दिया गया है:

(रुपए लाख में)

	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (मूल बजट अनुमान)**
कारोबार	1082.98	2237.82	4643.76	7500.00
कर पूर्व निवल लाभ(+) / हानि(-)	(-)2998.71	(-)2439.72	(1304.08)	(1010.00)
कर पश्चात निवल लाभ(+) / हानि(-)	(-)2992.17	(-)2437.64	(1300.95)	(1010.00)
लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

डिजाइनों/प्रदर्शनियों का विकास:

सीसीआईसी लगातार नए डिजाइन विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 170 नए डिजाइन विकसित किए गए।
वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम के संरक्षण का विस्तार करने के उद्देश्य से हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली शोरूम में 17 (सत्रह) और बाहरी एम्पोरियमों में 13 (तेरह) थीम आधारित प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं।

डिजीटल उपस्थिति:-

सीसीआईसी की अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट https://shoponline.cottageemporium.in है। वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए विवरण के साथ लगभग 14000 हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित हैं। उत्पादों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग, यूपीआई और पेटीएम द्वारा सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से खरीदा जा सकता है। कॉटेज जैम, ओएनडीसी पर भी उपस्थित है।

कार्मिक शक्ति की संख्या एवं प्रशिक्षण

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार निगम के कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च, 2022 को 203 की तुलना में 188 थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम/उपलब्धियां

- सीसीआईसी ने राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में एक नया शोरूम "लोटा शॉप" खोला है, जिसका उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री (वस्त्र), श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश} द्वारा किया गया।
- सीसीआईसी ने हथकरघा और हस्तशिल्प एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पाद उपलब्ध कराकर ओडीओपी उत्पाद सूची लॉन्च करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की सहायता की और जनपथ स्थित अपने प्रमुख शोरूम में ओडीओपी उत्पादों पर डिजिटल कैटलॉग और उनके लेख भी लॉन्च किए।
- सीसीआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों/प्रदर्शनी कंपनियों को हस्तशिल्प उत्पादों की विविधता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 'डिफएक्सपो 2022' और 90वें इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में भाग लिया।
- सीसीआईसी को जी-20 बैठकों के आयोजन के समय ही 55 (संख्या) शहरों में विषयगत स्टॉल प्रदर्शन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
- सीसीआईसी ने जनपथ हैंडलूम हाउस में "आदिवासी हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी" के लिए दृश्य प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें 60 से अधिक आदिवासी बुनकरों और कारीगरों ने भाग लिया और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया।
- सीसीआईसी ने नए संसद भवन के लिए मांग के अनुसार तैयार फ्रेम और प्रामाणिक पेंटिंग प्रदान करने के लिए आईजीएनसीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सीसीआईसी ने त्यौहारों और नव वर्ष के दौरान विशेष छूट रखी। इसके अलावा, "पुराने और कम चलने वाले स्टॉक के निपटान की नीति" के अनुसार तय पुराने हथकरघा स्टॉक पर ग्राहकों को विशेष छूट दी गई।

2.5.6 ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी):

ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (बीआईसी) को 24 फरवरी, 1920 को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत सरकार द्वारा इसे 11 जून, 1981 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में लिया गया। बीआईसी लिमिटेड, कानपुर दो ऊनी मिलों जैसे (1) कानपुर वूलन मिल्स शाखा, कानपुर (2) न्यू एजर्टन वूलन मिल्स शाखा, धारीवाल का मालिक है तथा उनका प्रबंधन करता है। इन दो मिलों के उत्पादों को क्रमशः 'लाल इमली' तथा 'धारीवाल' के ब्रांड नामों से जाना जाता है। ये यूनिटें वूलन/ब्लेंडेड सूटिंग, ट्वीड, वरदी का कपड़ा, लोही, शॉलों, गलीचों, कम्बलों आदि का निर्माण करती हैं।

बीआईसी लिमिटेड के पुनरुद्धार का प्रयास

वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर, बीआईसी लिमिटेड का मामला 1992 में बीआईएफआर का मामला को भेज दिया गया और इसे एक रूग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2002 में बीआईएफआर द्वारा कुल 211 करोड़ रुपए की लागत से एक पुनर्वास योजना अनुमोदित की गई थी। योजना को समग्र रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लीज होल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की अनुमति

प्रदान नहीं की गई थी। बीआईएफआर द्वारा 2008 में संशोधित पुनर्वासन योजना अनुमोदित की गई थी जिसमें भारत सरकार से 273 करोड़ रुपए की बजट सहायता तथा शेष 116 करोड़ रुपए अधिशेष भूमि की बिक्री से जुटाकर की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का पुनर्निर्माण संबंधी ब्यूरो (बीआरपीएसई) की सिफारिश के आधार पर, वर्ष 2011 में 338 करोड़ रुपए की संशोधित योजना मंजूर की गई थी। एक एमडीआरएस तैयार किया गया और इसे बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा 14.02.2008 को हुई इसकी सुनवाई में 157.35 करोड़ रुपए की सरकारी बजट सहायता तथा शेष राशि अधिशेष भूमि की बिक्री से कुल 273.28 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया गया था। बीआरपीएसई ने दिनांक 28.07.2010/18.12.2010 को हुई अपनी बैठक में 338.04 करोड़ की संशोधित योजना की सिफारिश की। संशोधित योजना को मंत्रिमंडल, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.06.2011 को आयोजित अपनी बैठक में इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी कि अधिशेष भूमि की बिक्री के लिए पहले उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति ली जाए और उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं होने के कारण लीज होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सका।

इसके बाद, नीति आयोग (भारत सरकार) ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की है और बंद किए जाने से पूर्व की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। इस संदर्भ में बीआईसी ने कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यन और विधि मान्यकरण के लिए एक स्वतंत्र पेशेवर सरकारी एजेंसी एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को नियुक्त किया है।

बीआईसी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

i) एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर

एल्गिन मिल्स कंपनी लि. की स्थापना 1864 में की गई थी और यह वर्ष 1911 में दो यूनिटों, एल्गिन नं.1 और एल्गिन नं. 2 को मिलाकर पंजीकृत की गई थी। इसमें बीआईसी की हिस्सेदारी 56.44% है और शेष एफआई आदि के पास है। एक अध्यादेश नामत: ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम 1981 द्वारा भारत सरकार ने बीआईसी लि. के सभी शेयरों का अधिग्रहण किया और इस प्रकार यह 11 जून, 1981 को एक सरकारी कंपनी बन गई। एल्गिन मिल्स कंपनी ने सरकारी कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया। कंपनी को सिविल बाजार और रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों, सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए सूती और मिश्रित फैब्रिक (तौलिए, चादरें, सूटिंग एवं सर्टिंग्स, ड्रिल, सैल्यूलर आदि) के उत्पादन का कार्य सौंपा गया था।

कंपनी को लगातार हो रहे घाटे के कारण, एसआईसीए के प्रावधान के तहत बीआईएफआर को मामला भेजा गया और उसे रुग्ण घोषित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने 1994 में कंपनी को बंद करने की सिफारिश की। एएआईएफआर ने 1997 में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 1999 में इसे बंद करने का आदेश पारित किया और आधिकारिक परिसमापक (ओएल) नियुक्त किया।

बीआईसी ने सभी सुरक्षित लेनदारों के बकाए का निपटान कर दिया है, जिसमें एक सुरक्षित लेनदार मेसर्स कोटक महिंद्रा बैंक ने एनओसी नहीं दिया है और वह अपनी गणना के अनुसार ऋण वसूलने पर अड़ा हुआ है। आधिकारिक परिसमापक ने एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड की चल संपत्ति बेच दी है।

इस इकाई की परिसंपत्तियों को ओएल से वापस लेने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 466 के तहत मंत्रालय द्वारा आवेदन दायर करने के लिए, बीआईसी के वकील की राय के अनुसार भारत सरकार के सबसे बड़े योगदानकर्ता/लेनदार होने से है, डीओएलए से राय प्राप्त करने के बाद मंत्रालय ने आधिकारिक परिसमापक से ईएमसीएल की भूमि परिसंपत्तियों को वापस लेने के लिए विद्वान एएसजी इलाहाबाद के माध्यम से कंपनी कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष आवेदन दायर किया है।

ii) कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कानपुर

कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड बीआईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसे वर्ष 1920 में निगमित किया गया था। इसकी 50.82% शेयरधारिता बीआईसी के पास है। कंपनी को घरेलू नागरिक बाजार और रक्षा, अर्धसैनिक बलों, सरकार और अन्य संस्थानों के लिए फैब्रिक और धागे के उत्पादन में लगाया गया।
लगातार घाटे मे चलने और कंपनी की निवल संपत्ति के घटने/निगेटिव हो जाने के कारण, कंपनी का मामला एसआईसीए के प्रावधान के तहत बीआईएफआर को भेजा और 1992 में कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1999 में इसे बंद करने

का आदेश पारित किया और एक सरकारी परिसमापक नियुक्त कर दिया। आधिकारिक परिसमापन ने कानपुर टेक्सटाइल्स की चल परिसंपत्तियों को बेच दिया है। बीआईसी के वकील की राय के अनुसार, भारत सरकार सबसे बड़ा योगदानकर्ता/लेनदार होने से, कंपनी अधिनियम की धारा 466 के तहत सरकारी परिसमापक से इस यूनिट की संपत्ति वापस लेने के लिए मंत्रालय द्वारा आवेदन दायर करने के लिए विधायी मामले विभाग से राय प्राप्त करने के बाद मंत्रालय ने विद्वान एएसजी इलाहाबाद के माध्यम से कंपनी की परिसंपत्तियां वापस लेने के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है। मामला न्यायाधीन है।

iii) ब्रुशवेयर लिमिटेड

ब्रशवेयर लिमिटेड की स्थापना 1893 में की गई थी। ब्रशवेयर लिमिटेड के कर्मचारियों को 2007 में वीआरएस दे दी गई और 2007 से मिल बंद कर दी गई है। ब्रशवेयर लिमिटेड की परिसंपत्ति बीआईसी के कब्जे में है।

2.5.7 भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) लि.,कोलकाता

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) 1971 में स्थापित भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई वस्त्र मंत्रालय की सरकारी एजेंसी है जो पटसन उत्पादकों के लिए एमएसपी नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है और कच्चे पटसन बाजार में मूल्य स्थिरकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जब एमएसपी नहीं चल रहा होता है तो कारोबार उत्पन्न करने के लिए जेसीआई सही समय पर एमएसपी से अधिक मूल्य पर पटसन की खरीद करके वाणिज्यिक अभियान भी चलाता है। जेसीआई के मूल्य समर्थन अभियानों में जब भी पटसन का प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है तो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना छोटे और सीमांत किसानों से एमएसपी पर कच्चा पटसन खरीदना शामिल है। ये अभियान, कच्ची पटसन के मूल्य में अंतर-मौसमी और अंतरा-मौसमी उतार-चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से अत्यधिक आपूर्ति उठाकर बाजार में एक नोशनल बफर के सृजन मे सहायता करते हैं। जेसीआई के विभागीय खरीद केन्द्र (डीपीसी), जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति हैं, किसानों से सीधे पटसन की खरीद करते हैं। जेसीआई के देश के पटसन उत्पादक राज्यों नामत: पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा आदि में लगभग 110 डीपीसी हैं।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, निगम की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रूपए और निवल मूल्य 143.70 करोड़ रुपए है। संपूर्ण अधिकृत पूंजी को भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया गया है।

मिशन:

i. देश के पटसन/मेस्टा उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की नीति का क्रियान्वयन करना।
ii. कच्चे पटसन क्षेत्र में मूल्य स्थिर एजेंसी के रूप में काम करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
iii. पटसन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विस्तार उपाय शुरू करना।

विजन:

विविधीकृत पटसन व्यापार के क्रियाकलाप, जो आत्म-निर्भरता और सतत लाभकारिता के दोहरे उद्देश्य के साथ पर्यावरण के अनुकूल हैं, के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए विशेष रूप से किसानों के हित और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्ची पटसन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना।

मुख्य कार्य:

- जब कच्ची पटसन का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक पहुंच जाए तो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाना।
- ऐसे उपयुक्त समय पर वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करना जब प्रचलित बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक हो।
- पटसन आईकेयर परियोजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, निगम का उद्देश्य फील्ड स्तर पर पटसन उत्पादकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करके सुदृढ़ कृषि विज्ञान पद्धति का प्रसार करना और प्रोत्साहित करना है। निगम आईकेयर परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को रेटिंग उद्देश्य के लिए सब्सिडी प्राप्त पटसन बीजों और सीआरजेएएफ एसओएनए और एनआईएनईईटी एसएएटीएचआई

जैसे रेटिंग एक्सिलेटेर्स का वितरण भी करता है।

- ई-कॉमर्स, अखिल भारत में जेडीपी फ्रेंचाइजी, खुदरा बिक्री और कमीशन एजेंटों के माध्यम से विभिन्न चैनलों द्वारा जूट विविधीकृत उत्पादों की मार्केटिंग। तिरुपति में प्रसादम वितरण के लिए जूट बैग की आपूर्ति करना।
- जियो - टेक्सटाइल्स, एग्रो - टेक्सटाइल्स और सैपलिंग बैग की मार्केटिंग करना।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों को खाद्यान्न पैकेजिंग की आपूर्ति करना।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

मात्रात्मक विवरण (गांठें लाख में)*	**2017-18**	**2018-19**	**2019 -20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
कच्ची पटसन की खरीद	3.15	0.73	1.00	0.91	0.07	2.86	7.11
कच्ची पटसन की बिक्री	2.49	2.50	1.55	0.99	0.16	1.07	5.21
अंतिम भंडार	2.24	1.35	0.20	0.13	0.03	1.82	3.62
वित्तीय (रु./ लाख)							
कच्ची पटसन की बिक्री	17406.26	18547.44	12173.06	10569	2222.63	10677.36	55444.07
बिक्री-पटसन बीज	580.79	322.50	392.54	816	766.36	509.09	754.41

*वित्तीय वर्ष डेटा

कच्ची पटसन और मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष कच्ची जूट और मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। विभिन्न ग्रेडों के मूल्य तय करते समय कम ग्रेड वाली पटसन के उत्पादन को कम करने और उच्च ग्रेड की पटसन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के मुद्दे को ध्यान में रखा गया है ताकि किसानों को उच्च ग्रेड वाली पटसन की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन के लिए भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेंसी है। इसे प्राथमिक रूप से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय एमएसपी के तहत कच्ची पटसन की खरीद के माध्यम से पटसन उगाने वाले किसानों के हित का संरक्षण करने और साथ ही पटसन किसानों और समग्र रूप में पटसन अर्थव्यवस्था के लाभार्थ कच्ची पटसन के बाजार को स्थिर करने के लिए अप्रैल, 1971 में स्थापित किया गया था।

जेसीआई आवश्यकता अनुसार एमएसपी अभियान चलाता है। कच्ची पटसन का व्यापार देशभर में 50 केंद्रों में किया जाता है। गत कई वर्षों के दौरान राज्य सहकारी समितियों के साथ मिलकर जेसीआई द्वारा खरीदी गई कच्ची पटसन का ब्यौरा इस प्रकार है।

(मात्रा 000' गांठों में)

वर्ष (जुलाई-जून)**	उत्पादन	खरीद			उत्पादन के प्रतिशत के रूप तुलना में खरीद
		सहायता	वाणिज्यिक.	कुल	
2019-20	6800	82.12	17.02	99.12	1.45
2020-21	6000	4.48	85.73	90.21	1.50
2021-22	9000	0.30	6.90	7.20	0.08
2022-23	9100	228.84	76.01	304.85	3.35
2023-24	9000	731.60	0	731.60	8.12

1 गांठ = 180 कि.ग्रा.

* पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति के अनुमान के अनुसार। पटसन सलाहकार बोर्ड द्वारा 2020-21 से पहले के उत्पादन आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है।

**जूट वर्ष डेटा

2.5.8 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी)

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लिमिटेड (एनजेएमसी लिमिटेड) को 3 जून, 1980 को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में पंजीकृत और/अथवा निगमित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित 6 (छह) जूट मिलें शामिल हैं, अर्थात पश्चिम बंगाल में नेशनल, किन्निसन, खरदाह, एलेक्जेंड्रा, यूनियन और बिहार के कटिहार में यूनिट आरबीएचएम। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति के लिए जूट के सामान (सैकिंग) के विनिर्माण व्यवसाय को जारी रखना था।

वर्ष 1993 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इसकी स्थापना के बाद से ही कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी तथा इसकी निवल संपत्ति में कमी आ रही थी। मार्च 2010 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ड्राफ्ट रिवाइवल प्लान, जिसकी कुल लागत 1417.53 करोड़ रुपये थी तथा जिसे नवंबर 2010 में संशोधित कर 1562.98 करोड़ रुपये कर दिया गया था, को जनवरी 2011 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वस्त्र मंत्रालय के इंटरवेंशन पर बी.आई.एफ.आर. ने अंततः 31.03.2011 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के पुनरुद्धार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि 19 मार्च 2010 को मंत्रिमंडल के निर्णय के मद्देनजर छह जूट मिलों में से एन.जे. एम.सी. द्वारा स्वयं अपनी तीन मिलों (पश्चिम बंगाल में किन्निसन, खरदाह तथा बिहार के कटिहार में आर.बी. एच.एम. इकाई) को चलाया जा सके।

रिवाइवल प्लान में मुख्य रूप से तीन मिलों अर्थात् नेशनल, यूनियन और एलेक्जेंड्रा को बंद करना और शेष तीन मिलों को चलाना शामिल था। इसमें सभी कर्मचारियों को वीआरएस देने, तीनों मिलों को चलाने के लिए मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, पूंजीगत व्यय आदि का प्रावधान था। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया। तथापि, एनजेएमसी की 3 मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास सफल नहीं हुए।

एनजेएमसी को बंद करने के कारण:-

संचालन के लिए पहचानी गई तीन मिलें अर्थात् बिहार में आरबीएचएम; और पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और किन्निसन मिलें वर्ष 2010 और 2011 में प्रचालनशील की गईं। कमीशन के आधार पर मजदूरों को काम पर रखकर उत्पादन शुरू किया गया। चूंकि, मिलें घाटे में चल रही थीं; अप्रैल 2014 में खड़गपुर मिल में और उसके बाद आरबीएचएम और किन्निसन मिल में उत्पादन के लिए अनुबंध के आधार पर मजदूरों को रखने का एक नया मॉडल पेश किया गया।

तथापि, इस मॉडल के माध्यम से संचालन में कुछ सुधार दिखाने के बावजूद, आईआर मुद्दों, लगातार हड़तालों और ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण मिलें सफलतापूर्वक नहीं चल सकीं। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि उद्योग में जूट सैकिंग के निर्माण की

पर्याप्त क्षमता है। तदनुसार, नीति आयोग ने एनजेएमसी को बंद करने की सिफारिश की।

अंततः, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10.10.2018 को एनजेएमसी को बंद करने की मंजूरी दे दी।

बंद करने की प्रक्रिया:- रिवाइवल प्लान के एक भाग के रूप में, सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था और वर्तमान में एनजेएमसी में कोई कर्मचारी नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, एनजेएमसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को भूमि परिसंपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एमएसटीसी लिमिटेड को एनजेएमसी लिमिटेड द्वारा भवनों सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बीच एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को चल और अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए प्री-एलएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। चल और अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्री-एलएमए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। एनजेएमसी द्वारा चल परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए एमएसटीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में एनजेएमसी की कुल देनदारियां/बकाया राशि 397.4637 करोड़ रुपये (31.03.2023 तक लेखापरिक्षीत) है। तथापि, एनजेएमसी की कुल संपत्ति 2688 करोड़ रुपये (सरकारी मूल्यांकन के अनुसार) है। खड़दा जूट मिल की बिल्डिंग सहित एनजेएमसी लिमिटेड की सभी इकाइयों की चल संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

2.5.9. बर्ड्स जूट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल), एनजेएमसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी

बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल) जूट फैब्रिक की एक प्रसंस्करण इकाई है, जो 1904 में स्थापित लैंसडाउन जूट मिल प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी थी। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) ने 1980 में राष्ट्रीयकरण के बाद परिसंपत्तियों को अपने अधीन कर लिया और बीजेईएल के 58.94% इक्विटी शेयरों का धारक बन गया। इसके बाद भारत सरकार ने 1986 में बीजेईएल के शेयरों को एनजेएमसी को हस्तांतरित करने का फैसला किया। और इस तरह यह 1986 में नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी बन गई।

बीजेईएल के बंद होने के कारण:- बीजेईएल ने अक्टूबर 2002 से उत्पादन गतिविधियाँ बंद कर दी थीं। तब से, कंपनी ने वर्ष 2014-15 तक कोई बिक्री कारोबार नहीं किया था। मार्च 2016 से, बीजेईएल विपणन कार्यों में शामिल है और छोटे निर्माताओं और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए एक एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है। बीआईएफआर ने अगस्त, 2012 में 137.88 करोड़ रुपये की कुल लागत पर एक रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी। रिवाइवल प्लान स्कीम (डीआरएस) को बीआईएफआर ने निम्नलिखित दो शर्तों के साथ मंजूरी दी:

i. एक एसेट सेल्स कमेटी (एएससी) का गठन किया जाना था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य थी।
i. बीजेईएल को अपने वर्तमान भूमि उपयोग को "औद्योगिक" से "वाणिज्यिक" में परिवर्तित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करना था।

मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की गैर-सहायक प्रकृति की वजह से इन दो शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण रिवाइवल प्लान पर कोई प्रगति नहीं हुई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बीजेईएल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बंद करने की प्रक्रिया:- रिवाइवल प्लान के एक हिस्से के रूप में, बीजेईएल के सभी कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया था। वर्तमान में बीजेईएल में कोई कर्मचारी नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, बीजेईएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

- एनबीसीसी (आई) लिमिटेड को भूमि परिसंपत्तियों के निपटान के लिए भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है और एमएसटीसी लिमिटेड को बीजेईएल द्वारा भवनों सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए नीलामी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बीच एनबीसीसी

(आई) लिमिटेड को चल और अचल परिसंपत्तियों के सत्यापन, आकलन और मूल्यांकन के लिए प्री-एलएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। चल और अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में प्री-एलएमए रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। बीजेईएल द्वारा चल परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए एमएसटीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में बीजेईएल की कुल देनदारियां/बकाया राशि 159.33 करोड़ रुपये (31.3.2023 तक ऑडिट की गई) है। तथापि, सरकारी मूल्यांकन के अनुसार बीजेईएल की कुल संपत्ति 809.79 करोड़ रुपये है। बीजेईएल के लिए चल परिसंपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

- पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 के प्रावधान के तहत भूमि पर स्वामित्व का दावा किया है।

अध्याय-III

निर्यात संवर्धन

3.1 निर्यात

भारत विश्व में वस्त्र और अपैरल का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) की हिस्सेदारी काफी अधिक 8.21% रही है। वस्त्र और अपैरल के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 3.91% है। भारत के लिए प्रमुख वस्त्र एवं अपैरल निर्यात गंतव्य यूएसए, और ईयू हैं, तथा कुल वस्त्र एवं अपैरल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी लगभग 47% है। रोजगार की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करता है और 100 मिलियन से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका का स्रोत प्रदान करता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल है। यह क्षेत्र पूर्णत: सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण युवा रोजगार जैसी प्रमुख पहलों के अनुरुप है। वस्त्र और अपैरल के निर्यात का विवरण इस प्रकार हैं:-

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल का निर्यात	29,877	42,347	34,997	34,072
हस्तशिल्प का निर्यात	1,708	2,088	1,689	1,802
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए का निर्यात	31,585	44,435	36,686	35,874
भारत का समग्र निर्यात	2,91,808	4,22,004	4,51,070	4,37,072
समग्र निर्यात में टीएंडए (हस्तशिल्प सहित) निर्यात की हिस्सेदारी का %	10.82%	10.53%	8.13%	8.21%

डाटा स्रोत : डीजीसीआईएंडएस *अनंतिम

- भारत के हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात में यूएसए, यूके और ईयू जैसे परंपरागत बाजारों की हिस्सेदारी 53% (यूएसए 28%, यूके 6% और ईयू 19%) है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल के वैश्विक निर्यात में ईयू-27 के भीतर, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन की हिस्सेदारी क्रमशः 4%, 3%, 3% और 3% है।
- हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल (टीएंडए) का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 36,686 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2% घटकर वर्ष 2023-24 में 35,874 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

3.2 आयात:

भारत वस्त्र और अपैरल का एक प्रमुख निर्यातक देश है और व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश आयात, पुन: निर्यात के लिए अथवा उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकता के लिए किया जाता है।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत द्वारा वस्त्र और अपैरल उत्पादों का आयात वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 15% कम हो गया है।

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का आयात	5,873	8,193	10,481	8,946

डाटा स्रोत: डीजीसीआईएण्डएसः *अनंतिम

3.3 निर्यात में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम

वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निर्यात के महत्व को देखते हुए, निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं:

- राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवियों में छूट (आरओएससीटीएल): दिनांक 7 मार्च, 2019 को, सरकार ने इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए परिधान/वस्त्र तथा मेड-अप के निर्यात पर सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों/लेवियों में छूट के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों में छूट (आरओएस सी टीएल) योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा, वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31 मार्च 2026 तक अपैरल/वस्त्र (अध्याय-61 और 62) और मेड-अप (अध्याय-63) के निर्यात पर आरओएससीटीएल को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल के तहत शामिल नहीं किए गए वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत शामिल किया गया है।

उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षो की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के दो भाग हैं; भाग-1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये के निवेश और 600 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये के निवेश और 200 करोड़ रुपये के न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 इस योजना के तहत जेस्टेशन अवधि थी। इस योजना के अंतर्गत कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार और उसके बाद वृद्धिशील कारोबार हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

योजना के तहत 73 आवेदकों का चयन किया गया। अनुमोदित 73 आवेदनों में कुल प्रस्तावित निवेश 28,387 करोड़ रुपये होगा, अनुमानित कारोबार 2,12,088 करोड़ रुपये होगा और प्रस्तावित रोजगार सृजन 2,56,451 होगा। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार तिमाही समीक्षा रिपोर्ट (क्यूआरआर) के अनुसार, योजना के तहत पात्र निवेश चुने गए 33 आवेदकों का 3,362 करोड़ रुपए था, जिनमें से चुने गए 19 आवेदकों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया, 166 करोड़ रुपये के निर्यात सहित 1355 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त किया तथा 12,472 रोजगार सृजित हुए।

- **मुक्त व्यापार करार:**

भारत ने अब तक 14 मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में संपन्न किया गया करार और ईएफटीए (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन) देशों, जिनमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन भी शामिल हैं, के साथ टीईपीए (व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार) शामिल है। भारत ने विभिन्न व्यापारिक साझेदारों के साथ 6 अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) किए हैं। भारत वर्तमान में अपने कुछ व्यापारिक साझेदारों के साथ एफटीए बातचीत कर रहा है, इन एफटीए में उल्लेखनीय एफटीए - भारत-यूके मुक्त व्यापार करार, भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार और भारत-ओमान एफटीए हैं।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए वस्त्र संबंधी संयुक्त कार्य समूहों के माध्यम से विभिन्न देशों (जैसे जापान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान) के साथ बातचीत कर रहा है।

- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश:** मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो के समन्वय से वस्त्र उत्पादों के लिए मानकों की अधिसूचना को सक्रियता से शुरू की है और गुणवत्ता को विनियमित करने और निम्न गुणवत्ता वाले आयातों पर अंकुश लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं।

- **सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) संबंधी अधिसूचनाओं के लिए इनपुट**

मंत्रालय ने संबंधित विभागों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से वाणिज्य विभाग को डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा जारी एसपीएस और टीबीटी अधिसूचनाओं पर तकनीकी इनपुट प्रदान किए।

- **मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर वस्त्र सलाहकार समूह**

मंत्रालय ने इस क्षेत्र के मामलों और चिंताओं पर विचार-विमर्श तथा सिफारिशें करने के लिए विस्कोस सहित देश के संपूर्ण मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) के हितधारकों को शामिल करते हुए "मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर वस्त्र सलाहकार समूह" का गठन किया है। मंत्रालय निरंतर उद्योग (निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों) के साथ बातचीत कर रहा है और जरूरत के आधार पर उचित कार्रवाई कर रहा है।

3.4 निर्यात संवर्धन परिषदें:

ग्यारह निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं जो फाइबर से लेकर तैयार समान तक वस्त्र और अपैरल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों के साथ हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये परिषदें वैश्विक बाजारों में अपने-अपने क्षेत्रों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य करती हैं। परिषदें निर्यात बढ़ाने और नए बाजारों तक पहुँचने के लिए भारत और विदेशी बाजारों में वस्त्र और अपैरल मेलों और प्रदर्शनियों और स्टैंड अलोन शो में भाग लेती हैं। एसआरटीईपीसी को मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों के अलावा तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है और उन्होंने इस क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वंय को एमएटीईएक्सआईएल के रूप में पुनः नामित किया है।

वस्त्र मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों का विवरण निम्नानुसार है:

i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
ii. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
iii. सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी) / मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (एमएटीईएक्सआईएल)
iv. ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ईपीसी)
v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद (वूल टेक्सप्रो)
vi. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
ix. पावरलूम विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पैडिक्सिल)
x. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)
xi. पटसन उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)

ईपीसी के क्रियाकलापः

- संबंधित ईपीसी द्वारा न्यूजलेटर प्रकाशित करना।
- विभिन्न बाजारों, नीतिगत विकास, निर्यात से संबंधित समाचार, सरकारी अधिसूचनाएं, निर्यात लक्ष्य, विदेशी व्यापार पूछताछ, फैशन और प्रौद्योगिकी विकास पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना।

3.5 भारत टेक्स 2024

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के संघ द्वारा वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से 26 से 29 फरवरी, 2024 तक भारत टेक्स 2024 - ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह असाधारण आयोजन पूरे विश्व से विविध उद्योग विशेषज्ञों, विनिर्माताओं, विक्रेताओं, खरीददारों, डिजाइनरों और वस्त्र प्रेमियों को एक साथ लाने में सफल रहा। यह प्रदर्शनी संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को प्रस्तुत करने में भी सफल रहा जिसमें अपैरल, होम फर्नीसिंग्स, फ्लोर कवरिंग्स, फाइबर्स, यार्न, वूल, थ्रेड्स, फैब्रिक्स, कारपेट, सिल्क, वस्त्र आधारित हस्तशिल्प, हथकरघा, सिंथेटिक, रेयान, सूती वस्त्र, जूट, ऊनी गारमेंट्स, तकनीकी वस्त्र और इस तरह की और अधिक अन्य वस्त्रों को पूरी सुविधाजनक तरीके से एक जगह लाया गया। भारतीय वैश्विक आयोजन ने विश्व को भारतीय वस्त्र क्षेत्र की जबर्दस्त ताकत को सफलतापूर्वक दर्शाया और वस्त्र तथा फैशन उद्योग में हो रही नवीनतम प्रगतियों, नए-नए प्रयासों और रूझानों को प्रस्तुत किया गया। इससे नेटवर्किंग अवसरों और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक घरानों तथा साथ ही वस्त्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों के भारतीय उद्योगपत्तियों के बीच बहुमूल्य व्यापारिक सहयोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार हुआ।

4.1 कपास

प्रस्तावना

अध्याय-IV

कच्ची सामग्री सहायता

कपास देश की प्रमुख फसलों में से एक है और यह घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। यह कपास उद्योग में लगे लाखों किसानों तथा कामगारों को कपास के प्रसंस्करण से लेकर इसके व्यापार तक आजीविका उपलब्ध कराता है। भारत में वस्त्र उद्योग में कच्ची सामग्री खपत में कपास और मानव निर्मित फाइबर तथा फिलामेंट यार्न का अनुपात 60:40 है।

परिदृश्य :

क. उत्पादन एवं खपत:

भारत में कपास की खेती तीन भिन्न कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में की जाती है, उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य शामिल हैं, मध्य क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य आते हैं और दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और तमिलनाडु आते हैं। कपास की खेती पश्चिम बंगाल आदि जैसे गैर-परंपरागत राज्यों के छोटे क्षेत्रों में भी की जाती है। भारत ने आजादी के पश्चात से कपास के उत्पादन में एक मात्रात्मक तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार किया है। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातकों में से एक बन गया है।

कपास मौसम 2019-20 से कपास के उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2019-20	365.00	269.19
2020-21	352.48	334.87
2021-22	311.17	322.41
2022-23	336.60	313.63
2023-24 (P)	325.22	323.00

स्रोत:कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 24/06/24, पी-अनंतिम

ख. क्षेत्रफल/उत्पादकता:

भारत में कपास की खेती के अंतर्गत 126.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल अर्थात 313.33 लाख हैक्टेयर के विश्व क्षेत्रफल का लगभग 40% के साथ विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल है। लगभग 62% भारतीय कपास वर्षा सिंचित क्षेत्रों और 38%

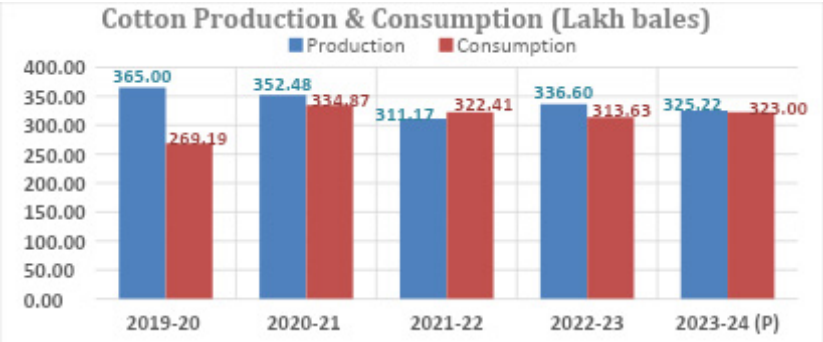

सिचिंत भूमि पर उगाई जाती है। कपास मौसम 2019-20 से भारत में कपास का क्षेत्रफल और उत्पादकता निम्नानुसार है :

(किलोग्राम प्रति हैक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन
2019-20	134.77	460.00
2020-21	132.85	451.00
2021-22	123.71	428.00
2022-23	129.27	443.00
2023-24 (पी)	126.80	436.00

स्रोत :कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 24/06/24, पी-अनंतिम

ग. आयात/निर्यात:

वर्तमान में, कपास भारत से स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य वस्तु है। भारत मुख्य रूप से बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड आदि को कपास का निर्यात करता है जिसमें से बंगलादेश और चीन भारतीय

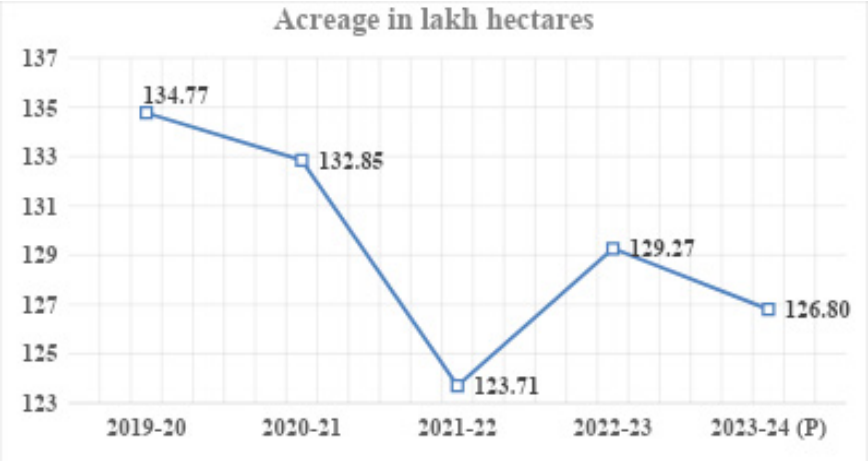

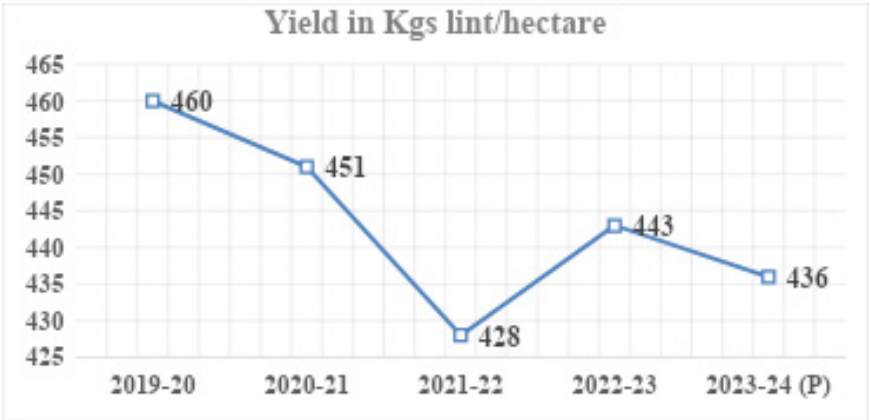

कपास का सबसे बड़े आयातक हैं। यद्यपि भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है, एक्स्ट्रा लांग स्टेपल किस्म जो देश में उपलब्ध नहीं है, की कुछ मात्रा आयात की जाती है। कपास वर्ष 2019-20 से आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2019-20	15.50	47.04
2020-21	11.03	77.59
2021-22	21.13	42.25
2022-23	14.60	15.89
2023-24 (पी)	12.00	28.00

स्रोत :कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 24/06/24, पी-अनंतिम

घ. कपास का तुलन-पत्र :

(170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ लाख में)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आपूर्ति					
प्रारंभिक स्टॉक	56.52	120.79	71.84	39.48	61.16
फसल आकार	365.00	352.48	311.17	336.60	325.22
आयात	15.50	11.03	21.13	14.60	12.00
कुल आपूर्ति	**437.02**	**484.30**	**404.14**	**390.68**	**398.38**
मांग					
कुल खपत (एमएसएमई, गैर एमएसएमई और गैर वस्त्र सहित)	269.19	334.87	322.41	313.63	323.00
निर्यात	47.04	77.59	42.25	15.89	28.00
कुल मांग	316.23	412.46	364.66	329.52	351.00
अंतिम स्टॉक	120.79	71.84	39.48	61.16	47.38

स्रोत :कपास उत्पादन और खपत संबंधी समिति (सीओसीपीसी) की बैठक दिनांक 24/06/24, पी-अनंतिम

ङ. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसमएसपी) अभियान:-

बीज कपास (कपास) का मूल्य एमएसपी के स्तर से नीचे आ जाने पर एमएसपी दरों पर विभिन्न एपीएमसी बाजार यार्डों

में कपास किसानों द्वारा लाई गई कपास की संपूर्ण मात्रा की खरीद करने के लिए अभियान चलाने हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को नामित किया गया है।

कपास वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर) के आरम्भ होने से पहले, प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा उत्पादन लागत के 1.5 गुना (ए2+एफएल) के फार्मूले के आधार पर एमएसपी की सिफारिश की जाती है, ताकि किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक अर्थात उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जा सके।

तदनुसार, सीएसीपी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रालय ने उचित कपास की दो बुनियादी किस्मों अर्थात मध्यम स्टेपल लंबाई (24.5 मिमी से 25.5 मिमी की स्टेपल लंबाई और 4.3 से 5.1 माइक्रोनेयर मूल्य) और लंबी स्टेपल लंबाई (29.5 से 30.5 मिमी की स्टेपल लंबाई और 3.5 से 4.3 माइक्रोनेयर मूल्य) के लिए एमएसपी घोषित किया है।

कपास मौसम वर्ष 2023-24 के लिए, कृषि मंत्रालय ने उचित ग्रेड के मध्यम स्टेपल के लिए 6620/- रुपये प्रति क्विंटल और लंबी स्टेपल कपास के लिए 7020/- रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दरें तय की है। कपास मौसम 2019-20 से कृषि मंत्रालय द्वारा तय की गई एमएसपी की दरें निम्नानुसार हैं:-

फसल वर्ष	**मध्यम स्टेपल (स्टेपल लंबाई 24.5 मिमी -25.5 मिमी और माइक्रोनेयर 4.3 - 5.1)**			**लम्बी स्टेपल (स्टेपल लम्बाई 29.5 मिमी -30.5 मिमी और माइक्रोनेयर 3.5 - 4.3)**		
	एमएसपी दर (रु./क्विंटल)	**एमएसपी में वृद्धि**		**एमएसपी दर (रु./क्विंटल)**	**एमएसपी में वृद्धि**	
		रु./क्विंटल	**%**		**रु./क्विंटल**	**%**
2019-20	5255	105	2.04%	5550	100	1.83%
2020-21	5515	260	4.95%	5825	275	4.95%
2021-22	5726	211	3.83%	6025	200	3.43%
2022-23	6080	354	6.18%	6380	355	5.89%
2023-24	6620	540	8.88%	7020	640	10.03%

बीज कपास (कपास) की इन दो मूल किस्मों के समर्थन मूल्य के आधार पर और गुणवत्ता अंतर, सामान्य मूल्य अंतर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, अन्य श्रेणियों के उचित बीज कपास (कपास) के लिए एमएसपी भारत

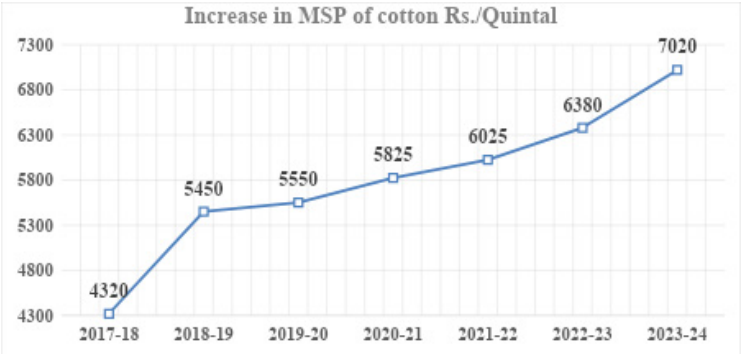

के वस्त्र आयुक्त द्वारा तय की जाती है। कपास मौसम 2023-24 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए कपास की अन्य किस्मों हेतु भारत के वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धिरित एमएसपी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कपास की श्रेणियों और व्यापार द्वारा प्रयुक्त निर्दिष्ट किस्मों के नाम	फाइबर गुणवत्ता पैरामीटर		न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2023-24रुपये / क्विंटल में
		मूल स्टेपल लंबाई मिमी में	माइक्रोनेयर मूल्य	
लघु स्टेपल (20.0 मिमी और नीचे)				
1	असम कोमिला	--	7.0-8.0	6120
2	बंगाल देशी	--	6.8-7.2	6120
मध्यम स्टेपल (20.5 मिमी -24.5 मिमी)				
3	जयधर	21.5-22.5	4.8-5.8	6370
4	वी-797 / जी.कॉट.13 / जी.क़ॉट.21	21.5-23.5	4.2-6.0	6420
5	एके/वाइ-1 (महा.एवं म.प्र.)/ एमसीयू-7 (त.ना.)/ एसवीपीआर-2 (त.ना.)/ पीएसओ-2 (आ.प्र. एवं कर्ना.) / के.-11 (त.ना.)	23.5-24.5	3.4-5.5	6470
मध्यम लंबा स्टेपल (25.0 मिमी -27.0 मिमी)				
6	जे -34 (राज)	24.5-25.5	4.3-5.1	6620
7	एलआरए-5166 / के.सी.-2 (त.ना.)	26.0-26.5	3.4-4.9	6720
8	एफ-414 / एच-777 / जे-34 हाइब्रिड	26.5-27.0	3.8-4.8	6770
लंबा स्टेपल (27.5 मिमी -32.0 मिमी)				
9	एफ-414 / एच-777 / जे-34 हाइब्रिड	27.5-28.5	4.0-4.8	6920
10	एच-4/ एच-6/ एमईसीएच/ आरसीएच-2	27.5-28.5	3.5-4.7	6920
11	शंकर-6/10	27.5-29.0	3.6-4.8	6970
12	बन्नी/ब्रह्म	29.5-30.5	3.5-4.3	7020
अतिरिक्त लंबा स्टेपल (32.5 मिमी और अधिक)				

13	एमसीयू-5 / सुरभि	32.5-33.5	3.2-4.3	7220
14	डीसीएच-32	34.0-36.0	3.0-3.5	7420
15	सुविन	37.0-39.0	3.2-3.6	8220

च. वर्ष 2023-24 के दौरान कपास का एमएसपी अभियान

नया कपास मौसम 2023-24 दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था। प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थिति और पिंक बॉलवर्म संक्रमण के कारण, उत्तरी और दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में कपास की बुवाई प्रभावित हुई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, डीएसीएंडएफडब्ल्यू और क्षेत्रीय स्रोतों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, कपास मौसम 2022-23 के दौरान कपास की खेती के तहत क्षेत्र 129.27 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2% अर्थात 126.80 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। तदनुसार, देश में कपास का उत्पादन भी पिछले वर्ष के 336.60 लाख गांठों की तुलना में 3% अर्थात 325.22 लाख गांठ कम हो गया है।

कपास के लिए एमएसपी अभियान को सुचारू रूप से और कुशल तरीके से निष्पादित करना सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई शाखाएँ एपीएमसी, स्थानीय निकायों और राज्य प्राधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय समन्वय कर रही हैं। सभी कपास उत्पादक राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए जाएँ:-

क सभी राज्यों द्वारा किसानों के डाटा का डिजिटलीकरण, जिन्होंने अभी तक यह नहीं किया है, यह सुनिश्चित करना कि एमएसपी योजना के पूरे लाभ वास्तविक कपास किसानों को मिलें।

ख कपास एमएसपी योजना के लाभ उठाने के लिए किसान के पंजीकरण आधारित आधार की अनिवार्य अपेक्षा के बारे में किसानों ने इसका सार्वजनिक रूप से व्यापक प्रचार करना।

ग स्टेट वेयरहाउंसिल कारपोरेशन (एसडब्ल्यूसी), राज्य सरकारें एमएसपी अभियानों के तहत सीसीआई द्वारा खरीदी गई कपास गांठों के भंडारण के लिए भंडारण स्थलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

घ राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के तहत सभी एपीएमसी में सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करेंगी और राज्य के स्वामित्व वाले गोदामों में एमएसपी अभियानों की समुचित निगरानी तथा बेहतर पारदर्शिता के लिए रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

ड़ संबंधित मार्किट यार्डों में उपलब्ध बुनियादी ढांचों की सुविधाओं के आंकलन के आधार पर मार्किट यार्डों में दैनिक आवकों को विनियमित करना ताकि लंबी लाइनों और कानून और व्यवस्था की समस्याओं से बचा जा सके।

कपास मौसम 2023-24 के दौरान, सीसीआई ने एमएसपी अभियान के तहत 11,712 करोड़ रुपये मूल्य की 32.84 लाख गांठें खरीदी हैं, जिससे सभी कपास उत्पादक राज्यों में लगभग 7.25 लाख कपास किसान लाभान्वित हुए हैं।

सीसीआई ने कपास किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:-

i. 17 शाखाओं के नेटवर्क के तहत आगामी कपास वर्ष 2014-15 के लिए सभी कपास उत्पादक राज्यों में 11 कपास उत्पादक राज्यों में 145 जिलों में 490 खरीद केंद्र खोले गए हैं।

ii. एपीएमसी में बैनर प्रदर्शित करके, समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, व्यक्तिगत किसानों को पैम्फलेट वितरित करके कपास किसानों को एमएसपी दरों के बारे में आवश्यक जानकारी का प्रसार किया जा रहा है।

iii. किसानों को उनकी कपास का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु, सीसीआई और स्थानीय निकायों द्वारा एपीएमसी में बिक्री हेतु सूखी कपास लाने के लाभ पर जोर दिया जा रहा है।

iv. एमएसपी अभियान के समन्वय और निगरानी के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्र और शाखा स्तर पर एमएसपी सेलों का गठन किया गया।

v. एमएसपी स्टॉक के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण स्थल उपलब्ध कराने हेतु सीडब्ल्यूसी के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है।

vi. कपास किसानों को एमएसपी के तहत कपास की खरीद के लिए ऑन स्पोट किसानों का आधार

आधारित पंजीकरण और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान लागू किया गया।

vii. कपास किसानों में एमएसपी दरों, निकटतम खरीद केंद्रों, और अतिरिक्त सुविधाओं जैसे पैमेंट ट्रेकिंग, सर्वोत्तम खेती प्रक्रियाओं पर वीडियो, मौसम की रिपोर्टों, कॉटन से संबंधित न्यूनतम समाचारों, शिकायत निवारण और लाइव चैट सपोर्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सीसीआई ने 9 क्षेत्रीय भाषाओं में "कॉट ऐली" मोबाइल ऐप लांच किया।

viii. ब्लॉक चैन आधारित क्यूआर कोडेड बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम (बीआईटीएस) विकसित किया गया है। जिससे 01 अक्टूबर, 2023 से सीसीआई द्वारा खरीदी गई कपास गांठों की संपूर्ण ट्रेसिबिलिटी मिल रही है।

ix. प्रत्येक खरीद केंद्र और गोदामों के स्तर तक टीआरपी पहुंच।

छ. वस्त्र सलाहकार समूह (टीएजी)

कपास की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के मुद्दों - कपास की उत्पादकता, मूल्य, ब्रांडिंग आदि के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में वस्त्र सलाहकार समूह (टीएजी) का गठन किया गया है। टीएजी से अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुकर बनाता है और इसमें सम्पूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों जैसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, बीआईएस, एपीईडीए, वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति, सीसीआई से भी हितधारकों का प्रतिनिधित्व होता है।

टीएजी के मिशन मोड दृष्टिकोण से:

i. उर्वरक मंत्रालय के समन्वय से रंगीन उर्वरक बैग काम में लिए गए हैं, जिससे कपास के रेशे में सफेद प्रदूषक कम हो गए हैं।

ii. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समन्वय में ईएलएस कपास के लिए एचडीपीएस, निकट के अंतर और उत्पादन तकनीक जैसी प्रौद्योगिकियों को लक्षित करने के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई है, जिसका बजट परिव्यय 41.87 करोड़ रुपये है, जो किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में क्लस्टर-आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण पर आधारित है।

iii. मार्च 2023 में ईएलएस कपास के आयात के लिए एक अलग एचएसएन कोड की घोषणा की गई है, जो ईएलएस कपास के आयात की वास्तविक मात्रा का पता लगाने, घरेलू स्तर पर ईएलएस कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नीतिगत पहल और आयात प्रतिस्थापन में सहायक होगा।

iv. भारतीय कपास की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार की पहल व्यापार और उद्योग को "कस्तूरी कॉटन इंडिया" के रूप में भारतीय कपास की ट्रेसिबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए स्व-नियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करके की गई है।

v. कपास आंकड़ों में वृद्धि करके, एमसीएक्स पर कपास व्यापार को मजबूत करके, कपास के लिए परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करके, हाथ से चलने वाली कपास तोड़ने वाली मशीनों आदि के माध्यम से कपास की कटाई का मशीनीकरण जैसी विभिन्न पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4.2 पटसन और पटसन वस्त्र

प्रस्तावना:

पटसन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख उद्योगों में से एक है। पटसन, गोल्डन फाइबर, सुरक्षित पैकेजिंग हेतु सभी मानकों को पूरा करने के लिए एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, बायो-डिग्रेडेबल तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद है। यह अनुमान है कि पटसन उद्योग संगठित

मिलों और तृतीयक क्षेत्र और सम्बद्ध गतिविधियों सहित विविध इकाईयों में कार्यरत 4.00 लाख कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सहायता करता है। इसके अलावा पटसन के व्यापार में बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-2024 तक कच्ची पटसन का तुलन-पत्र :

(मात्रा: 180 कि.ग्रा. की प्रत्येक गांठ लाख में)

	2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
i) प्रारंभिक स्टॉक						
ii) पटसन और मेस्टा फसल	18.40	18.0	5.00	19.00	23.00	30.00
iii) आयात	68.00	60.0	90.00	91.00	90.00	74.00
कुल :	4.00	2.0	4.00	6.00	6.00	5.00
(ख) वितरण:	**90.40**	**80.0**	**99.00**	**116.00**	**119.00**	**109.00**
iv) मिल खपत						
v) घरेलू/ औद्योगिक खपत	54.00	62.0	66.00	76.00	72.00	70.00
vi) निर्यात	10.00	8.0	12.00	15.00	15.00	12.00
कुल:	NIL	5.0	2.00	2.00	2.00	2.00
(ग) अंतिम स्टॉक:	64.00	75.0	80.00	93.00	89.00	84.00
i) प्रारंभिक स्टॉक	**26.40**	**5.0**	**19.00**	**23.00**	**30.00**	**25.00**

स्रोत: 2019-20 तक: पटसन सलाहकार बोर्ड और 2020-21 से: पटसन संबंधी विशेषज्ञ समिति* अनुमानित

पटसन के तहत क्षेत्रफल:

राज्य	**पटसन का क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर)**						
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
असम	72.13	75.14	69.95	65.79	64.25	62.88	61.50
बिहार	93.91	91.38	83.47	70.63	48.39	42.48	51.10
मध्य प्रदेश	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	6.66	6.67	6.67	6.68	6.68	6.68	6.70
नागालैंड	3.06	3.07	3.08	3.08	3.08	2.46	0.10
ओडिशा	1.20	0.75	0.95	0.20	0.15	0.76	3.50
त्रिपुरा	0.65	0.59	0.55	0.66	0.62	0.44	0.40
पश्चिम बंगाल	544.70	522.47	515.08	518.26	505.23	506.16	506.00

अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारत	728.31	706.07	685.75	665.30	628.39	621.86	629.30

राज्य	**मेस्टा का क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर)**						
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
आंध्र प्रदेश	5.00	7.00	5.00	3.00	2.00	1.00	1.00
असम	4.30	3.54	3.42	3.29	3.22	3.12	2.90
बिहार	16.48	16.32	20.73	14.48	13.70	12.86	12.60
छत्तीसगढ	1.20	1.10	1.08	1.10	0.97	0.66	0.50
कर्नाटक	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00
मेघालय	4.47	4.46	4.47	4.48	4.48	4.48	4.50
नगालैंड	1.85	1.88	1.90	1.93	1.96	1.96	0.00
ओडिशा	8.69	6.39	6.26	0.00	4.69	3.77	3.70
त्रिपुरा	0.63	0.58	0.54	0.49	0.43	0.268	0.30
पश्चिम बंगाल	9.38	13.70	10.36	10.75	12.43	12.47	12.60
अन्य	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारत	54.00	57.34	55.76	39.52	44.88	40.59	38.00
राज्य	**मेस्टा का क्षेत्रफल ('000 हेक्टेयर)**						
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
आंध्र प्रदेश	5.00	7.00	5.00	3.00	2.00	1.00	1.00
असम	76.43	78.68	73.36	69.08	67.47	66.00	64.50
बिहार	110.39	107.70	104.20	85.12	62.09	55.34	63.70
छत्तीसगढ़	1.20	1.10	1.08	1.10	0.97	0.66	0.50
कर्नाटक	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	8.00	8.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00
मेघालय	11.13	11.13	11.14	11.15	11.16	11.16	11.20
नागालैंड	4.91	4.95	4.98	5.01	5.04	4.42	0.10
ओडिशा	9.89	7.14	7.21	0.20	4.84	4.53	7.20

त्रिपुरा	1.28	1.17	1.09	1.15	1.05	0.70	0.70
पश्चिम बंगाल	554.08	536.17	525.44	529.01	517.66	518.63	518.50
अन्य	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारत	782.30	763.41	741.51	704.82	673.28	662.44	667.30

स्रोत: - पटसन विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कोलकाता

कच्ची पटसन का वार्षिक मूल्य रूझान (रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष (जुलाई से जून)	**टीडी-5 के लिए कच्ची पटसन का वार्षिक औसत मूल्य (पश्चिम बंगाल से बाहर)**	**एमएसपी**
2019-20	4645	3950
2020-21	6447	4225
2021-22	6530	4500
2022-23	5896	4750
2023-24	5493	5050
2024-25	-	5335

पटसन के सामान: पटसन के फाइबरों का प्रयोग पटसन सामानों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है। पटसन उद्योग काफी हद तक पैकेजिंग के लिए वस्त्र का उत्पादन करने में लगा हुआ है। निम्नलिखित तालिका पिछले 5 वर्षों में सैकिंग, हैसियन और घरेलू उपभोग के साथ अन्य सभी उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है।

पटसन सामानों के उत्पादन का रूझान

(मात्रा 000' मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	**हैसियन**	**सैकिंग**	**कारपेट बैकिंग क्लोद**	**अन्य**	**कुल**
2019-20	127.5	923.5	0.9	113.2	1165.1
2020-21	118.4	739.2	1.1	104.1	962.8
2021-22	119.4	865.1	1.7	93.8	1080.0
2022-23	117.6	1041.0	0.0	88.0	1246.6
2023-24	103.7	1071.8	0.0	81.5	1257.0

स्रोत: पटसन मिल, आईजीएमए

पटसन वस्तुओं की घरेलू मांग:

(मात्रा 000' मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	हैसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लोद	अन्य	कुल
2019-20	113.8	907.9	0.5	94.7	1116.9
2020-21	96.0	736.4	1.0	82.9	916.3
2021-22	93.1	834.5	0.4	72.3	1000.3
2022-23	89.2	1012.9	0.0	68.5	1170.6
2023-24	85.9	1033.8	0.0	63.1	1182.8

स्रोत: पटसन मिलें, आईजेएमए

(क) सरकारी एजेंसियों द्वारा बी-ट्विल बैग की खरीद:

भारत सरकार ने कच्ची पटसन उत्पादकों और पटसन उद्योग से जुड़े कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2023 को एक बिक्री आदेश. 5459(ई) आदेश जारी किया है, जिसमें खाद्यान्न को 100% और चीनी को 20% पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाना अनिवार्य है।

वास्तव में, दिनांक 30-11-2018 से, वस्त्र मंत्रालय के आदेश द्वारा खाद्यान्नों के लिए आरक्षण को 100% तक बढ़ा दिया गया था, जो कि पिछले वर्षों में 90% था, जिससे पटसन उद्योग को अधिक संरक्षण/सहायता देने के लिए भारत सरकार के बढ़ते संरक्षण का पता चलता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका: पिछले 5 वर्षों में सरकार द्वारा अनुशंसित आरक्षण का स्तर:

वर्ष	चीनी	खाद्यान
2019-20	20%	100%
2020-21	20%	100%
2021-22	20%	100%
2022-23	20%	100%
2023-24*	20%	100%

*आदेश को दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

विभिन्न राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियां पटसन आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से खाद्यान्न पैकिंग के लिए हर महीने पटसन के बैग खरीदती हैं। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि राज्य सरकारों और एफसीआई द्वारा बी ट्विल बैग की खरीद की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में खरीद की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है:

मात्रा: '000' गांठों में

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मात्रा	2709	3161	2826	2546	2755	2961	3666

(ख) पटसन सामानों का उत्पादन

भारत दुनिया में पटसन उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी देश है, जो विश्व के अनुमानित उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा है। निर्मित पटसन वस्तुओं का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से घरेलू बाजार में पैकेजिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में पटसन की वस्तुओं के उत्पादन का रुझान नीचे दिया गया है:-

पटसन की वस्तुओं के उत्पादन का रुझान

(मात्रा 000' मी.ट. में)

अवधि अप्रैल-मार्च	हेसियन	सैकिंग	कारपेट बैकिंग क्लॉथ	अन्य	कुल
2019-20	127.5	923.5	0.9	113.2	1165.1
2020-21	118.4	739.2	1.1	104.1	962.8
2021-22	119.4	865.1	1.7	93.8	1080.0
2022-23	117.6	1041.0	0.0	88.0	1246.6
2023-24	103.7	1071.8	0.0	81.5	1257.0

स्रोत: पटसन मिलें, आईजेएमए

हेसियन, यार्न और अन्य सहित पारंपरिक पैकेजिंग उत्पादों के निर्यात में कमी और सस्ते और बेहतर गुणवत्ता वाले हेसियन फैब्रिक के बढ़ते आयात के कारण, हेसियन का उत्पादन घट रहा है, जबकि 2020-21 के दौरान कमी के बाद पिछले 3-4 वर्षों से सैकिंग का उत्पादन स्थिर रहा है। सैकिंग के उत्पादन की उच्च मात्रा का कारण सरकारी एजेंसियों की निरंतर मांग है।

(i) पटसन वस्तुओं का निर्यात निष्पादन:

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान निर्यात के रुझान निम्नानुसार हैं:

(मात्रा: 000' मी.ट. मूल्य: करोड़ रुपये)

प्रकार	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
हेसियन	56.3	758.42	56.4	805.72	90.6	1112.90	80.76	1072.36	86.10	794.33
सैकिंग	38.9	489.49	31.0	438.48	51.5	640.58	52.63	693.66	35.70	411.96
यार्न	14.1	117.91	11.6	131.54	10.5	144.45	7.71	90.83	8.43	79.76
जेडीपी	-	963.44	-	1260.79	-	1743.95	29.64	1506.62		1373.97
अन्य	4.4	94.58	3.8	103.93	9.0	143.98	6.52	147.10	33.10	143.90
कुल	113.7	2423.84	102.8	2740.46	161.6	3785.86	177.26	3510.60	163.33	2803.92

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(ii) कच्ची पटसन और पटसन वस्तुओं का आयात:-

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान आयात का रुझान निम्नानुसार है:

भारत में पटसन और पटसन वस्तुओं का आयात

वर्ष	कच्ची पटसन		पटसन वस्तुएं		कुल आयात (पटसन और पटसन की वस्तुएं)	
	मात्रा (000' मी टन)	मूल्य (करोड़ रूपये)	मात्रा (000' मी टन)	मूल्य (करोड़ रूपये)	मात्रा (000' मी टन)	मूल्य (करोड़ रूपये)
2019-20	77.2	350.39	162.6	1362.77	239.8	1713.16
2020-21	28.9	179.28	111.2	1116.84	140.1	1296.12
2021-22	62.5	449.41	127.6	1392.65	190.2	1842.06
2022-23	121.3	830.37	201.0	1532.22	322.3	2362.59
2023-24	138.7	766.31	189.4	1727.72	328.1	2494.03

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

(ङ) पटसन क्षेत्र में पहलें

i. पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम,1987

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (जेपीएम अधिनियम) को, कच्ची पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री और इसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हितों में कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य प्रयोग तथा तत्संबंधी उत्पादन में लगे व्यक्तियों और इससे जुड़े मामलों के प्रावधान के लिए, अधिनियमित किया गया है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का खंड 4(1) केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्तियों को शामिल करके स्थायी सलाहकार समिति के गठन का अधिकार देता है, जोकि सरकार की राय में, वस्तु निर्धारण अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा पटसन पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उनके प्रतिशत के मामले में, जिनकी पैकिंग हेतु पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग किया जाना हो, परामर्श देने हेतु आवश्यक विशेषज्ञता रखते हों।

यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कच्चे पटसन के उत्पादन तथा पटसन पैकेजिंग सामग्री के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह एसएसी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात पटसन पैकेजिंग सामग्री अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशतता के अनिवार्य प्रयोग के लिए जेपीएम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत समय-समय पर आदेश जारी कर सकती है। सरकार कच्ची पटसन तथा पटसन वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के आधार पर पटसन में पैक किए जाने वाली वस्तुओं का आरक्षण निर्धारित कर सकती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण श्रृंखला में रूकावट पैदा किए बिना देश में उत्पादित पटसन की फसल का उपयोग करने के लिए यथा संभव आरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

वस्त्र मंत्रालय ने जेपीएम अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दिनांक 26.12.2023 के दिनांक 30.06.2024 तक वैध का.आ.सं. 5459(ई) के आदेश के तहत निम्नलिखित को निर्धारित किया:-

वस्तुएं	पटसन में पैकेजिंग हेतु आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रतिशतता
खाद्यान्न	उत्पादन का 100%*
चीनी	उत्पादन का 20%**

*आरंम्भ में खाद्यान्नों के लिए 10% मांगपत्र जेम पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के द्वारा जारी किए गए है।

**मिलों या खुले बाजार से खरीद एजेंसियों द्वारा सीधे खरीद के तहत विविधीकृत पटसन थैलों में।

दिनांक 26.12.2023 के आदेश की वैधता का विस्तार 30 सितम्बर, 2024 तक के लिए किया गया है।

सीसीईए निर्णय में अधिदेश दिया गया है कि:-

- इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण मानदंडों के लिए विचार किए जाने वाले खाद्यान्न में चावल, धान और गेहूं शामिल होंगे। पटसन के बैग का उपयोग चावल, गेहूं और अंत में चीनी के लिए परस्पर प्राथमिकता के अनुरूप होगा, जिससे पटसन बैग्स के वार्षिक उत्पादन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करके मासिक आपूर्ति योजना प्रभावित नहीं होगी।
- पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी या व्यवधान या अन्य आकस्मिकता/ आवश्यकता की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय, संबंधित उपयोगकर्ता मंत्रालयों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों वाली समिति के परामर्श से, प्रावधानों के अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन के अधिकतम 30% तक इन प्रावधानों में और छूट दे सकता है।
- यदि खरीद एजेंसियां खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार की गई आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्नों को पैक करने के लिए पटसन बैग के लिए मांगपत्र नहीं देती हैं और मांग (मांगपत्र) अधिक हो जाती है, तो पटसन मिलों को पटसन बैग की आपूर्ति के लिए उचित अतिरिक्त समय मिलेगा। तथापि, यदि मिलें विस्तारित अवधि में बैगों की आपूर्ति करने में असफल रहती हैं, तो डिलूशन से संबंधित शर्तें लागू होंगी।
- कच्ची पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन में लगे व्यक्तियों को अनिवार्य पैकेजिंग का लाभ प्रदान करना यह सुनिश्चित करने के लिए किपटसन कार्मिकों को सांविधिक बकायों की अदायगी कराने तथा पटसन किसानों तथा पटसन के खरीद पर बेलरों को त्वरित भुगतान के लिए एक समुचित व्यवस्था बनाई जाएगी। इस व्यवस्था में कच्चे पटसन की आपूर्ति के लिए त्वरित भुगतानों पर मिलों से कार्मिकों के सांविधिक भुगतान तथा स्व-प्रमाणन से संबद्ध राज्य सरकार के श्रम विभाग से आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने को शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय से देश के पूर्वी तथा पूर्वात्तर क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा के किसानों तथा कामगारों को लाभ होगा।

ii. **जूट-स्मार्ट**, सुशासन दिवस 2016 को माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा प्रारंभ एक ई-शासन पहल बी-ट्विल बोरों की खरीद हेतु एक स्मार्ट अस्त्र के रूप में ई-शासन पहल है। जूट-स्मार्ट, सभी हितधारकों द्वारा उपयोग हेतु एक एकीकृत मंच मुहैया करवाने की मंशा रखता है जिससे सूचना पर आसान पहुंच, अधिक पारदर्शिता और पटसन क्षेत्र हेतु व्यापार करने की आसानी हो सके।

जूट-स्मार्ट एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जिसे बी-ट्विल बोरे की खरीद से संबंधित समग्र लेन-देन को सुकर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह निम्नलिखित उद्देश्य हेतु बनाया गया हैः

- Integration of the process of indenting of एसपीए द्वारा बी-ट्विल के इंडेंटिंग प्रणाली का एकीकरण
- एसपीए द्वारा उनके संबंधी बैंक खातों में आवश्यक फंड का प्रेषण
- पटसन आयुक्त का कार्यालय द्वारा उत्पादन नियंत्रण एवं आपूर्ति आदेश (पीसीएसओ) का नियम आधारित आबंटन
- पटसन मिलों द्वारा निरीक्षण कॉल किया जाना तथा निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षकों का आबंटन
- निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना।

- लोडर्स / पटसन मिलों द्वारा रेल /रोड़ तथा कौंकोर से परिवहन के लिए प्रेषण सूचना आपलोड करना
- पटसन मिलों द्वारा बिल बनाना तथा अंतत: इस कार्यालय द्वारा पटसन मिलों को संबंधित बैंकों में भुगतान जारी करना।
- एसपीए द्वारा यदि कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन शिकायत जेनरेट करना।
- एसपीए द्वारा प्रेषित निधि का रियल टाइम समाधान।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने राज्य खरीद एजेंसियों (एसपीए) द्वारा बी-ट्विल बोरे की खरीद तथा आपूर्ति के प्रचालन को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) से लेकर 1 नवम्बर, 2016 से पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता को अंतरित करने का निर्णय लिया था। वार्षिक तौर पर भारतीय पटसन कामगारों तथा किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 12000 करोड़ रु. मूल्य के पटसन के बोरों की खरीद की जाती है।

पूर्ववर्ती प्रणाली अधिकतर कागजों पर निर्भर थी और हितधारकों, मुख्यतः राज्य खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पटसन मिलें, निरीक्षणकर्ता एजेंसी, लोडर, प्रेषिति, वेतन एवं लेखा कार्यालय आदि के बीच सूचना साझा करने में बाधाएं थी। चूंकि बी-ट्विल बोरी खाद्यानों की खरीद हेतु एक आधारभूत आवश्यकता है, अतः समूचे प्रचालन समयबद्ध हैं और इनकी गहन निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली में राज्य खरीद एजेंसियों को उनकी निधि में ब्याज की कमी के कारण लागत कम करने के लिए बैंकों के माध्यम से स्वचालित लेन-देन हेतु प्रावधान हैं।

एसपीए ने पहले ही अपने बैंकों तथा निरीक्षण एजेंसियों का चयन, प्रस्तावों के लिए अनुरोध के प्रत्युत्तर के माध्यम से चयनित एजेंसियों में से कर लिया है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्य खरीद एजेंसियों, बैंकों, निरीक्षण एजेंसियो तथा आपूर्ति करने वाली पटसन मिलों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वर्तमान में, जूट-स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रचालनशील हो गया है और 69.11 हजार करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य की 229.30 लाख गांठ के कुल मांग पत्र नवंबर, 2016 से मई, 2024 तक जूट-स्मार्ट के माध्यम से पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

च) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) के अनुसार राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) का गठन किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है और पूर्ववर्ती पटसन विनिर्माण विकास परिषद तथा राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) में शामिल कर लिया गया है। एनजेबी अधिनियम में दिए गए आदेशों के अनुरूप, पिछले वर्षों के दौरान एनजेबी द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:

(i) जूट-आईकेयर (पटसन: उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया):-

एनजेबी पिछले नौ वर्षों (2015-16 से) से चरणबद्ध तरीके से जूट-आईकेयर (पटसन: उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया) परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। यह परियोजना एनजेबी द्वारा भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) और केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना फाइबर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने तथा पटसन उत्पादन की लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पटसन की खेती और रेटिंग प्रक्रिया के वैज्ञानिक तरीकों का पैकेज प्रस्तुत करती है। वैज्ञानिक तरीकों में शामिल हैं (i) किसानों का पंजीकरण (ii) प्रमाणित बीजों, सीड ड्रिलर, नेल वीडर और सीआरआईजेएएफ सोना की आपूर्ति, एसएमएस भेजना और आधुनिक उपकरणों के उपयोग का निष्पादन करना आदि। पिछले 5 वर्षों में पटसन-आईकेयर की भौतिक प्रगति निम्नानुसार है:-

विवरण	आईकेयर-V (2019-20)	आईकेयर-VI (2020-21)	आईकेयर-VII (2021-22)*	आईकेयर-VIII (2022-23)*	आईकेयर-IX (2023-24)*
कवर किए गए पटसन उत्पादक ब्लाक/राज्य की संख्या	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मेघालय के अंतर्गत 72 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 130 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के अंतर्गत 140 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश ओर त्रिपरा के अंतर्गत 170 ब्लाक	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा के अंतर्गत 246 ब्लाक
कवर की गई भूमि (हेक्टेयर)		110893	125000	189483	191272
कवर किए गए किसानों की संख्या	243549	258324	300000	420309	435214
मुहैया करवाए गए प्रमाणित पटसन बीज (जेआरओ-204 जेबीओ-2003एच)	535 मी.ट.	604 मी.ट.	800 मी.ट.	192 मी.ट.	442.6 मी.ट.
बीज ड्रिल मशीन (सं.)	2550	3150	4150	4950	5750
नेल वीडर मशीन (सं.)	2850	3750	4950	5750	6550
सीआरआईजेएएफ सोना (मी.ट. में)	612	500	650	600	750

*एनजेडीपी के तहत - पटसन क्षेत्र के लिए वृहद योजना

कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पटसन का खेती में निम्नलिखित तरीके से सुधार हुआ:-

- पटसन उत्पादन (पैदावार) मौजूदा 22/23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 26/28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया।
- गुणवत्ता उन्नयन कम से कम एक ग्रेड बढ़ा है।
- उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के कारण किसानों की आय में लगभग 9,000 से 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

(ii) संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) :

पटसन मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाने और पुरानी मशीनों को नई और तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित करके उन्हें कुशल बनाने के लिए, एनजेबी ने पटसन मिलों और एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों को मशीनरी की लागत का क्रमश: 20% और 30% मुहैया कराकर वर्ष 2014-15 से आईएसएपीएम योजना लागू की है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान, पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 6458.51 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है और पटसन मिलों/जेडीपी इकाइयों द्वारा प्रोत्साहन राशि के 5 गुना अधिक राशि का निवेश किए जाने की संभावना है।

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
प्रोत्साहन (लाख रु. में)	1739.21	1427.23	920.12	1655.95	716.15
लाभान्वित मिलों/ यूनिट की संख्या	39	52	27	20	21

(iii) कामगार कल्याण योजना (सुलभ शौचालय):

एनजेबी ने स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पटसन मिल कार्मिकों के काम की स्थिति में सुधार के लिए पटसन मिलों को सहायता प्रदान की है। सहायता की दर वास्तविक व्यय का 90% है, जो अधिकतम 60.00 लाख (प्रति मिल/वर्ष) है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
प्रोत्साहन लाख रु. में	194.33	249.46	274.13	268.72	471.39
शौचालय ब्लॉकों की संख्या	340	252	323	210	320
मिलों की संख्या	12	9	10	7	8

(टिप्पणी: वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान पटसन मिलों में शौचालयों का निर्माण नहीं किया जा सका।

(iv) पटसन मिलों, एमएसएमई-जेडीपी यूनिटों के कार्मिकों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना

पटसन मिलों और एमएसएमई-जेडीपी यूनिट के कामगारों की बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण होने पर क्रमश: 5,000 रुपए और 10,000 रुपए की दर से शैक्षणिक सहायता/छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत निष्पादन नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***	**2022-23***	**2023-24***
छात्रवृत्ति की राशि लाख रु. में	259.70	267.55	316.45	268.00	299.65
बालिकाओं की संख्या	3618	3613	4404	3768	3795

* एनजेडीपी के अंतर्गत - पटसन क्षेत्र के लिए वृहद योजना।

(v) निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माता तथा निर्यातकों को जीवनशैली तथा अन्य पटसन विविधिकृत उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा विदेशों में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान योजना के अंतर्गत निष्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ईएमडी सहायता लाख रुपए में	306.48	428.12	384.39	439.81	174.29
पंजीकृत निर्यातकों की संख्या	63	73	60	70	52

(टिप्पणी: कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कोई प्रतिभागिता नहीं की गई थी)

(vi) पटसन विविधीकृत उत्पादों के खुदरा आउटलेट तथा थोक आपूर्ति योजना

खुदरा आउटलेट योजना ने देशभर में विशेष रुप से उन क्षेत्रों, जहां पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया गया है, में जेडीपी का विस्तार करने के लिए चुनिंदा और बड़े पैमाने पर खपत हेतु जेडीपी की आपूर्ति श्रृंखला तथा थोक आपूर्ति को सहायता दी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत निष्पादन नीचे दिया गया है-

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***	**2022-23***	**2023-24***
प्रोत्साहन लाख रु.में	2.00	1.26	30.14	37.72	68.67
इकाइयों की संख्या	3	8	13	13	22

* एनजेडीपी के अंतर्गत - पटसन क्षेत्र के लिए वृहद योजना।

(vii) पटसन एकीकृत विकास (जेआईडी) योजना:

जेआईडीएस योजना का उद्देश्य विविध क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए असली निकायों के सहयोग से संपूर्ण देश में सुदूर स्थानों पर स्थानीय इकाइयाँ स्थापित करना है जिसमें जेआईडी एजेंसियों ने भी मुख्यतया तकनीकी एप्लीकेशन तथा डिजाइन /उत्पाद विकास व प्रसार के संबंध में जमीनी स्तर पर जागरुकता और प्रशिक्षण प्रदान करके मौजूदा और भावी उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए सुविधाप्रदाता का काम किया। जेआईडी एजेंसियां पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) इकाइयों, एसएचजी, डब्ल्यूएसएचजी, एनजीओ को बाजार सुविधाओं के लिए एक प्रमुख स्रोत थी। इस प्रकार यह उत्पादन इकाइयों के निर्माण व पोषण में सहयोग करता है, जिससे उद्यमशीलता विकास तथा स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर महिला स्वयं-सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजी) की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार सृजन करने में सहायता मिलती है। वर्ष 2016-17 में अपनी स्थापना के बाद से जेआईडी योजना का निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
प्रशिक्षण व्यय (लाख रुपए में)	39.68	62.20	29.64	9.57	8.92
सहयोगी इकाइयों की संख्या	18	25	10	7	5

नोट: वर्ष 2021-22, जेआईडी योजना को बंद कर दिया गया है।

2016-17 एवं 2020-21 के दौरान, 65 समन्वय एजेंसियां ने पटसन विविधिकृत उत्पादों के लिए 1300 लाभार्थियों को आधारभूत, उन्नत व डिजाइन विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है। किए गए मूल्यांकन के अनुसार, जॉब वर्क या स्वरोजगार पर पटसन विविधीकृत क्रियाकलापों में 520 से अधिक लाभार्थी तैनात हैं।

(viii) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना

यह योजना पटसन असंगठित क्षेत्र तथा उत्पादन इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करके देश में जेडीपी क्रियाकलापों की गति को बढ़ाती है ताकि उन्हें किफायती दर पर अर्थात मिल गेट मूल्य जमा वास्तविक परिवहन लागत पर नियमित रुप से पटसन कच्चे माल की आपूर्ति होती रहे, जिससे वे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण कर सकें। जेडीपी के लिए उत्पादन आधार बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं, जिनके लिए फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज प्राप्त सक्षम संगठन/एजेंसियां हैं, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है।

जेआरएफबी मौजूदा डब्ल्यूएचजी, कारीगरों व उद्यमियों की सेवा करने के अलावा नये डब्ल्यूएसएचजी, कारीगरों व उद्यमियों को विकसित करने के लिए जेआईडी द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में किए जा रहे प्रशिक्षण व कौशल विकास प्रयासों के लिए पूरक का कार्य करते हैं। 2016-17 में जेआरएमबी की शुरुआत से पिछले 5 वर्षों के दौरान जेआरएमबी योजना का निष्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 ***	**2022-23***	**2023-24***
व्यय (लाख रुपए में)	87.79	27.72	75.37	145.86	202.85
सहयोगी इकाइयों की संख्या	10	12	21	21	30

* एनजेडीपी के अंतर्गत - पटसन क्षेत्र के लिए छत्र योजना।

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी)

राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) - पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए एक वृहद योजना, स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई है। एनजेडीपी में 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-2022 से 2025-2026) के दौरान कार्यान्वयन के लिए 485.58 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं/उप-योजनाएं शामिल हैं

1. जूट-आईकेयर (उन्नत खेती और विकसित रेटिंग प्रक्रिया) कार्यक्रम

उद्देश्य - आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्यतियों के पैकेज की शुरूआत के साथ पटसन की खेती में गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना:

- गुणवत्ता, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रमाणित पटसन बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी) का 50% लागत पर वितरण।
- पटसन फाइबर की तेज़ और गुणवत्तापूर्ण रेटिंग के लिए पटसन किसानों को सीआरआईजेएएफसोना (एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम) का निःशुल्क वितरण। रेटिंग का समय 1 सप्ताह कम हो जाता है और गुणवत्ता में 1 ग्रेड का सुधार होता है।
- आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि उपकरणों-बीज ड्रिल, साइकिल नेल वीडर का निःशुल्क वितरण।

- वर्ष 2023-24 के दौरान: 191272 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया, 435214 किसान लाभान्वित हुए, 442.6 मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीज का वितरित किया गया।

2. पटसन विविधीकरण योजना (जेडीएस)

उप-योजना :

i. संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत सब्सिडी (सीएसएपीएम) योजना को पटसन विविधीकृत उत्पादों के निर्माण और मौजूदा पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों के आधुनिकीकरण/उन्नयन को सुकर बनाने के लिए लागू किया गया है। जेडीपी के उत्पादन के लिए मिल और एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों को मशीनरी की लागत का 30% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत दावा संबंधी 10 आवेदनों पर विचार किया गया तथा 860.00 लाख रुपये के कुल निवेश पर 258.10 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई।

ii. पटसन संसाधन सह उत्पादन केंद्र (जेआरसीपीसी) को नए कारीगरों और महिला एवं बाल विकास समूहों को पटसन विविधीकरण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया गया है, ताकि जेडीपी के उत्पादन के लिए निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान 11 राज्यों में 13 जेआरसीपीसी सहयोगी एजेंसियां कार्यरत हैं, जिन्होंने 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम (बेसिक, एडवांस और डिजाइन डेवलपमेंट) आयोजित किए गए और 432 नए पटसन कारीगरों को ऊनीकृत पटसन कालीन, ब्रेडेड आइटम और नोवल्टी गिफ्ट आइटम, पटसन बैग उत्पादों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, 7 राज्यों में 20 जेआरसीपीसी ने 600 नए जूट कारीगरों/डब्ल्यूएसएचजी के लिए 25 प्रशिक्षण आयोजित/प्रदान किए।

iii. पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) को पटसन कारीगरों, एमएसएमई को मिल गेट मूल्य पर जेडीपी के उत्पादन के लिए पटसन कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए क्रियान्वित किया गया है। पटसन कच्ची सामग्री के बिक्री मूल्य पर 30% की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी वार्षिक सीमा 12 लाख रुपये प्रति इकाई प्रति वर्ष है। इस योजना के तहत 6 राज्यों में 21 जेआरएमबी - सहयोगी एजेंसियां पटसन कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए लगी हुई हैं।

iv. पटसन खुदरा आउटलेट (जेआरओ) योजना को खुदरा दुकानों/शोरूम के माध्यम से मौजूदा तथा नए कारीगरों/उद्यमियों को जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए सुकर बनाने हेतु कार्यान्वित किय गया है। पटसन विविध उत्पाद के बिक्री मूल्य पर 25% की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी वार्षिक सीमा 12 लाख रुपये प्रति इकाई प्रति वर्ष है। इस योजना के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान पटसन उद्यमियों द्वारा 8 राज्यों में 13 पटसन खुदरा आउटलेट खोले गए। वर्ष 2023-24 के दौरान, 10 राज्यों में 22 रिटेल आउटलेट्स इस योजना के तहत संचालित हो रहे हैं।

v. पटसन डिजाइन संसाधन केंद्र (जेडीआरसी) बाजार योग्य अभिनव पटसन विविधीकृत उत्पादों के डिजाइन और विकास के लिए और मौजूदा और नए जेडीपी निर्माताओं और निर्यातकों की मदद करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। जेडीआरसी की स्थापना नए पटसन भवन के भूतल पर की जाएगी। जेडीआरसी की फ्लोर योजना को निफ्ट के सहयोग से अंतिम रूप दे दिया गया है तथा डिजाइनरों और मास्टर प्रशिक्षकों का चयन पूरा कर लिया गया है।

vi. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना - पटसन मिलों और जेडीपी का निर्यात करने वाली एमएसएमई जेडीपी इकाइयों को पटसन विविध उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। पंजीकृत निर्यातक निर्यात किए गए पटसन के विविध उत्पादों पर उपयोग किए गए पटसन कच्ची सामग्री की लागत के 5% की दर से प्रोत्साहन के हकदार हैं, जो जो प्रति वर्ष अधिकतम 12 लाख रुपये प्रति इकाई के अध्यधीन प्राप्त एफओबी मूल्य के 3% तक सीमित है। वर्ष 2021-22 के दौरान 42 पंजीकृत जूट निर्यातकों को 4.04 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान 37 पंजीकृत निर्यातकों को 1.79 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 के दौरान 81 निर्यातकों को 3.48 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई।

vii. उत्पाद विविधीकरण (आर एंड डी) अध्ययन: राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) - उत्पाद विविधीकरण के तहत, एनजेबी वस्त्र और गैर-वस्त्र एप्लिकेशन्स में जूट की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और जूट तकनीकी वस्त्रों पर 18 आर एंड डी परियोजनाएं शुरू की

हैं। जारी आर एंड डी परियोजनाओं में अन्य के अलावा डेनिम गुणवत्ता वाले विशेष जूट फैब्रिक्स, ऑटोमैटिक एकॉस्टिक इन्सुलेशन के लिए जूट और बांस के गूदे से बने जूट कंपोजिट से विस्कोस फाइबर, दीर्घकालिक सस्टेनेबिलिटी के लिए जूट जियोटेक्सटाइल पर नैनो-टेकनोलॉजिक पहल शामिल हैं। जूट और अन्य प्राकृतिक फाइबर्स से लागत प्रभावी हस्तनिर्मित कालीन, जूट जियो-सेल का प्रौद्योगिकी विकास और इंजीनियरिंग परफोरमेंस, आधुनिक मिनी कताई मशीनरी का विकास, जूट जियो टेक्सटाइल्स के फिल्ट्रेशन कैरेक्टरस्टिक्स का मूल्यांकन, जूट और कृषि आधारित वस्त्रों के उपयोग की खोज, रिटेनिंग वॉल्स को मजबूत करने में जूट जियोटेक्सटाइल्स का अनुप्रयोग, जूट क्ले लाइनर्स का विकास। विभिन्न वस्त्र अनुसंधान संघों जैसे निटरा, अटीरा, एनआईटी, डब्ल्यूआरए, आईआईटी (बीबीएसआर और जीडब्ल्यूएच)। आईआईएससी (बेंगलुरु), एनआईटी (कर्नाटक), एनआईएनएफईटी (कोलकाता), इजिरा (कोलकाता) को सौंपा गया है।

viii. जूट मार्क लोगो- जूट मार्क इंडिया लोगो को जूट उत्पादों के निर्माताओं/निर्यातकों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका उपयोग किया जा रहा है ताकि ब्लैंडिंग प्रक्रिया में जूट के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। लोगो को वस्त्र मंत्रालय, मुंबई की वस्त्र समिति द्वारा जारी किया गया है। जूट मार्क लोगो का उपयोग करने के लिए 113 विक्रेताओं को पंजीकृत किया गया है और 2 लाख जूट मार्क लोगो वितरीत किए गए हैं। स्थानीय जूट उद्यमियों और निर्यातकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोगो को लोकप्रिय बनाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(3) बाजार विकास संवर्धन गतिविधियाँ (घरेलू और निर्यात): पटसन एवं पटसन उत्पादों के बाजार संवर्धन के उपाय के रूप में, एनजेबी घरेलू बाजार में जेडीपी के संवर्धन एवं बिक्री के लिए जेडीपी इकाइयों की भागीदारी को सुविधाजनक बना रहा है तथा पंजीकृत पटसन निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। पटसन उत्पादों के गुणवत्ता प्रमाणन के लिए पटसन मार्क लोगो का विकास और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पटसन को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान शुरु किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान एनजेबी ने 16 राज्यों में 43 पटसन मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी का आयोजन किया और घरेलू बाजार में पटसन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए 760 पटसन इकाइयों/लाभार्थियों की भागीदारी को सुगम बनाया। पटसन उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए 8 अंतरराष्ट्रीय मेलों में 56 पंजीकृत पटसन निर्यातकों की भागीदारी की भी सुविधा प्रदान की। वर्ष 2023-24 के दौरान 43 घरेलू जूट मेला प्रदर्शनियों में 965 जूट इकाइयों ने भाग लिया। और 9 अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में 68 निर्यातकों ने भाग लिया।

(4) पटसन मिलों, जेडीपी-एमएसएमई के कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना: एनजेबी ने इस योजना के तहत पटसन मिलों/एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों के कामगारों की बालिकाओं को माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5,000/- रुपये और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 10,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में शिक्षा सहायता प्रदान की। एनजेबी ने योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान जूट मिलों/एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों के कामगारों की 3697 बालिकाओं को 262.65 लाख रुपये और वर्ष 2023-24 के दौरान 3795 बालिकाओं को 299.65 लाख रुपये की छात्रवृत्ति जारी की।

4.3. रेशम और रेशम उत्पादन

प्रस्तावना:

रेशम, कीट से निकले तंतु से बना एक फाइबर है, जिसमें चमक, वस्त्र विन्यास और मजबूती का गुण होता है। इन्हीं अनूठी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में रेशम को "वस्त्रों की रानी" के रूप में जाना जाता है। भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश रहा है और इसने दुनिया को कई वस्तुएं प्रदान की हैं, रेशम उनमें से एक है। भारत, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तथापि, भारत एकमात्र देश है, जो रेशम की सभी पांच वाणिज्यिक किस्मों जैसे मलबरी, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, मूगा और एरी का उत्पादन कर रहा है। भारतीय रेशम उद्योग में उच्च रोजगार सृजन क्षमता के साथ ही साथ कम पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है और रेशम उत्पादकों को अच्छी आय प्राप्त होती है।

4.3.1 भौतिक प्रगति

भारत 38,913 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन के साथ चीन के बाद दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादित रेशम की चार किस्मों में से, शहतूत की हिस्सेदारी 76.82% (29,892 मीट्रिक टन), तसर की हिस्सेदारी 4.08% (1,586 मीट्रिक टन), एरी की हिस्सेदारी 18.46% (7,183 मीट्रिक टन) और मुगा की हिस्सेदारी 0.65% (252 मीट्रिक टन) है। वर्ष 2023-24 के दौरान बाइवोल्टाइन कच्चे रेशम का उत्पादन 8.66% बढ़कर 9,675 मीट्रिक टन हो गया है, जो वर्ष 2022-23 के दौरान 8,904 मीट्रिक टन था। इसके अलावा, वन्या रेशम, जिसमें तसर, एरी और मुगा रेशम शामिल हैं, वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 1.04% बढ़ा है।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान किस्मवार कच्ची रेशम उत्पादन, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धि (नवंबर-2023 तक) का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	**2019-20 उपलब्धि**	**2020-21 उपलब्धि**	**2021-22 उपलब्धि**	**2022-23 उपलब्धि**	**2023-24**	
					लक्ष्य	**उपलब्धि**
मलबरी पौधरोपण (लाख हेक्टेयर)	2.39	2.38	2.42	2.53	2.69	2.63
कच्चा रेशम उत्पादन:						
मलबरी (बाईवोल्टाइन)	7009	6783	7941	8904	10200	9675
मलबरी (संकर नस्ल)	18230	17113	17877	18750	20550	20217
उप-जोड़ (मलबरी)	25239	23896	25818	27654	30750	29892
वन्या						
तसर	3136	2689	1466	1318	3200	1586
एरी	7204	6946	7364	7349	8240	7183
मूगा	241	239	255	261	310	252
उप जोड़ (वन्या)	10581	9874	9085	8928	11750	9021
कुल योग	35820	33770	34903	36582	42500	38913
संचयी अनुमानित रोजगार (लाख व्यक्ति)	9.4	8.7	8.8	9.2	-	9.5

स्रोत: राज्य रेशम कृषि विभाग से प्राप्त एमआईएस रिपोर्ट से संकलित।

क. योजना और इसके घटक

केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात "सिल्क समग्र-2" रेशम उद्योग के विकास के लिए एक एकीकृत योजना है, जो वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए दो प्रमुख गतिविधियों के साथ क्रियान्वित की जा रही है:

I. केंद्रीय रेशम बोर्ड की मुख्य गतिविधियां चार उप घटकों के साथ निम्नानुसार हैं:

1. अनुसंधान व विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल
2. बीज संगठन
3. समन्वयन तथा बाजार विकास
4. गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली, निर्यात, ब्राण्ड उन्नयन व प्रौद्योगिकी उन्नयन

सिल्क समग्र-2 के उपर्युक्त चार मुख्य घटक आपस में जुड़े हैं और सबका सामान्य लक्ष्य है। अनुसंधान व विकास इकाईयां प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने के साथ हितधारकों को उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देती हैं और फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनीक को क्षेत्र में स्थानांतरित करती हैं, जबकि बीज उत्पादन इकाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रजातीय गुणवत्ता, संकर ओज और नस्लों की शक्ति बनाए रखने के लिए चार स्तरीय बीज प्रगुणन नेटवर्क को अद्यतन रखे तथा अपने एककों एवं राज्य की बीज उत्पादन इकाइयों को नाभिकीय एवं मूल बीज की आपूर्ति करें और राज्य इकाइयों को मूल बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए सुविधा प्रदान करें। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बोर्ड सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार के समन्वय से विकासशील योजनाएं तैयार कर इन्हें कार्यान्वित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेशम उद्योग के विकास के लिए उन योजना कार्यक्रमों के परिणाम राज्य सरकार के समन्वय से हितधारकों तक पहुंच रहे हैं। गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अधीन कार्यरत इकाईयां, रेशमकीट बीज, कोसा, कच्चा रेशम तथा रेशम उत्पाद सहित संपूर्ण रेशम मूल्य श्रृंखला के लिए अनुसंधान व विकास इकाईयों द्वारा स्थापित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा प्रमाणित करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसके अलावा भारतीय रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई) द्वारा उचित ब्रांड के माध्यम से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेशम मार्क लेबल के माध्यम से शुद्ध रेशम उत्पादों का संवर्धन करता है।

II. लाभार्थी उन्मुख महत्वपूर्ण क्षेत्र स्तरीय इंटरवेंटशन

सीएसबी द्वारा सीधे क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के अतिरिक्त, सिल्क समग्र-2 योजना अवधि के दौरान रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण लाभार्थी उन्मुख इंटरवेंशन को क्रियान्वित किया जाएगा। ये इंटरवेंशन सीएसबी के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी पैकेजों के हस्तांतरण और उन्हें अपनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। लाभार्थी उन्मुख इंटरवेंशन में पूर्व और पश्च कोकून क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं जैसे होस्ट प्लांट का विकास और विस्तार, रेशमकीट पालन के लिए सहायता, रेशमकीट बीज उत्पादन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और निर्माण, फार्म और पश्च-कोकून क्षमताओं का विकास, रेशम में रीलिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, और कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से क्षमता निर्माण। ये घटक लाभार्थियों को पैकेज मोड में व्यक्तिगत लाभार्थी अथवा परियोजना मोड में प्रदान किए जाएंगे।

कुछ व्यक्तिगत घटकों जैसे (i) रेशम/रेशम पालन क्षेत्र में अपने कौशल और दक्षता को बढ़ाने और रेशम उत्पादन हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए कौशल की वृद्धि और कौशल उन्नयन के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण,(ii) किसान नर्सरी के विकास के लिए सहायता और (iii) वान्या रेशम रीलिंग मशीनरी के अलावा, रेशम उत्पादन हितधारकों के लिए नौ (9) पैकेज उपलब्ध हैं, ताकि व्यक्तिगत लाभार्थियों के साथ-साथ रेशम-व्यवसाय में लगे उद्यमियों (फार्म टू फैब्रिक तक-बड़े पैमाने पर फार्मिंग) की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। पैकेज इस प्रकार हैं:

Package of assistance for silkworm rearing for Mulberry & Vanya.

1. मलबरी और वन्या के रेशमकीट पालन के लिए सहायता पैकेज।
2. रेशमकीट बीज पालकों को सहायता।
3. छोटे और मध्यम आकार की रीलिंग इकाइयों के पैकेज के लिए सहायता।
4. उद्यम हेतु ऑटोमेटिक सिल्क रीलिंग मशीनरी पैकेज के लिए सहायता।
5. प्यूपा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता।
6. रेशम बुनाई क्षेत्र के लिए सहायता।

7. सिल्क डाईंग और प्रसंस्करण के लिए सहायता।

8. सेरी बिजनेस एंटरप्राइजेज को सहायता पैकेज।

9. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट- जीरो डिस्चार्ज और ग्राउंड डिस्चार्ज टाइप की स्थापना के लिए सहायता।

इन योजनाओं का विवरण सीएसबी की वेबसाइट http://www.csb.gov.in/ पर उपलब्ध है।

सिल्क समग्र-2 के लाभार्थी उन्मुख पैकेजों/घटकों के लिए वित्त-पोषण की पद्धति निम्नानुसार है:

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के अतिरिक्त वैयक्तिक लाभार्थी उन्मुख सिल्क समग्र-2 घटक के लिए निधि साझा करने की पद्धति (%) निम्नानुसार है :

2.

श्रेणी (छोटे और सीमांत किसान)	**भारत सरकार (सीएसबी)**	**राज्य**	**लाभार्थी**
सामान्य राज्य	50 %	25 %	25 %
सामान्य राज्य - एससीएसपी व टीएसपी के लिए	65 %	25 %	10 %
विशेष दर्जा प्राप्त राज्य (सामान्य,एससीएसपी व टीएसपी के लिए)	80 %	10 %	10 %

3. सेरी व्यापार उद्यम/नए उद्यमियों के लिए वित्त-पोषण पद्धति (%)

श्रेणी (नए उद्यमी/ स्टार्ट-अप)	**भारत सरकार (सीएसबी)**	**राज्य**	**लाभार्थी**
सामान्य	30 %	20 %	50 %
एससीएसपी, टीएसपी, विशेष दर्जे वाला राज्य/ पूर्वोत्तर राज्य	40 %	30 %	30 %
मौजूदा उद्यमी			
सामान्य	20 %	20 %	60 %
एससीएसपी, टीएसपी, विशेष दर्जे वाले राज्य/ पूर्वोत्तर राज्य	30 %	30 %	40 %

4. एनईआरटीपीएस के अनुरूप पूर्वोत्तर विशिष्ट रेशम कृषि परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण की पद्धति (%) निम्नानुसार जारी रहेगी :

श्रेणी	**भारत सरकार (सीएसबी)**	**राज्य**	**लाभार्थी**
समूह क्रियाकलाप/ समुदाय आधारित कार्यक्रम **(छोटे और सीमांत किसान)**	100 %	-	-

समान सुविधा/ राज्य अवसंरचना	90 %	10 %	-
व्यक्तिगत लाभार्थी **(छोटे और सीमांत किसान)**	90 %	-	10 %

4.3.2. सिल्क समग्र-2 की विशेषताएं

1. आनुवंशिक आधार तथा संकर ओज को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगपूर्ण अनुसंधान पर जोर।
2. फसल चक्र को बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देना, नियंत्रित कीटपालन के लिए वान्या रेशम के व्यवस्थित पौधरोपण में विस्तार।
3. कलस्टर अप्रोच के माध्यम से उत्तर-पूर्व सहित गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन के क्षैतिज विस्तार को बढ़ावा देना।
4. लाभार्थियों के लिए मृदा परीक्षण को बढ़ावा देना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
5. जैव कृषि और पर्यावरण अनुकूल रेशम - वान्या रेशम को बढ़ावा देना।
6. किसान नर्सरी से वस्त्र उत्पादन तक उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए लाभार्थियों को महत्वपूर्ण निवेश का समर्थन प्रदान करना।
7. अतिरिक्त मूल्य प्राप्ति के लिए कुक्कुट आहार के लिए रेशमकीट उपोत्पाद(प्यूपा) का उपयोग, सौंदर्यवर्धक अनुप्रयोग के लिए सेरिसिन और गैर-बुने हुए वस्त्र, रेशम डेनिम, रेशम बुनाई आदि में उत्पाद विविधीकरण।
8. राज्य के बीज प्रगुणन सुविधाओं के उन्नयन और कच्चे रेशम के उत्पादन-लक्ष्य से मेल खाने के लिए बीज उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
9. वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करके स्वचालित बीज उत्पादन केंद्रों, मूल बीज फार्मों और विस्तार केंद्रों द्वारा पंजीकरण और रिपोर्टिंग के माध्यम से बीज अधिनियम को सुदृढ़ बनाना।
10. रीलिंग प्रौद्योगिकी का उन्नयन और" मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अधीन विकसित स्वदेशी स्वचालित धागाकरण मशीन और उन्नत वान्या रीलिंग उपकरणों को बढ़ावा देना।
11. रेशम उत्पादन के लिए ऋणप्रवाह को बढ़ावा देना - स्वयं सहाय समूह/कलस्टर अप्रोच को बढ़ावा देना।
12. ब्रांड उन्नयन- भारतीय रेशम के जेनेरिक उन्नयन और भारतीय रेशम उत्पादों के लिए वैश्विक छवि सृजित करना।
13. रेशम उत्पादन के विस्तार हेतु अधिक जिलों को शामिल करने के लिए एकल खिड़की आधारित एसआईएलकेएस (रेशम उत्पादन सूचना संबद्ध ज्ञान प्रणाली) पोर्टल का विस्तार।
14. बेहतर योजना के लिए रेशम उत्पादन डेटाबेस का विकास सुनिश्चित करना। सभी पंजीकृत किसानों और धागाकारों तथा राज्य कार्यकर्ताओं को कोसा और कच्चे रेशम मूल्य संबधी मुफ्त एसएमएस सेवा।

योजनागत योजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन एवं व्यय

नीचे दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों (2019-20 से 2022-23) और वर्ष 2023-24 के दौरान "सिल्क समग्र" और "सिल्क समग्र-2" योजनाओं के संबंध में वर्ष-वार वित्तीय प्रगति दर्शाती है:

(करोड़ रुपए में)

योजना	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
	आबंटन	**व्यय.**	**आबंटन**	**व्यय.**	**आबंटन**	**व्यय.**	**आबंटन**	**व्यय.**	**आबंटन**	**व्यय.**
सिल्क समग्र/ सिल्क समग्र-2	209.91	209.91	202.13	202.13	374.56	365.55	382.32	382.32	365.54	365.54

उसमें से उत्तर पूर्व के लिए	11.50	11.50	22.75	22.75	35.47	33.84	29.62	29.52	30.49	30.49
उसमें से एससीएसपी के लिए	30.00	30.00	41.25	41.25	35.00	35.00	25.00	25.00	25.00	25.00
उसमें से टीएसपी के लिए	20.00	20.00	31.50	31.50	50.00	43.75	35.00	35.00	35.00	35.00

नोट: प्रशासनिक लागत को छोड़कर केवल योजना लागत।

4.3.3. अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आईटी पहल

4.3.3.1 2023-24 के दौरान अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

- 35 शोध परियोजनाएं शुरू की गईं और 41 पूरी की गईं।
- सीएसबी आरएंडडी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य शोध संस्थानों के साथ समन्वय करता है। आईसीएआर और सीएसआईआर संस्थानों, आईआईएससी-बेंगलुरु, एनईएसएसी-शिलांग और राज्य विश्वविद्यालयों जैसे अन्य राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ 25 सहयोगी शोध परियोजनाएं चल रही हैं।
- नारो-जापान, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी-जापान, यामागुची यूनिवर्सिटी-जापान और उज्बेक रिसर्च इंस्टीट्यूट-उज्बेकिस्तान के साथ तीन अंतरराष्ट्रीय सहयोगी शोध परियोजनाएं चल रही हैं।
- सीएसबी आरएंडडी अपनी शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों से बाहरी फंडिंग आकर्षित करता है। 10 चल रही शोध परियोजनाओं को विभिन्न एजेंसियों, यानी डीएसटी, डीबीटी, पीपीवी एंड एफआर और नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

4.3.3.2. अनुसंधान एवं विकास इंटरवेंशन - मलबरी क्षेत्र

- मलबरी वृक्ष की खेती के लिए 258:103:103 ग्राम/पौधा/वर्ष + 15 किग्रा एफवाईएम/प्लांट/वर्ष के अनुपात में एनपीके की उपयुक्त उर्वरक डोज को ऑप्टिमाइज किया गया।
- मलबरी में, उर्वरकों की अनुशंसित डोज को 25% तक कम करने के लिए ड्रिप फर्टिगेशन शेड्यूल विकसित किया गया है।
- छह मलबरी किस्मों अर्थात जी-4, जी-2, आरसी-1, एआर-12, सहाना और एमएसजी-2 को प्लांट किस्मों और किसानों के अधिकार (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किया गया।
- ट्रिपलोइड मलबरी जीनोटाइप ट्राई-8 और ट्राई-9 के मल्टी-लोकेशन ट्रायल ने दक्षिण भारत में चेक किस्मों (जी4 और विशाला) की तुलना में बेहतर निष्पादन किया।
- प्लोइडी भिन्नताओं को निर्धारित करने के लिए मलबरी शूट टिप में क्रोमोसोम संख्या का अध्ययन करने के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल।
- मलबरी के डिफाइलेटर और सकिंग पेस्ट्स के लिए तीन बोटेनिकल कीटनाशक तैयार किए।
- रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक तरीकों के संयोजन से इंटीग्रेटेड रूटरॉट डिजीज मैनेजमैंट प्रैक्टिसेस का विकास किया। माइक्रोबियल कंसोर्टिया के फॉर्मूलेशन अर्थात् एमआर. प्रो (एलएफ) एमआर प्रो (एसएफ) को रूट रॉट के प्रबंधन के लिए विकसित किया गया था, उपरोक्त फॉर्मूलेशन का एनआरडीसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन और विपणन के लिए व्यावसायीकरण किया जाएगा।
- सीएसबी द्वारा विकसित एक थर्मो टॉलरेंट डबल हाइब्रिड टीटी21 x टीटी56 ने विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में सभी राज्यों में मौजूदा हाइब्रिड की

तुलना में 3ए ग्रेड रेशम के उत्पादन के साथ किसान स्तर के परीक्षणों में बेहतर निष्पादन किया।

- हाई ह्यूमिडिटी ओंड हाई टैंप्रेचर टॉलरेंट ब्रीर्स अर्थात् दो एसल हाइब्रिड्स (एसके7एचएच X सीएसआर 2; डब्ल्यूबी1एचएचएक्स X सीएसआर 2) और मार्कर सहायता प्राप्त चयन (एमएएस) का उपयोग करके हाई सरवाईवल (> 68%) और शैल % (~ 21%) के साथ दो (एसके 7 फाउंडेशन क्रॉसेस का विकास किया।
- उच्च उत्पादकता और बेहतर सिल्क फिलामेंट वाली निस्तारी लाइनों यानी आईएन (पी) X एसके.6.7 और आईएन (एम) एक्स एसके 6.7 की नई क्रॉस ब्रीड्स का विकास किया।
- तीन न्यूट्रीजेनिक हाइब्रिड अर्थात सीएसआर 50 X बीकॉन 1, सीएसआर 50 X बीकॉन 4 और आरएसजे 14 X बीकॉन 1 की पहचान की गई जो उत्तर-पश्चिम भारत की ट्रॉपिकल स्थितियों में स्प्रिंग और ऑटम के मौसम के लिए उपयुक्त हैं।
- पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्रॉसब्रीड उत्पादकता में सुधार के लिए शैल सामग्री (>19%) और सर्वाइवल (>85%) के आधार पर पोटेंशियल मेल कांपोनेंट्स के रूप में तीन नए बाइवोल्टाइन फाउंडेशन क्रॉस अर्थात एनएफसी11(पी) x एनएफसी18(पी), एनएफसी19(डी) x एनएफसीआर(डी) और एनएफसी18(एम) x एनएफसी12(एम) की पहचान की गई।
- दो बाइवोल्टाइन डबल हाइब्रिड अर्थात बीके17×बीके9 और बीके20×बीके7 विकसित किए गए, जिनकी उपज क्षमता उत्तर पश्चिम भारत में 60-74 किग्रा/100 डीएफएल और रेंडिटा 6.8 से 7.5 है।
- विष मुक्त कोकून शैल, रेशम, सेरिसिन और फाइब्रोइन उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए गए ओर क्लिनिकल एप्लिकेशन्स के लिए हाइड्रोजेल और सिल्क सचर विकसित की गई।
- चिटोसन कंजुगेटेड नैनो पार्टिकल्स (एनपी) तैयार किए गए और उनकी विशेषता बताई गई। चिटोसन आधारित एनपी की इन-विवो जांच ने मस्कार्डिन और बीएम एनपीवी पैथोजन्स के खिलाफ आशाजनक परिणाम दिखाए।
- मालेक्यूलर मार्कर सहायता प्राप्त सेलेक्शन और ऑन स्टेशन ट्रॉयल्स के माध्यम से बी.मोरी बिडेनसोवायरस बीएमबीडीवी रेसिस्टेट एफसी1Xएफसी2 (डबल हाइब्रिड) विकसित किया गया, जिसने 4 आरएसआरएस स्टेशनों पर कंट्रील की तुलना में उपज में 3-10% की वृद्धि दिखाई। इसके अलावा, एसबीआरएल कोडाथी में प्रयोगशाला स्थितियों के तहत एसके6x एसके 7 हाइब्रिड ने बीएमबीडीवी घटनाओं के लिए >90% सरवाइवल दिखाया।
- चार सिल्कवॉर्म रेसेस अर्थात प्योर मैसूर (पीएम), सीएसआर-2, एसके-6 और निस्तारी का पूरी जीनोम री-सीक्वेंसिंग (डब्ल्यूजीएस) फंक्शनल जीनोमिक्स की पहचान और समझ के लिए पूरा किया गया।
- मलबरी के पत्तों और मिट्टी में कीटनाशकों का पता लगाने के लिए लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल पेपर स्ट्रिप तकनीक विकसित की गई।

4.3.3.3. अनुसंधान एवं विकास पहल- वान्या क्षेत्र

- हाई लीफ यील्ड (6-7 किग्रा/वृक्ष/फसल) वाले 07 सुपीरियर टर्मिनलिया हाईब्रिड की पहचान की गई।
- प्री-ब्रीडिंग प्रोग्राम में उपयोग के लिए पूर्वोतर क्षेत्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से 08 जंगली/खेती की गई पेरेनियल कैस्टर की प्रजातियों को एकत्र किया गया।
- टी. अर्जुना (28.6 टन/हेक्टेयर) और टी. टोमेंटोसा (23.9 टन/हेक्टेयर) की बायोमास कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन स्थान के पोटेंशियल का क्रमशः 10 फीट x 6 फीट और 12 फीट x 12 फीट की दूरी पर आंकलन किया गया।
- टर्मिनलिया अर्जुन की जड़ों के साथ एक्टोमाइकोरिज़ल सिम्बोसिस बनाने और सीडिंग्स की ग्रोथ को बढ़ावा देने की क्षमता वाले पाँच अलग-अलग फंगल आइसोलेट्स को आइसोलेट किया गया।
- एरी सिल्कवार्म के लिए पेरेनियल होस्ट प्लांट, बारपेट की मानकीकृत नर्सरी बनाने की तकनीक, जिसे किसान नर्सरी स्थापित करने के लिए एक एंटरप्रेन्योरल वैंचर के रूप में अपना सकते हैं।
- उत्तर पूर्वी भारत की ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन (एसओसी) को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया गया, जिससे एनवायर्नमेंटल कोवैराइटीज और मिट्टी के स्पेशियल डिस्ट्रिब्यूशन मॉडल के विकास में सहायता मिली। ये एसओसी मैप्स पूर्वानुमानित अनिश्चितताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो मिट्टी

की गुणवत्ता में बदलाव का आकलन करने के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करते हैं।

- विभिन्न मौसमों में मुगा सिल्कवार्म रीयरिंग और ग्रेनेज परफारमेंस का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया, जिसमें चार फूड प्लांट्स: सोम (पर्सिया बॉम्बाइसीना), सोआलू (लिटसिया मोनोपेटाला), डिघलोटी (लिटसिया सैलिसिफोलिया), और मेजनकोरी (लिटसिया क्यूबेहा) पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अध्ययन ने सोम और सोआलू (या इसके विपरीत) के सुपीरियरिटी ऑफ काम्बिनेशन को प्रदर्शित किया, जिसके बाद दिघलोटी को शामिल करने वाले काम्बिनेशन ने आशाजनक परिणाम दिखाए।
- 'क्यू. सेराटा को प्रभावित करने वाले इंसेक्ट पेस्ट के नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशकों का उपयोग' प्रौद्योगिकी को मान्य किया गया। बायोनीम के एप्लिकेशन से प्रयोग के 14वें दिन पेस्ट इंफैक्शन 70-75% कम हो गया।
- एरी चाकी रेयरिंग (सामिया रिकिनी) के लिए प्रैक्टिसेस का मानकीकृत पैकेज और मॉडल चाकी रेयरिंग हाउस का डिजाइन तैयार किया गया। 1:1.50 के बीसी अनुपात के साथ कंवैन्शनल प्रैक्टिसेस की तुलना में लगभग 20% अधिक उपज (90 किग्रा/100 डीएफएल) देखी गई।
- वान्या रेशम उत्पादन में पेब्राइन की पहचान के लिए एलएफए किट के रूप में जानी जाने वाली एक तीव्र, विशिष्ट और अधिक संवेदनशील पॉइंट ऑफ़ केयर डायग्नोस्टिक तकनीक विकसित की गई।
- तसर सिल्कवार्म रिफ्यूज, जैसे अंडे, प्यूपा और एडल्ट मॉथ टिस्यूज पर कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रोटोकॉल को मानकीकृत किया गया।
- वाइरल पैथोजन्स, AaCPV4 की पहचान की गई जो मुगा सिल्कवार्म में वाइरोसिस का कारण बनता है। वाइरोसिस की रोकथाम के लिए डिसइफैक्टेट विकसित किया गया।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके पेब्राइन (नोसेमा प्रजाति Aa1) का पता लगाने के लिए एक नई विधि विकसित की गई है।
- मंडला, मध्य प्रदेश में साल फ्लोरा के सैटेलाइट मैप को मंडला इकोरेस के सर्वेक्षण और संग्रह के लिए डिजिटल किया गया है। मेटाडेटा को बाराफ और जटा दाबा पारिस्थितिकी के प्रचलित इकोपैकेट्स से एकत्र किया गया था।
- आईसीएआर-सीआईएफआरआई-बैरकपुर के सहयोग से तसर अपशिष्ट प्यूपा से फिश फीड (रेशमीन) विकसित किया गया।
- मणिपुर की स्थिति में व्यावसायिक रूप से अपनाने के लिए एंथेरिया फ्रिथी के रीयरिंग और ग्रेनेज टैकनोलॉजी को मानकीकृत किया गया।
- मणिपुर की विभिन्न एग्रो-क्लाईमेटिक स्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न एरी सिल्कवार्म इकोरेस- स्ट्रेन्स, ब्रीड्स को बनाए रखा गया। तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला है कि इकोरेस- बोर्डुआर और सी2 ब्रीड 400 से अधिक अंडों और ईआरआर% > 87% की फैकंडटी के साथ कम और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
- ओक तसर सिल्कवार्म की तीन प्रजातियाँ ए. प्रोलेई, ए. पर्नी, ए. फ्रिथी और नौ विकसित ब्रीड्स, एरी और मुगा सिल्कवार्म की तीन इकोरेसेस आरएसआरएस, इम्फाल में जीपीबी में रखी जा रही हैं।
- ओक तसर के टाइगर बैंड रोग के खिलाफ सीड ट्रीटमेंट के लिए 0.2% सोडियम हाइपो-क्लोराइट के मानकीकृत उपयोग को ऑन फील्ड ट्रायल (ओएफटी) के माध्यम से मान्य किया गया। नियंत्रण में हारवेस्ट किए गए कोकून की संख्या में 43-46% का सुधार दिखाया गया है।

4.3.3.4. वाणिज्यीकरण के लिए पेटेंट प्राप्त/पेशकश की गई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद

क. दायर किए गए पेटेंट

1. स्वचालित किल्चा (स्कीइंग) मशीन का डिजाइन और विकास (202341038530) - 05.06.2023 - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु
2. तसर कोकून पकाने के पानी से शुद्ध सेरिसिन प्रोटीन प्राप्त करने की विधि (202331037751) - 01.06.2023 - सीटीआरटीआई-रांची
3. वान्या रेशमकीट के अवशेषों पर कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रक्रिया (202331038944) - 07.06.2023 - सीटीआरटीआई-रांची

4. मूल्यवर्धित तसर रेशम प्राप्त करने के लिए कोकूनेज एंजाइम वैरिएंट आधारित कोकून प्रसंस्करण (202331039147) - 08.06.2023 - सीटीआरटीआई-रांची
5. रेशमकीट रेसीड्यूज से चिटिन निकालने की विधि (202441016264) - 07.03.2024 - सीएसआरटीआई-मैसूर

ख. प्रदान किए गए पेटेंट:

1. रेशम उत्पादन में उपयोग के लिए हीटिंग सिस्टम (433551) -01.06.2023 - सीएसआरटीआई-मैसूर
2. रेशम के कीट पालन के लिए सहायक स्टैंड (440879) - 27.07.2023 - सीएसआरटीआई-मैसूर
3. रियरिंग हाउस, पालन उपकरणों और पालन वातावरण कीटाणुरहित करने के लिए एक नवीन धीमी गति से वाष्पशील, व्यापक-स्पेक्ट्रम, उपयोगकर्ता के अनुकूल रचना (440850) - सीएसआरटीआई-बरहामपुर
4. रेशमकीट की समकालिक परिपक्वता के लिए अचिरांथेस एस्पेरा से फाइटो-एक्डीस्टेरॉइड प्राप्त करने की एक प्रक्रिया (440485) - 25.07.2023 - सीएसआरटीआई-पंपोर
5. कोकून के लिए गर्म हवा सुखाने की मशीन (438088) - 10.07.2023 - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु
6. कोकून के लिए कुकिंग मशीन (483948) - 17.12.2023 - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु
7. सिल्क हैंडलूम के लिए एक बेहतर कम घर्षण वाला जैक्वार्ड बॉक्स (515102) - 26.02.2024- सीएसटीआरआई-बेंगलुरु

ग. वाणिज्यीकरण:

1. विजेता सप्लीमेंट पाउडर (सिल्कवार्म बेड कीटाणुनाशक) (अनिल इंडस्ट्रीज)- 13.06.2023 - सीएसआरटीआई-मैसूर
2. लीफ सरफेस माइक्रोब्स (एलएसएम) - तसर रक्षक (बायोसेफ हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड) -10.07.2023 - सीटीआरटीआई-रांची
3. अंकुश (एक नया सिल्कवार्म बेड कीटाणुनाशक) (हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड) -10.10.2023 - सीएसआरटीआई-मैसूर
4. पोषण (न्यूकेयर एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड) -04.12.2023 - सीएसआरटीआई-मैसूर
5. रक्षा विभाग में सू बैटल टैंक इंजन के लिए विशेष प्रयोजन सिल्क यार्न का विकास (एच.गंगाधर एंड संस) -14.12.2023 - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु
6. लैबेक्स पाउडर (हैप्पी एंटरप्राइजेज) -28.12.2023 - सीएसआरटीआई-मैसूर
7. विजेता सप्लीमेंट पाउडर (हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड) -23.01.2024 - सीएसआरटीआई-मैसूर
8. फाइटो इक्डीसोन (न्यूकेयर एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड) -08.02.2024 - सीएसआरटीआई-मैसूर
9. विजेता (न्यूकेयर एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड) -09.02.2024 - सीएसआरटीआई-मैसूर
10. एमआर प्रो की तैयारी की एक प्रक्रिया (रेनबो एग्रो-वेंट टेक्नोलॉजीज) - 01.03.2024 - सीएसआरटीआई-मैसूर
11. चिटिन/चिटोसन के निष्कर्षण की प्रक्रिया (एज़िमियस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड) -01.03.2024 - सीएसआरटीआई-मैसूर
12. रिंकल रेसिस्टेट और हाई ड्रेप सिल्क फैब्रिक का विकास और विशेषता (आरएमकेवी सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड) -01.03.2024 - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु
13. कमर्शियलाइज्ड ज़री परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल का विकास और वैलीडेशन (एच.गंगाधर एंड संस) -01.03.2024 - सीएसटीआरआई-बेंगलुरु

4.3.3.5 उत्पाद डिजाइन विकास और विविधीकरण

1. रेशम एक्सपो/प्रदर्शनियों में थीम पैवेलियन और उत्पादों के प्रदर्शन का आयोजन करके भारतीय रेशम का जेनरिक और ब्रांड प्रचार।
2. बाजार की मांग के अनुरूप नवोन्मेषी डिजाइनों और कपड़ों के विकास में रेशम निर्माताओं और निर्यातकों की सहायता करना।
3. रेशम उत्पादों में नवीनतम घटनाक्रमों का प्रदर्शन और अंततः भारतीय रेशम में नवाचारों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाना।
4. पावरलूम और गारमेंट्स पर मुगा साटन फैब्रिक।
5. ब्लेज़र और परिधानों के लिए एरी सिल्क डेनिम कपड़े, एरी और शहतूत निट, एरी सिल्क कंबल और कालीन और एरी सिल्क थर्मल वियर।

6. दुल्हन की पोशाक के लिए पावरलूम पर तसर रेशमी कपड़ा।
7. मूगा रेशम के साथ कांचीपुरम साड़ियों को ज़री के प्रतिस्थापन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
8. दाग रक्षित और गंध उपचारित साड़ियां।
9. बाग (मध्यप्रदेश) क्लस्टर में छपी रेशमी साड़ियां/कपड़े।
10. पारंपरिक लम्बानी कलाकृति वाले उत्पाद।
11. बोम्काई डिजाइन वाली शहतूत x एरी साड़ी।
12. नागालैंड ट्राइबल मोटिफ वाली मलबरी साड़ी और सिल्क/लिनेन, सिल्क/कॉटन, सिल्क/मॉडल फैब्रिक्स।

4.3.3.6. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रभाग ने सीएसबी के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर रेशम क्षेत्र में विभिन्न अनुशंसित प्रौद्योगिकियों और हाल की प्रगति पर उद्योग हितधारकों के लिए विभिन्न संरचित और आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण आयोजित किए, जिसमें रेशम के सभी उप-क्षेत्रों (मलबरी, तसर, एरी और मूगा) को शामिल किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 15172 (आंतरिक एवं उद्योग स्टेकहोल्डर सहित) व्यक्तियों को शामिल किया गया। वर्ष 2023-2024 के दौरान, 11120 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न 'कौशल बीजारोपण' और 'कौशल विकास' प्रशिक्षण के लिए 13908 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.3.3.7. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (टीओटी):

समाप्त परियोजनाओं से विकसित प्रौद्योगिकियों को विभिन्न विस्तार संचार कार्यक्रमों अर्थात् कृषि मेला, समूह चर्चा, प्रबोधन कार्यक्रम, क्षेत्र दिवस, किसान सम्मिलन, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, आदि के माध्यम से क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है, कोकून-पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कुल 705 ईसीपी आयोजित किए गए थे और संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों को 41983 हितधारकों के मध्य प्रभावी रूप से अंतरित किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न मानकों के लिए 1,00,719 कोकून लॉटों, कच्ची रेशम, फैब्रिक, रंग, जल आदि के लिए बहुत से परीक्षण किए गए।

4.3.4.8. सूचना प्रौद्योगिकी (दिसम्बर, 2023 तक सूचना प्रौद्योगिकी पहल):

i. **एम-किसान:** सीएसबी ने कृषकों को उनके मोबाइल टेलीफोन से एम-किसान वेब पोर्टल के इस्तेमाल द्वारा वैज्ञानिक सुझावों को प्रदान करने हेतु सूचना-प्रसार के लिए वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की पहुंच को और विस्तृत किया है। सभी मुख्य संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से सलाह प्रदान कर रहें हैं। दिनांक 31.03.204 तक कुल 943 एडवाइजरी और 56,94,536 एसएमएस संदेश भेजे गए।

ii. **एसएमएस सेवा:** कृषकों तथा उद्योग के अन्य पणधारियों के उपयोग के लिए रेशम तथा कोकून की दैनिक बाज़ार दर के संबंध में मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस सेवा प्रचालित की गई है। पुश और पुल दोनों एसएमएस सेवा प्रचालन में है। रेशम उत्पादन निदेशालय से प्राप्त मोबाइल नम्बर को अद्यतन किया गया है और दैनिक आधार पर सभी पंजीकृत 14,129 कृषकों को एसएमएस संदेश प्राप्त हो रहे हैं

iii. **सिल्क पोर्टल:** उत्तर-पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से उपग्रह के माध्यम से छाया चित्रों को लेते हुए रेशम उत्पादन सूचना संपर्क एवं ज्ञान प्रणाली पोर्टल का विकास किया गया और रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए उपयोगी क्षेत्रों के चयन एवं विश्लेषण हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। बहुभाषी, बहु-जिला ऑकडा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

iv. **वीडियो कान्फ्रेंस:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड में सीएसबी कॉम्प्लेक्स, बेंगलूरु, सीएसआरएंडटीआई, मैसूरु व बहरामपुर, सीटीआरएंडटीआई, राँची, सीएसआरएंडटीआई, पाम्पोर, सीएमईआरएंडटीआई, लाहदोईगढ़ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में सुसज्जित वीडियो कान्फ्रेन्स सुविधा उपलब्ध है। दिनांक 31.03.2024 तक 807 मल्टी-स्टुडियो वीडियो कान्फ्रेंस संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, कई वेब आधारित वीडियो कान्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी।

v. **सीएसबी की वेबसाइट:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड की वेबसाइट "csb.gov.in"द्विभाषी रूप अर्थात् अंग्रेजी तथा हिन्दी में उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से सामान्य नागरिकों के लिए, जिन्हें संगठन तथा इसकी योजनाओं एवं अन्य विवरण के बारे में जानना होता है, अधिकाधिक जानकारी प्रसारित की जाती है। वेबसाइट

में रेशम उत्पादन योजना कार्यक्रम, उपलब्धियाँ तथा सफलता की कहानियाँ विशेष रूप से दी गई हैं।

vi. **किसानों तथा रीलर्स के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस:** राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों तथा धागाकारों का डेटाबेस बनाने के लिए कृषक एवं धागाकार डेटाबेस को तैयार कर इसे विकसित किया गया है, इससे प्रभावी निर्णय लेने में समुचित सूचना के साथ नीति निर्धारकों को मदद मिलेगी। डेटाबेस में राज्यों द्वारा 31.03.2024 तक कुल 7,69,989 कृषकों एवं 15,595 रिलर्स के विवरण रिकार्ड किए गए हैं।

4.3.4. बीज संगठन- रेशमकीट बीज उत्पादन तथा आपूर्ति

सीएसबी के पास राज्यों को बुनियादी बीज की आपूर्ति करने वाले बुनियादी बीज फार्मों की एक श्रृंखला है। इसके वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्र किसानों को वाणिज्यिक रेशम कीट बीज की आपूर्ति करने में राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। देश भर में फैले इसके बुनियादी/वाणिज्यिक बीज उत्पादन केंद्रों की नेटवर्क के माध्यम से राज्यों को बुनियादी और वाणिज्यिक बीज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए मलबरी हेतु राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन (एनएसएसओ), तसर के लिए बुनियादी तसर रेशम कीट बीज संगठन (बीटीएसएसओ), मूगा और एरी के लिए मूगा रेशम कीट बीज संगठन (एमएसएसओ) स्थापित किए गए हैं।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 और 2023-2024 के दौरान सीएसबी की बीज इकाईयों द्वारा प्राप्त प्रगति का विवरण दर्शाती है:

(इकाईः लाख डीएफएलएस)

विवरण	2022-23		2023-24	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
मलबरी	435.53	360.16	360.53	364.55
तसर	46.23	35.95	33.44	34.90
ओक तसर	0.10	0.04	0.10	0.047
मूगा	6.59	6.51	7.60	7.13
एरी	6.20	6.79	6.40	7.26
कुल	494.65	409.45	408.07	413.887

4.3.5. समन्वय तथा बाजार विकास

The vision of CSB is to “See India emerges सीएसबी का लक्ष्य है “भारत विश्व में रेशम के अग्रणी देश के रूप में उभरे” और इस लक्ष्य परक कथन के समर्थन में बोर्ड ने सभी 3 विशेष क्षेत्रों - क) रेशमकीट बीज उत्पादन, ख) क्षेत्र/कोसा पूर्व क्षेत्र तथा ग) उद्योग अथवा कोसोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों एवं कार्यनीतियों को योजनाबद्ध किया है।

सीएसबी के कार्यकलापों में अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शन, 4 स्तरीय रेशमकीट बीज उत्पादन नेटवर्क का रख-रखाव, वाणिज्यिक रेशमकीट बीज उत्पादन में नेतृत्व, विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में गुणवत्ता पैरामीटर स्थापित करना, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रेशम का उन्नयन तथा केन्द्र सरकार को रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों में सलाह देना शामिल है। इन कार्यकलापों का संचालन विभिन्न राज्यों में स्थित 159 इकाइयों [31.03.2024 के अनुसार] के समूह द्वारा किया जा रहा है।

रेशम की बढ़ती आंतरिक मांग और भूमंडलीय ताप, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, शहरीकरण एवं नए नाशक जीवों और रोगों के प्रकोप की चुनौतियों को पूरा करने एवं रेशम उत्पादन क्षेत्र को वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान व विकास संस्थान निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अनुसंधान व विकास संस्थान

किसानों/विद्यार्थियों/ पणधारियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

रेशम उद्योग के संपूर्ण विकास के लिए संबंधित राज्य के रेशम उत्पादन विभाग और निजी उद्यमियों के समन्वय से केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) और रेशम उद्योग के विकास से संबंधित अन्य सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीएसबी के क्षेत्रीय कार्यालयों की सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है।

4.3.6 गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली:

गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली का एक प्रमुख्य उद्देश्य यह है कि गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता निर्धारण और गुणवत्ता प्रमाणन को सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय किया जाए। योजनांतर्गत, दो घटकों यथा "कोसा एवं कच्चे रेशम के परीक्षण एकक" एवं "रेशम मार्क संवर्धन" को लागू किया जा रहा है। कोसों की गुणवत्ता से धागाकरण के दौरान निष्पादन तथा उत्पादित कच्चे रेशम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीडीपी के समर्थन से विभिन्न कोसा बाज़ारों में स्थापित कोसा परीक्षण केंद्र कोसा परीक्षण के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। भारत के रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई) से संबंद्ध केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रमाणन केंद्रों का नेटवर्क निर्यात किए जाने वाले रेशम माल को लदान पूर्व स्वैच्छिक निरीक्षण करते हैं, ताकि निर्यातकों के अनुरोध पर भारत से निर्यात किए जा रहे रेशम माल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, भारत के रेशम मार्क संगठन [एसएमओआई] के माध्यम से रेशम उत्पादों की शुद्धता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड "रेशम मार्क" को लोकप्रिय बना रहा है। "रेशम मार्क", लेबल एक प्रकार का आश्वसन है, जो शुद्ध रेशम के नाम पर कृत्रिम रेशम उत्पादों को बिक्री करने वाले व्यापारियों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है।

वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 के दौरान सिल्क मार्क योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:

विवरण	**2022-23**		**2023-24**	
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
नामांकित नये सदस्यों की कुल सं.	275	399	350	436
बेचे गए सिल्क मार्क लेबलों की कुल सं. (लाख)	27	40.27	34	35.93
जागरुकता कार्यक्रम/ प्रदर्शनी/ मेले/ कार्यशाला/ रोड शो	600	808	700	838

4.3.6.1. सिल्क मार्क एक्स्पो

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिल्क मार्क को और अधिक विश्वसनीयता और लोकप्रियता मिले, सिल्क मार्क एक्स्पो का आयोजन देश भर में केवल सिल्क मार्क अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित एक्स्पो नीचे दिए अनुसार हैं:

1. एसएमओआई, गुवाहाटी चैप्टर द्वारा दिनांक 6 से 10 अक्टूबर, 2023 तक गुवाहाटी सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो का उद्घाटन फिल्मी हस्ती श्रीमती निशिता गोस्वामी ने किया। इस एक्सपो में कई राज्यों से कुल 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया। लगभग 6000 लोगों ने इस एक्सपो का दौरा किया और इस एक्सपो में कुल कारोबार 2.8 करोड़ रुपये का हुआ।
2. एसएमओआई, नई दिल्ली और 05(पांच) एसएमओआई सदस्यों ने दिनांक 29-10-2023 को मोती बाग, नई दिल्ली में आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित "दीप उत्सव" प्रदर्शनी में भाग लिया।

3. एसएमओआई, नई दिल्ली चैप्टर ने 3 से 11 नवंबर 2023 तक लखनऊ में डीओएस, यूपी द्वारा आयोजित एक्सपो में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश सचान, माननीय मंत्री खादी ग्रामोद्योग और वस्त्र उद्योग, यूपी सरकार थे और उन्होंने एक्सपो का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 16 एसएमओआई सदस्यों ने भाग लिया और कुल बिक्री 15.2 लाख रही।
4. एसएमओआई, नई दिल्ली ने दिनांक 14 से 27 नवंबर, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में भाग लिया।
5. एसएमओआई, वाराणसी चैप्टर ने दिनांक 28 से 30 अक्टूबर, 2023 तक मथुरा, यूपी में दूसरे उज्ज्वल कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मथुरा, यूपी की सांसद श्रीमती हेमामालिनी ने किया।
6. एसएमओआई, मुंबई चैप्टर ने दिनांक 10.12.2023 को "वन भारत साड़ी वॉकथॉन" कार्यक्रम में भाग लिया और माननीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
7. एसएमओआई, बैंगलोर चैप्टर ने दिनांक 09.02.2024 को सीएसआरटीआई, मैसूर में सिल्क मार्क और इंडियन सिल्क पर सीएसआरटीआई, मैसूर के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
8. एसएमओआई, नई दिल्ली चैप्टर ने 26.02.2024 से 28.02.2024 तक भारत टेक्स- 2024 में भाग लिया। इस मेगा इंटरनेशनल टेक्सटाइल इवेंट के लिए सिल्क्स ऑफ इंडिया थीम पवेलियन बनाया गया और छह अधिकृत उपयोगकर्ताओं (एयू) ने भाग लिया। एक अन्य प्रदर्शनी स्थल यशभूमि में 15(पंद्रह) सिल्क मार्क अधिकृत उपयोगकर्ताओं (एयू) ने भाग लिया। भारत टेक्स-2024 के दौरान पी3डी की वान्या कॉफी टेबल बुक और प्रोडक्ट केटालॉग जारी की गई।
9. एसएमओआई, श्रीनगर चैप्टर ने दिनांक 01.03.2024 से 08.03.2024 तक जम्मू में सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया। इस एक्सपो में 10 राज्यों के अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा कुल 20 स्टॉल बुक किए गए।
10. एसएमओआई बैंगलोर कॉर्पोरेट कार्यालय ने दिनांक 08.03.2024 को महिला दिवस मनाया और विज्ञापन जारी किए।

4.3.7. योजनागत योजनाओं के लिए बजट आबंटन:

वर्ष 2022-23 एवं 2023-2024 के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बजट आवंटन और सीएसबी द्वारा किया गया व्यय निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

#	सीएसबी के कार्यक्रम	2022-23		2023-24	
		आवंटन	व्यय	आवंटन (ब.अ. अनुमोदित)	व्यय
	सिल्क समग्र (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना)				
1.	अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहल	815.00 (*)	815.00 (*)	815 ($)	815 ($)
2.	बीज संगठन				
3.	समन्वय एवं बाज़ार विकास (एचआरडी)				
4.	गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली एवं निर्यात/ ब्रांड संवर्धन तथा तकनीकी उन्नयन				

एससीसीपी	25.00	25.00	25.00	25.00
टीएसपी	35.00	35.00	35.00	35.00
कुल जोड़	875.00	875.00	875.00	875.00

(*)-वर्ष 2022-23 के दौरान 875.00 करोड़ रुपए के आबंटन तथा व्यय में "492.68 करोड़ रुपए का "जीआईए-वेतन घटक" शामिल है।

($)-वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 875.00 करोड़ रुपये के आवंटन और व्यय में 509.46 करोड़ रुपये का "जीआईए-वेतन घटक" शामिल है

4.3.8. सिल्क समग्र योजना 2023-24 के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

4.3.8.1. अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी)

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए रेशम उत्पादन के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। एससीएसपी के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण धनराशि को कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, पंजाब राज्यों को कवर करते हुए लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण रूप से उपयोग/जारी किया गया।

4.3.8.2. जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) और पूर्वोत्तर जनजातीय (एनईटी)

वर्ष 2023-24 के दौरान, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) पूर्वोत्तर जनजातीय (एनईटी) के अंतर्गत राज्यों को क्रमशः 15.00 करोड़ रुपये और 20.00 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। टीएसपी के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण धनराशि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और नागालैंड राज्यों को पूरी तरह से उपयोग/जारी की गई तथा सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए एनईटी के अंतर्गत संपूर्ण धनराशि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को भी पूरी तरह से उपयोग/जारी की गई।

4.3.9. कनवर्जेंस

वस्त्र मंत्रालय सीएसएस- सिल्क समग्र-2 योजना के तहत रेशम उत्पादन क्षेत्र को सहायता प्रदान कर रहा है। भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों जैसे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करके, रेशम क्षेत्र के लिए अभिसरण के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। राज्यों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्यों ने 222 परियोजनाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें से 846.97 करोड़ रुपये की 176 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए राज्य को 485.73 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इसके अलावा, 2023-24 के दौरान, वित्त पोषण विभाग को प्रस्तुत 201 परियोजनाओं में से 166.69 करोड़ रुपये की 201 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और रेशम उत्पादन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 114.57 करोड़ रुपये जारी किए गए।

4.4 ऊनी और ऊनी वस्त्र

4.4.1. केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर की स्थापना जुलाई, 1987 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जोधपुर, राजस्थान में है। सीडब्ल्यूडीबी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। सीडब्ल्यूडीबी 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान सभी ऊन उत्पादक राज्यों में ऊन क्षेत्र की योजना 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए वस्त्र मंत्रालय की नोडल एजेंसी है।

4.4.2. योजनागत बजट

ऊन क्षेत्र के विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 15वें वित्त

आयोग की अवधि यानी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए एसएफसी नोट के माध्यम से एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के युक्तिकरण और निरंतरता को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कुल 126 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजना आवंटन 13.50 करोड़ रुपये और 80 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि है, बोर्ड को एमओटी से कुल 1247.625 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। सीडब्ल्यूडीबी द्वारा आईडब्ल्यूडीपी योजना के कार्यान्वयन के तहत 31 मार्च, 2024 तक व्यय 11.64 करोड़ रुपये (आईडब्ल्यूडीपी-वेतन शीर्ष/घटक के 3.50 करोड़ रुपये सहित) है।

क. कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का विवरण:

ऊन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) के युक्तिकरण और निरंतरता को मंजूरी दी थी, जिसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत दिनांक 15-06-2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी योजना का उद्देश्य भारत को तकनीकी पहल के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धी और ऊनी उत्पाद के गुणवत्ता विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना और ऊन क्षेत्र के विभिन्न खण्डों का अधिकतम उपयोग करना है:- (i) ऊन आपूर्ति श्रृंखला को सुसंगत बनाना और राज्य सरकार की कच्ची ऊन खरीद क्षमता में वृद्धि करके बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज को बढ़ाना, (ii) ऊन उद्योग को ऊन उत्पादकों के साथ जोड़ने के लिए सुविधाओं का सृजन करना (iii) एक्सपो के माध्यम से छोटे ऊनी उत्पाद विनिर्माण को मार्किटिंग मंच प्रदान करना, (iv) ऊन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीन शियरिंग के माध्यम से अधिक भेड़ों को कवर करना, (v) आधुनिक ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना के माध्यम से तैयार ऊनी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, (vi) ऊन की जांच, गांठ बनाने की सुविधाएं बढ़ाना और ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए उपकरण उपलब्ध कराना, (vii) मोटे ऊन का उपयोग, और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों में ऊन का उपयोग, (viii) हस्तनिर्मित पारंपरिक डिजाइन गुणवत्ता वाले ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण, (ix) पश्मीना और कालीन ग्रेड ऊन की ब्रांडिंग और (x) हिमालयी क्षेत्र में पश्मीना ऊन क्षेत्र का विकास करना। यह कार्यक्रम (i) ऊन मार्किटिंग योजना, (ii) ऊन प्रसंस्करण योजना, (iii) मानव संसाधन विकास और प्रचारात्मक गतिविधियाँ और (iv) पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस) के घटकों को शामिल करके ऊन क्षेत्र के विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईडब्ल्यूडीपी के विभिन्न घटकों के तहत की गई प्रगति निम्नानुसार है-

i) ऊन मार्किटिंग योजना (डब्ल्यूएमएस)

ऊन मार्किटिंग योजना के तहत उप-घटक, 'कच्चे ऊन के मार्किटिंग के लिए चक्रीय निधि का सृजन करके लाभकारी मूल्य पर कच्ची ऊन की अधिक खरीद के लिए सहायता करने, ऊन के मार्किटिंग/नीलामी के लिए ई-पोर्टल का निर्माण करने, ऊन उत्पादक समितियों / एसएचजी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करने, ऊन उत्पादकों के लिए कच्चे ऊन की बिक्री में आसानी सुनिश्चित करने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, मौजूदा / नई ऊन मंडियों / ग्रेडिंग / संग्रह केंद्रों में ऊन मार्किटिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता और मार्किटिंग सहायता प्रदान करने के लिए ऊनी एक्सपो का आयोजन, ऊनी कारीगरों/बुनकरों/सोसाइटियों आदि को अपने ऊनी उत्पादों को बेचने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए होती हैं। ऊन के मार्किटिंग के लिए चक्रीय निधि का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों (राज्य सरकार के ऊन मार्किटिंग बोर्ड/निगम) द्वारा ऊन की खरीद के लिए किया जाएगा और ऊन खरीदने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियां ऊन उद्योगों को ऊन की बिक्री करेंगी। इस प्रकार वे अगले कतरन मौसम में ऊन की खरीद के लिए इसे फिर से उपयोग करने के लिए निधि वापस प्राप्त करते हैं। इस तरह से निधि को वर्ष में दो बार रिवाल्व किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीडब्ल्यूडीबी द्वारा इस योजना/घटक के अंतर्गत कुल 107 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

ii) ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

यह योजना ऊन प्रसंस्करण मशीनों/सुविधाओं जैसे स्कोरिंग, कार्बोनाइजिंग, स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग मशीन (शॉल, कालीन, कपड़े), नान-वुवेन, फेल्ट, बुनाई, अंगोरा ऊन प्रसंस्करण और मशीनों को रखने के लिए कुछ भवन के निर्माण के प्रावधान सहित ईटीपीके लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस घटक के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन/निगम

होंगे और वे आगे अनुबंध/पट्टे के आधार पर परियोजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। भवन निर्माण के लिए अनुदान सहित सीएफ़सी के लिए मशीनरी की खरीद के लिए संबंधित सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी को सहायता अनुदान के रूप में अधिकतम पांच करोड़ रुपए का प्रावधान प्रदान किया जाएगा। मशीनरी को रखने के लिए उससे संबंधित निर्माण लागत सीएफ़सी के स्वीकृत अनुदान का 25% से अधिक नहीं होगी। कार्यान्वयन एजेंसी सीएफ़सी की स्थापना के लिए किए गए सभी प्रकार के आवर्ती व्यय और सभी उपकरणों/मशीनरियों के रखरखाव की लागत वहन करेगी। ऊनी उद्योग में सीएफ़सी की स्थापना का उद्देश्य आधुनिक प्रसंस्करण मशीनों के माध्यम से बेहतर ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता, घरेलू ऊन की बेहतर खपत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता करना है। अन्य मशीनों/उपकरणों जैसे: - बेल प्रेस मशीन, ऊन परीक्षण उपकरण और ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों का वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के तहत स्पेयर पार्ट्स के साथ भेड़ कतरनी मशीनों की खरीद के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीडब्ल्यूडीबी द्वारा इस योजना/घटक के अंतर्गत कुल 138.58 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

iii) मानव संसाधन विकास और सवर्धनात्मक क्रियाकलाप (एचआरडी)

आईडब्ल्यूडीपी के इस घटक के तहत क्रियाकलापों में, ऊनी उत्पादों के निर्माण/बुनाई के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवीनतम प्रौद्योगिकी मशीनों के संचालन के लिए औद्योगिक कामगारों को मोके पर प्रशिक्षण, मशीन भेड़ कतरनी पर प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय/घरेलू सहयोग हितधारकों की बैठक/सम्मेलन, ऊन सर्वेक्षण/अध्ययन करना शामिल है। ऊन क्षेत्र के मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने/अनुभवों को साझा करने और नई विकसित प्रौद्योगिकी/सुविधाओं का प्रसार करने के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला/भेड़ मेला/बैठक भी आयोजित की जाएगी। दुनिया भर में भारतीय ऊनी उत्पादों को बढ़ावा देने और समग्र ऊन उद्योग/व्यापारियों/उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भारतीय ऊन मार्क और कालीन (कालीन) मार्क विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उत्पाद विकास/प्रक्रिया संशोधन/ब्रांडिंग और ऊन के लेबलिंग/विविधीकरण या प्रक्रिया संशोधनों, नवीन उत्पादों के विकास और दक्कनी ऊन के बेहतर उपयोग, जैविक ऊन के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया, स्वदेशी ऊन के मानकीकरण, जियो-टैगिंग और तकनीकी वस्त्र में ऊन का उपयोग करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करनेके लिए प्रावधान किया गया है। अनुसंधान परियोजनाओं से मोटे ऊन से नवीन उत्पादों का विकास होगा जिसका वर्तमान में अधिक उपयोग नहीं है। यह अनुसंधान एवं विकास कार्यों के वाणिज्यिकी के लिए उद्योग के गठजोड़ सुनिश्चित करेगा। बीकानेर में मौजूदा ऊन परीक्षण केंद्र को संचालित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल्लू (हि.प्र.) में लैब और वीविंग एंड डिजाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर/ आईएससी का उन्नयन करना शामिल है।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बीकानेर में ऊनी उद्योग को ऊन परीक्षण सेवाएं प्रदान करने, सीडब्ल्यूडीबी के कुल्लू प्रशिक्षण केंद्र में हथकरघा पर प्रशिक्षण और कुछ अन्य घटकों/व्यय के लिए 31 मार्च, 2024 तक 308.89 लाख रुपये का उपयोग किया गया है।

iv) पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)

पश्मीना ऊन विकास योजना के कार्यान्वयन से पश्मीना घुमंतुओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और साथ ही घुमंतुओं को लाभकारी आय, गार्ड रूम के साथ शेल्टर का निर्माण, सहायक उपकरण के साथ पोर्टेबल टेंट,एलईडी लाइट के साथ शिकारी प्रूफ कोरल का निर्माणसुनिश्चित करके पश्मीना ऊन मार्केटिंग के लिए रिवाल्विंग फंड का सृजन करके उनकी पश्मीना बकरियों की सुरक्षा भी होगी। लेह में अच्छी गुणवत्ता वाली पश्मीना यार्न प्रदान करने के लिए कताई, रंगाई, बुनाई, परिष्करण उत्पाद निर्माण (बुना / बुना हुआ) जैसी पश्मीना ऊन प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना करना ताकि पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में शुरू हो सके और बेरोजगार युवा इस पेशे को अपना सके तथा पश्मीना ऊन की मांग बढ़ाने में मदद कर सकें। पश्मीना ऊन के साथ-साथ पश्मीना उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए पश्मीना मार्क/लेबल के विकास के माध्यम से पश्मीना उत्पादों की ब्रांडिंग। शुद्ध पश्मीना उत्पादों की पहचान के लिए प्रयोगशाला की स्थापना किए जाने से वास्तविक पश्मीना उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। लेह में डी-हेयरिंग

प्लांट परिसर में पश्मीना ऊन के तैयार उत्पादों की मार्किटिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक शोरूम का विकास। चारागाह विकसित किए जाने से पश्मीना बकरियों के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
वर्ष 2023-24 के लिए इस घटक/योजना के अंतर्गत कुल 259.92 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है।

ख. निर्यात का रुझान:

डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ऊन और ऊन मिश्रित उत्पादों का निर्यात किया गया है। वर्ष 2022-23 और 2023-2024 के दौरान ऊनी उत्पादों के निर्यात निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :-

उत्पाद	**2022-23 (अप्रैल,22 से मार्च, 23 तक)**	**2023-24 (अप्रैल,22 से मार्च, 23 तक)**
	करोड़ रुपए में.	**करोड़ रुपए में**
आरएमजी ऊन	1452.37	1672.57
ऊनी यार्न, फैब्रिक, मेड-अप्स आदि	1643.59	1587.09
हस्त निर्मित कालीन (रेशम के अलावा)	10556.92	11174.49
कुल	13652.88	14434.15
वृद्धि/कमी	5.722% वृद्धि	

ग. आयात का रुझान

घरेलू उद्योग परिधान ग्रेड ऊन के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इससे घरेलू उद्योग आयात पर निर्भर हो जाता है। भारत कई देशों से कच्चा ऊन आयात कर रहा है। शीर्ष चार आयात बाजार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन तुर्की आदि हैं। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान कच्चे ऊन, वुलन यार्न, फैब्रिक्स और मेड अप्स और रेडीमेड गारमेंट्स का आयात नीचे दिया गया है

कच्ची ऊन का आयात

2022-23 (अप्रैल,22 से मार्च, 23 तक)		**2023-24 (अप्रैल,22 से मार्च, 23 तक)**	
मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा मिलियन किग्रा में	मूल्य करोड़ रुपए में
80.86	**1864.58**	**92.20**	**1798.84**

ऊनी यार्न, फैब्रिक और मेडअप्स आदि का आयात

2022-23 (मई,22 से मार्च,23 तक)	**2023-24 (अप्रैल,23 से मार्च, 24 तक)**
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
941.23	**1070.74**

आरएमजी का आयात

2022-23 (मई,22 से मार्च,23 तक)	2023-24 (अप्रैल,23 से मार्च, 24 तक)
मूल्य करोड़ रुपए में	मूल्य करोड़ रुपए में
285.22	**497.10**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

अध्याय -V

प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता

5.1. वस्त्र क्षेत्र में उत्पादकता, गुणवत्ता, निवेश और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) क्रियान्वित कर रहा है। टीयूएफएस एक ऋण संबद्ध योजना है जिसका क्रियान्वयन पात्र निवेशों पर सब्सिडी दावों की प्रतिपूर्ति द्वारा अधिसूचित ऋणप्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। .

5.2. यह योजना आरंभ में अप्रैल, 1999 में 31 मार्च, 2004 तक अनुमोदित की गई थी और इसे तत्पश्चात 2004 से 2007 तक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2007 में यह स्कीम तकनीकी वस्त्र और गारमेंट के सेगमेंटों के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी (सीएस) जैसे संशोधनों के साथ आगे बढ़ाई गई थी और इसे संशोधित टीयूएफएस (मी.ट.यूएफएस) के रूप में जाना जाता है। यह योजना 29.06.2010 से 27.04.2011 के दौरान स्थगित रही जिसे 'ब्लैक आउट अवधि' के रूप में जाना जाता है। स्कीम को पुनर्गठित किया गया था और पुनर्गठित टीयूएफ योजना (आरटीयूएफएस) 28.04.2011 से 31.03.2012 तक क्रियान्वित की गई।

5.3 यह योजना पुन: 01.04.2012 से संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआरटीयूएफएस) के रूप में संशोधित की गई थी और 12 जनवरी, 2016 तक क्रियान्वित की गई थी।

5.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)

5.4.1. एटीयूएफएस को 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था और यह 31 मार्च 2022 तक अनुरोध दर्ज करने और यूआईडी बनाने के लिए प्रभावी था। एटीयूएफएस के तहत प्रोत्साहन पात्र बेंचमार्क मशीनरी की स्थापना के लिए एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी थी। एमएसएमई संस्थाओं में योजना के कवरेज में सुधार सुनिश्चित करने के लिए पृथक निकाय हेतु एटीयूएफएस के तहत सब्सिडी सीमा की शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त, रोजगार संभाव्यता वाले क्षेत्र अर्थात गारमेंटिंग क्षेत्र के लिए सब्सिडी की उच्च दर निर्धारित की गई है। एटीयूएफएस में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता वाले क्षेत्र, स्पिनिंग, जिसका पर्याप्त आधुनिकीकरण किया गया है, को निकाल दिया गया था। ताकि एमएसएमई यूनिटें लाभांवित हो सकें। एटीयूएफएस के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की दरें और अधिकतम सीमा नीचे दी गई है:-

तालिका-I

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**पूंजीगत निवेश सब्सिडी की दर (सीआईएस)**
1.	गारमेंटिंग, तकनीकी वस्त्र	30 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा 15% बशर्ते
2.	नए शटल-रहित करघों के लिए बुनाई (प्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग सहित), प्रसंस्करण, पटसन, रेशम तथा हथकरघा	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 10% बशर्ते
3(क)	मिश्रित इकाई / मल्टीपल क्षेत्र - यदि अपैरल एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजीगत निवेश पात्र परियोजना लागत से 50% अधिक है।	30 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 15% बशर्ते
3(ख)	मिश्रित इकाई / मल्टीपल क्षेत्र - यदि अपैरल एवं तकनीकी वस्त्र श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजीगत निवेश 50% से कम है।	20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा 10% बशर्ते

योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

1. देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और विनिर्माण में "जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट" के साथ "मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने और निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करना।
2. वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ-साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात में वृद्धि हेतु सहायता करना। यह परोक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी (बेंचमार्क प्रौद्योगिकी वाली) विनिर्माण में निवेश को भी बढ़ावा देगा।

5.4.2 यदि इकाई ने पूर्व में आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया हो, तो वह नई अथवा मौजूदा इकाइयों के लिए एक एकल इकाई के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर शेष सब्सिडी की सीमा तक पात्र होगी।

5.4.3 टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के अंतर्गत 12,671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं और जनवरी 2016 से पंजीकृत एटीयूएफएस के अंतर्गत नए मामलों के लिए 5151 रुपए की देयताओं को पूरा करने के लिए 2015-16 से 2021-22 तक सात वर्षों के लिए 17,822 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया था।

5.4.4 पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए, योजना को एंड टू एंड वेब आधारित आई-टीयूएफएस के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और मशीनरी की स्थापना और निरीक्षण के पश्चात सीधे यूनिट को सब्सिडी जारी की जाती है। योजना के तहत दावा की गई मशीनरी की बेंचमार्क प्रौद्योगिकी को सत्यापित करने के लिए 100% संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया जाता है।

5.4.5 एटीयूएफएस के तहत, 69160 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को कवर करने वाले और 4962.99 करोड़ रुपये के अनंतिम सब्सिडी मूल्य वाले 14389 सब्सिडी आवेदन दर्ज किए गए हैं और 31.03.2022 तक यूआईडी जारी किए गए हैं। एटीयूएफएस के तहत सब्सिडी आवेदनों का खंड-वार वितरण नीचे दिया गया है:

तालिका II

जनवरी, 2016 से मार्च 2022

क्र. सं	क्षेत्र का नाम	जारी किए गए यूआईडी की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ में)	सब्सिडी धनराशि (करोड़ में)	रोजगार
1	गारमेंटिंग (15% सीआईएस)	1468	3325.55	340.31	547482
2	हथकरघा (10% सीआईएस)	60	56.30	04.57	530
3	पटसन (10% सीआईएस)	13	16.52	01.31	20402
4	बहु-गतिविधि (10% सीआईएस/15% सीआईएस)	2293	31693.0	2039.02	711617
5	प्रसंस्करण (10% सीआईएस)	1622	6602.54	445.28	219482
6	रेशम (10% सीआईएस)	30	41.44	02.71	832
7	तकनीकी वस्त्र (15% सीआईएस)	534	4243.68	396.42	41262
8	विविंग (10% सीआईएस)	8369	23180.87	1733.37	193396
	कुल	14389	69159.9	4962.99	1735003

5.4.6 वेब आधारित प्रक्रिया को सुचारू बनाने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एटीयूएफएस को एक समग्र समाधान बनाने के लिए 02.08.2018 को एटीयूएफएस के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. स्वचालित यूआईडी तैयार करना
ii. डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज प्रस्तुत करना
iii. दस्तावेजों की कम संख्या
iv. मशीन की सूची बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना
v. जेआईटी निरीक्षण के दौरान आईटीयूएफएस पोर्टल में जियोटैग युक्त और टाइम स्टैंप युक्त फोटोग्राफ अपलोड करना
vi. सब्सिडी पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी इकाई के खाते में जारी की गई।
vii. पहचान के लिए मशीनरी पर मशीन पहचान कोड उकेरा गया है।

5.4.7 बाद में कार्यान्वयन को आसान करने के लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत जेआईटी रिपोर्ट/सब्सिडी दावे की पद्धति और प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन: 5.0 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी सीधे यूनिटों को जारी करने के लिए एटीयूएफएस के बजट शीर्ष को संचालित करने के लिए वस्त्र आयुक्त को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। 5.0 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि वाले दावों के लिए, वस्त्र आयुक्त को आईएफडब्ल्यू की सहमति प्राप्त करने के लिए अनुमोदन के पश्चात वस्त्र मंत्रालय को दावा अग्रेषित करना होगा। वस्त्र आयुक्त ने फील्ड अधिकारियों अर्थात वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय मुंबई में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित की है। .
ii. दावों की कार्रवाई में विलंब को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जेआईटी रिपोर्ट अनुमोदन के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को अग्रेषित किए जाने से पहले हर हालत में पूर्ण हों।
iii. योजना के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।
iv. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता में सुधार करने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्राप्त और लंबित दावों/मामलों को दावाकर्ताओं के लिए आईटीयूएफएस पोर्टल से एक्सेस किए जाने योग्य बनाया गया है।
v. प्रौद्योगिकी/मशीनरी विनिर्माताओं के मुद्दों पर तकनीकी परामर्श के लिए सलाहकार-एवं-निगरानी समिति और आईटीसी के माध्यम से हितधारकों के साथ नियमित नियोजन।

5.5 एटीयूएफएस/टीयूएफएस के तहत निकासी की गति तेज करने के लिए विशेष अभियान:

i. वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में अतिरिक्त वर्टिकल बनाए गए हैं, जो बैकलॉक को निपटाने के लिए एटीयूएफएस के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
ii. अधिक लंबित वाले क्षेत्रों में आउटरीच कैंपों की व्यवस्था की गई है। ताकि एटीयूएफएस मामलों के तहत अनुमति देने की गति को बढ़ाया जा सके।

5.6 एटीयूएफएस का फोकस और परिणाम:

- एटीयूएफएस के अंतर्गत एमएसएमई का अनुपात: गैर एमएसएमई का अनुपात 89:11 है जबकि टीयूएफएस के पिछले संस्करणों के तहत यह 30:70 था।
- रोजगार संभावित सेगमेंटों अर्थात् तकनीकी वस्त्र और गारमेंटिंग के निकायों के लिए 15% (30 करोड़ रुपये) का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान।
- पारदर्शी कार्यान्वयन: ऋणदाता एजेंसियों, उद्योग भागीदारों, आधिकारिक टीम के साथ एसोसिएशनों को शामिल करते हुए विधिवत सत्यापन के साथ ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
- वर्ष 2023-24 में एटीयूएफएस के तहत देशभर में सघन कलस्टरों में 7 आउटरीच - सह - अनुमति शिविर आयोजित किए गए।.

5.6.2 टीयूएफएस के तहत बजट आवंटन:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2014-15	2300	1885.02	1884.31
2015-16	1520.00	1413.68	1393.19
2016-17	1480.00	2610.00	2621.98
2017-18	2013	1913.15	1913.15
2018-19	2300	622.63	621.92
2019-20	700	494.37	317.89
2020-21	761.90	545.00	556.25
2021-22	700.00	700.00	624.8
2022-23	650.00	650.00	674.51
2023-24	900	625	577.75
2024-25	675	-	42.73*

*ओएई के बिना 30.07.2024 के अनुसार

5.7 एटीयूएफएस के स्थान पर नई योजना की संकल्पना

5.7.1 संशोधित टीयूएफएस को 31.03.2022 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा किए गए योजना के हालिया प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ने न केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए बल्कि वस्त्र मशीनरी के स्वदेशीय विकास और विनिर्माण के समर्थन की दिशा में भी योजना को जारी रखने की सिफारिश की है। मंत्रालय द्वारा एक 'प्रौद्योगिकी अंतराल विश्लेषण' भी किया गया है जिसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण वस्त्र मशीनरी और 60 महत्वपूर्ण घटकों की पहचान की गई है जो स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं हैं।

5.7.2 तदनुसार, वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी वस्त्र मशीनरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया में वस्त्र मशीनरी विनिर्माताओं और वस्त्र उद्योग के हितधारकों के साथ चर्चा प्रारंभ की गई है।.

अध्याय- VI

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना

6.1 पृष्ठभूमि

वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना शीर्षक से आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख कौशल कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जो वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए है (संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, जिन्हें प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी और बाजार मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया गया है। प्रारंभ में, समर्थ को 20 दिसंबर, 2017 को 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी।

सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में 21.05.2021 को आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक की सिफारिश के अनुसार, समर्थ योजना को 31.03.2021 से आगे चार वर्षों की अवधि अर्थात 31.03.2025 तक बढ़ाने को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

वस्त्र उद्योग में प्रवेश स्तर की आवश्यकता वाले कार्यबल की समस्या से निपटने के लिए गैर-कामगार को कामगार बनाने के लिए प्रवेश स्तर के कौशल कार्यक्रम के अलावा, अपैरल और गार्मेंट्स क्षेत्रों में मौजूदा कामगारों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना के तहत अपस्किलिंग/री-स्किलिंग कार्यक्रम के लिए भी एक विशेष प्रावधान शुरू किया गया है।

6.1.1 समर्थ के कार्यान्वयन की प्रगति

6.1.1.1 "समर्थ' को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाए गए व्यापक कौशल ढांचे के अंतर्गत तैयार किया गया है, जिसमें उन्नत विशेषताएं जैसे आधार से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हेल्पलाइन नंबर के साथ समर्पित कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), प्रशिक्षण प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी आदि शामिल हैं।

6.1.1.2 कार्यान्वयन और निगरानी को आसान बनाने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने के प्रयास के साथ, हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद समर्थ के तहत प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने, प्रस्तावों का ऑनलाइन डेस्क मूल्यांकन, प्रशिक्षण केंद्रों का मोबाइल ऐप सक्षम भौतिक सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण के बाद प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन पंजीकरण, एईबीएएस, सार्वजनिक डैशबोर्ड, मूल्यांकन के लिए अलग मॉड्यूल, प्रमाण पत्र जारी करने आदि के प्रावधानों के साथ एंड-टू-एंड समाधान वाला एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

6.1.1.3 इसके अलावा, कार्यान्वयन ढांचे की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को केवल राज्य सरकार की एजेंसियों, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के क्षेत्रीय संगठनों, वस्त्र उद्योग इकाइयों और उद्योग संघों के माध्यम से लागू किया जाएगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यान्वयन भागीदारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु अपना आवश्यक बुनियादी ढाँचा होना चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोई बैक-टू-बैक व्यवस्था या उप-अनुबंध/आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.1.1.4 इस संबंध में प्रक्रियाओं/कार्यपद्धतियों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में अपनाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं:

- कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों का समर्पित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना है ताकि योजना के तहत प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके। वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों, राज्य सरकार की एजेंसियों और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से एनएसक्यूएफ के अनुरूप कुल 184 पाठ्यक्रम कार्यान्वित किए गए।
- पैनल बनाने और निगरानी के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया।
- कार्यान्वयन साझेदारों द्वारा प्रशिक्षुओं की अनिवार्य नियुक्ति - प्रवेश स्तर के लिए 70% और मुख्यधारा क्षेत्र के अंतर्गत कौशल उन्नयन के लिए 90%, क्षेत्रीय संगठनों के लिए स्वरोजगार ।
- प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक सत्यापन के लिए जियो-

टैगिंग/टाइम स्टैम्पड फोटोग्राफ के साथ एक मोबाइल ऐप

- इस उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन प्रशिक्षुओं और क्यूआर कोड से ई-प्रमाणपत्र का शुरू किया गया है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) (ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड)।
- समर्थ योजना को डीबीटी, प्रयास और दिशा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। हालांकि, स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
- पाठ्यक्रम/मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के संचालन आदि के लिए वस्त्र समिति में संसाधन सहायता एजेंसी (आरएसए) को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा जीवन चक्र ऑनलाइन एमआईएस में दर्ज किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संपूर्ण अवधि चक्र को ऑनलाइन एमआईएस में डाला गया है। आधार से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनिवार्य बनाया गया है, जिसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन एमआईएस के साथ एकीकृत किया गया है ।

6.1.1.5 पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जागरूकता फैलाने के लिए समर्थ योजना का सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। डैशबोर्ड में जाने के लिए लिंक वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना की प्रगति से संबंधित विभिन्न पहलुओं और ड्रिल डाउन प्रारूप में प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जानकारी को वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

कार्यान्वयन भागीदारों की संख्या

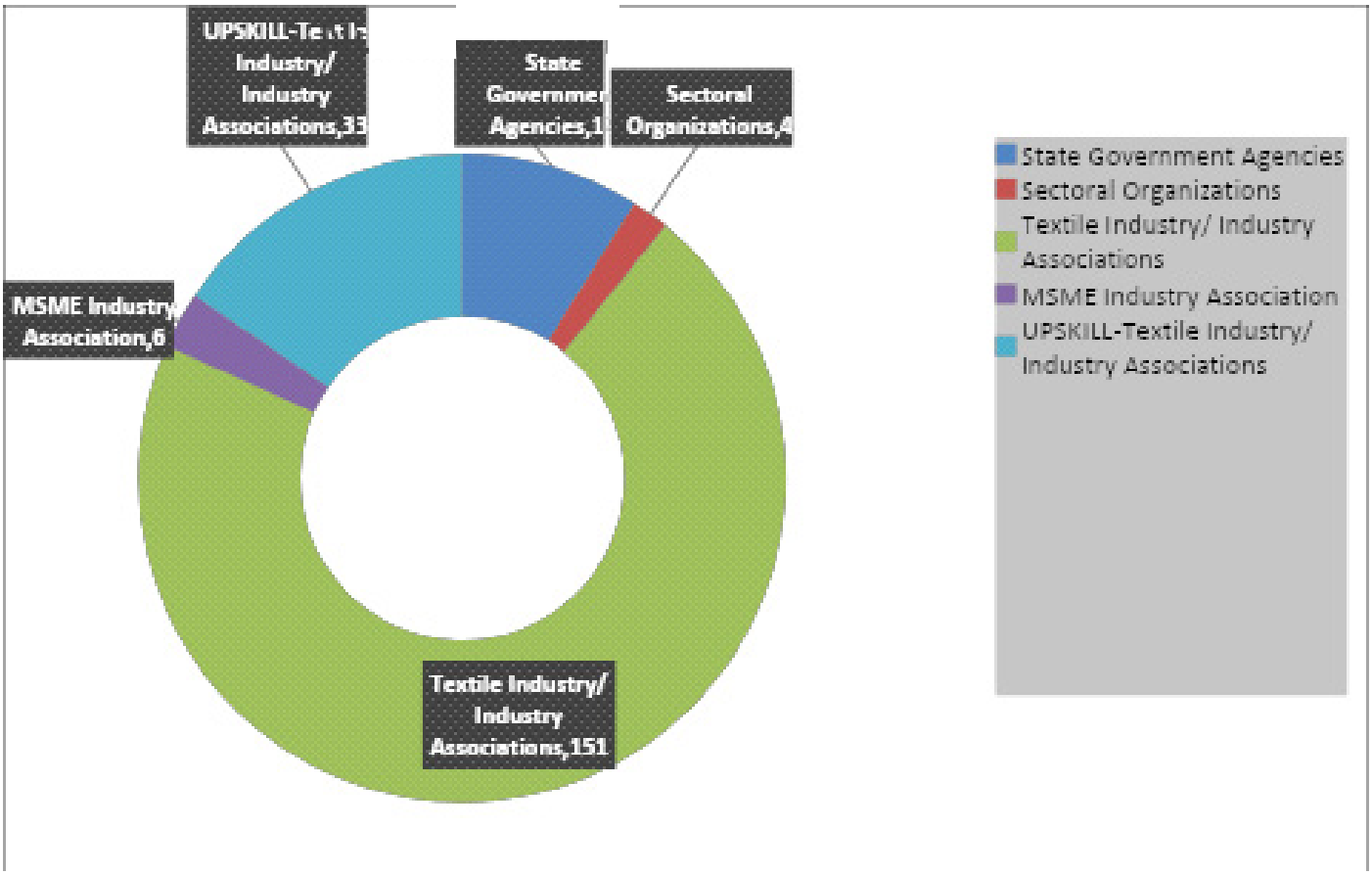

6.1.2. कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल का आधार व्यापक बनाने के लिए, वस्त्र उद्योग/उद्योग संघों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए फरवरी, 2023 में आरएफपी आमंत्रित किया गया था।

6.1.3 बजट उपयोग की स्थिति

शुरुआत के 2 वर्षों के दौरान, निधि का उपयोग पिछली योजना अर्थात आईएसडीएस की देनदारियों को पूरा करने के लिए किया गया था। निधियों का वर्ष-वार उपयोग निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान लगाना	कुल जारी धनराशि
2019-20	100.5	102.10	72.06
2020-21	150.00	100.00	90.7
2021-22	100.00	90.00	85.69
2022-23	100.00	25.00	23.27
2023-24	115.00	115.00	114.99
कुल	**939.49**	**574.1**	**503.7**

समर्थ के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ दृश्य :-

आईपी का नाम: आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड
बैच आईडी: 22792
टीसी नाम: आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (लिटिल इंग्लैंड अपैरल्स)
टीसी आईडी: 7604

आईपी का नाम: वेलस्पन इंडिया लिमिटेड.
बैच आईडी: 14065
टीसी नाम: मानव विकास केंद्र वेलस्पन अंजार
टीसी आईडी: 7279

आईपी का नाम: केंद्रीय रेशम बोर्ड
बैच आईडी: 23122
टीसी नाम: सीएसबी-बीएचएवी मनियाबांध
टीसी आईडी: 13247

समर्थ का सार्वजनिक डैशबोर्ड

लिंक: https://samarth-textiles.gov.in/public_dashboard/dashboard/data

6.2 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

निफ्ट ने डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित फैशन शिक्षा के क्षेत्र में लगे अग्रणी संस्थान के रूप में, अकादमिक शोध, उद्योग की सहभागिता और उद्योग की निरंतर बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को बढ़ाने के माध्यम से अपनी शिक्षण पद्धति को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया है। उत्साहवर्धक विचारशील नेतृत्व, शोध प्रोत्साहन, उद्योग फोकस, रचनात्मक उद्यम और पियर लर्निंग ने संस्थान के शैक्षणिक आधार को मजबूत किया है ।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत की गई थी और यह निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक संस्थान है। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में निफ्ट के 19 परिसर हैं। निफ्ट वाराणसी सबसे नया परिसर है जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2023 को रखी गई है।

निफ्ट फैशन और डिजाइन शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का विजन चुनौतियों को स्वीकार करता है और उच्चतम शैक्षणिक मानकों को स्थापित करने में प्रेरणा प्रदान करता है। उद्योग-अकादमिक इंटरफेस जो

छात्रों के लिए एक अग्रणी शिक्षण अनुभव प्रदान करता है, होने से उद्योग और इसके आउटरीच के बारे में एक सूक्ष्म और गहन समझ बनाने में मदद करता है। संस्थान की विस्तार योजनाओं में अकादमिक समावेशिता हमेशा सबसे आगे रही है। पिछले कुछ वर्षों में, डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी की भूमिका और संभावनाओं का कई गुना विस्तार हुआ है। निफ्ट उद्योग जगत में निरंतर आगे रहने और अपने पेशेवर रूप से प्रबंधित परिसरों के माध्यम से भारत के फैशन परिदृश्य का मार्गदर्शन करने के लिए एक नेता के रूप में कार्य करने का प्रयास करता है।
निफ्ट नियमित रूप से निरंतर प्रयासों के साथ अपनी अकादमिक रणनीति को उन्नत रचनात्मक क्षमता सुदृढ और लचीलेपन के साथ एक अद्यतन और पुन:संरचित पाठ्यक्रम से करता है, ताकि उभरते उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निफ्ट के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप, उद्योग दौरे, आउटबाउंड कार्यक्रमों के साथ-साथ रियल लाइफ प्रोजेक्ट, सेमिनार और संवाद शामिल हैं जो छात्रों को उद्योग के कामकाज को जानने और समझने के अवसर प्रदान करते हैं। रचनात्मक और विचारशील की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए, संस्थान को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल अध्ययन में डिग्री प्रदान करने की शक्ति दी गई है। निफ्ट की इन-हाउस फैकल्टी में बुद्धिजीवियों का प्रतिष्ठित समूह है जो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं जिससे प्रभावी शिक्षण की दिशा मिलती है।

6.2.1 दीक्षांत समारोह 2023

प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें उस शैक्षणिक वर्ष के स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 में कुल 3428 स्नातकों को डिग्री प्रदान की गई है। 2023 में एनआईएफटी से स्नातक करने वाले छात्रों का परिसर-वार और कार्यक्रम-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

2023 में स्नातक करने वाले निफ्ट छात्र: कार्यक्रम और परिसर-वार																		
शैक्षणिक कार्यक्रम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	बेंगलुरु	भोपाल	भुवनेश्वर	चेन्नई	गांधीनगर	हैदराबाद	जोधपुर	कांगड़ा	कोलकाता	कन्नूर	मुंबई	नई दिल्ली	पटना	पंचकुला	रायबरेली	शिलांग	श्रीनगर	कुल
बैचलर ऑफ डिजाइन (एक्सेसरी डिजाइन)	40	38	29	35	37	37	32	16	34	-	41	36	38	-	29	20	-	462
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन कम्यूनिकेशन)	37	-	37	31	40	33	35	26	40	31	39	39	39	-	34	-	15	476
बैचलर ऑफ डिजाइन (फैशन डिजाइन)	35	-	39	38	37	38	37	35	45	32	42	36	39	-	26	27	18	524
बैचलर ऑफ डिजाइन (निटवियर डिजाइन)	42	-	-	35	-	34	-	-	28	23	38	37	-	-	-	-	-	237
बैचलर ऑफ (लैदर डिजाइन)	-	-	-	26	-	-	-	-	26	-	-	36	-	-	27	-	-	115
बैचलर ऑफ डिजाइन (टेक्सटाइल डिजाइन)	38	37	37	41	38	33	33	25	32	28	44	40	34	-	-	-	-	460
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (अपैरल प्रोडक्शन)	31	-	31	31	32	30	31	29	27	28	32	39	32	-	-	-	-	373
मास्टर ऑफ डिजाइन	37	-	-		33	-	-	-	-	36	36	37	-	30	-	-	-	209
फैशन प्रबंधन में मास्टर	40	32	29	39	36	34	29	20	37	29	43	39	34	19	22	19	-	501
फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर	24	-	-	6	13	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	71
कुल	324	107	202	282	266	239	197	151	269	207	315	367	216	49	138	66	33	3428

6.2.2 छात्र विकास कार्यक्रम

फैशन स्पेक्ट्रम 2023

फैशन स्पेक्ट्रम शीर्षक से, निफ्ट का वार्षिक उत्सव, सभी परिसरों में आयोजित किया गया, जिसमें डिजाइन प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक, वाद-विवाद और सांस्कृतिक कला प्रस्तुति सहित विविध कार्यक्रम शामिल थे। इस उत्सव ने छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और समग्र विकास में सम्मिलित होने के लिए एक मंच प्रदान किया।

6.2.3 कन्वर्ज 2023

निफ्ट पटना द्वारा दिसंबर 2023 में अंतर-परिसर वार्षिक सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता, कन्वर्ज की मेजबानी की गई जिसमें 18 परिसरों से भागीदारी की गई। यह आयोजन निफ्ट के परिसरों में छात्रों में 'वन' अल्मा मेटर की भावना को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अन्य गतिविधियों

2023-24 के दौरान, निफ्ट परिसरों ने छात्र विकास संघ (एसडीए) क्लबों के तहत सांस्कृतिक, साहित्यिक, स्पोर्ट्स एडवेन्चर और फोटोग्राफी, और आचार शास्त्र सामाजिक सेवा और पर्यावरण क्लबों सहित विभिन्न गतिविधियों की मेजबानी की। इन गतिविधियों ने अकादमिक अध्ययनों में सहायता की और छात्रों के समग्र विकास में योगदान दिया।

6.2.4 निफ्ट द्वारा शुरू की गई परामर्श सेवा परियोजनाएं

निफ्ट विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श परियोजनाएं चलाता है। ये परियोजनाएं संकाय को

अनुभव प्रदान करती हैं और छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करती हैं। इससे तकनीकी कौशल का उन्नयन करके और डिजाइन समझ बढ़ाकर विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित होते हैं। निफ्ट ने 2023-24 के दौरान कई उच्च-महत्व की परामर्श सेवा परियोजनाओं में भाग लिया, जिनमें शामिल हैं:

- खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र (26.61 करोड़ रुपये)। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से स्थापित इस केंद्र का उच्च गुणवत्ता वाले खादी उत्पाद बनाने और खादी ब्रांड को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह केंद्र निफ्ट के पांच परिसरों अर्थात निफ्ट दिल्ली, निफ्ट कोलकाता, निफ्ट गांधीनगर, निफ्ट शिलांग और निफ्ट बेंगलुरु में 'हब और स्पोक्स' मॉडल पर काम करता है।
- विज़ियोएनएक्सटी - ट्रेंड इनसाइट्स और फोरकास्टिंग लैब (15.37 करोड़ रुपये)। एआई-से यह फैशन पूर्वानुमान सेवा भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं और बाजार की जरूरतों के अनुरूप मौसम संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ट्रेंड पूर्वानुमान सेवा हमारे राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं और बाजार की जरूरतों के अनुरूप होगी।
- रिपोजिटरी-भारतीय वस्त्र और शिल्प (15.57 करोड़ रुपये)। डीसी (हथकरघा) और (हस्तशिल्प) द्वारा वित्त पोषण सहायता के साथ निफ्ट क्लस्टर पहल के तहत एक परियोजना एक डिजिटल मंच/पोर्टल, डिजाइनर अभिलेखागार सहित वस्त्र और अपैरल का एक वर्चुअल संग्रहालय, शिल्पकारों, उनके समुदायों, उनकी कार्य प्रक्रियाओं और उत्पादों, शिल्प और वस्त्र के क्षेत्रों में केस स्टडीज और अनुसंधान पर व्यक्तिगत जानकारी के साथ एक शिल्प भंडार प्रदान करती है। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर वस्त्र शिल्प कोश रिपोजिटरी नामक पोर्टल लांच किया।
- इंडियासाइज़ प्रोजेक्ट (25.50 करोड़ रुपये)। भारतीय शरीर के माप पर आधारित एक साइज़ चार्ट विकसित करने के उद्देश्य से, यह प्रोजेक्ट बेहतर फिटिंग वाले रेडी-टू-वियर गार्मेंटस की ज़रूरत को पूरा करता है। भारत-विशिष्ट साइज़ चार्ट विकसित करने के लिए देश भर में 25,000 से ज़्यादा बॉडी स्कैन लिए गए, जिसका विभिन्न उद्योगों में कई तरह से उपयोग होगा।
- निफ्ट दिल्ली ने पेशेवर डिजाइनरों के साथ मिलकर नए संसद कार्मिकों के लिए वर्दी डिजाइन की। निफ्ट ने संसदीय महत्व के विशेष अवसरों के लिए औपचारिक पोशाकें भी डिजाइन कीं।
- निफ्ट, बेंगलूरु ने गगनयान दल के लिए वर्दी डिजाइन की ।

6.2.5 सतत शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 2023-24 में, एनआईएफटी के सतत शिक्षा (सीई) और डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी) का विस्तार 11 परिसरों में हुआ, जिसके पाठ्यक्रम नवंबर 2023 तक शुरू हो जाएंगे। इस वर्ष के लिए ब्रिज प्रोग्राम भी नवंबर में शुरू हुआ, जिसमें पीजी और यूजी के सभी स्तरों पर 45 छात्रों का पंजीकरण हुआ। ये कार्यक्रम डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में व्यावसायिक विकास और कौशल उन्नयन में निरंतर सहायता कर रहे हैं।

6.2.6 क्राफ्ट क्लस्टर

2023-24 में निफ्ट की शिल्प क्लस्टर पहलों में फील्डवर्क और भारत भर के छात्रों और कारीगरों के बीच व्यापक सहयोग शामिल था। छात्रों के अनुसंधान और डिजाइन परियोजनाओं में लगाने का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को आगे बढ़ाना और उन्हें समकालीन डिजाइन के साथ एकीकृत करना था। पारंपरिक शिल्प को संरक्षित और संग्रहित करने के लिए व्यापक शिल्प अनुसंधान किए गए और उन्हें दस्तावेजों में लेखबद्ध किया गया। इस अवधि के दौरान आयोजित शिल्प बाज़ारों ने कुल 102.02 लाख रुपये की बिक्री की, जिससे कारीगरों को लाभ हुआ और सतत प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला। इस प्रयास को पूरा करने के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में, शिल्प क्लस्टर

गतिविधियों के लिए पूरे भारत में हस्तशिल्प के तहत लगभग 180 शिल्प और हथकरघा के तहत 45 शिल्प पंजीकृत किए गए।

6.2.7 उद्योग एवं संस्थान के पूर्व छात्रों संबंधी कार्य

6.2.7.1 प्लेसमेंट 2023

निफ्ट प्लेसमेंट 2023 का आयोजन 18 अप्रैल 2023 से 6 मई, 2023 तक उद्योग के नजदीक सात निफ्ट परिसरों में किया गया।

गारमेंट रिटेलरों, निर्माताओं, खरीददार प्रतिष्ठानों, आईटी और आईटीईएस फर्मों, शिल्प और डिजाइन क्षेत्रों, एआई और मशीन लर्निंग फर्मों, एफएमसीजी, आभूषण और असेसरी ब्रांड, प्रकाशन कंपनी, और एसएएएस और संबद्ध उद्योगों आदि जैसे विभिन्न उद्योगों से कुल 2847 रिक्तियां उत्पन्न हुईं। प्लेसमेंट के नए क्षेत्र एडटेक, फिनटेक, कंटेंट और न्यूज एग्रीगेटर और एग्री टेक थे। शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए प्लेसमेंट दर 84.18% थी।

उल्लेखनीय भर्तीकर्ताओं में लैंडमार्क ग्रुप, भारत और दुबई, टाटा ट्रेंट, रिलायंस रिटेलर्स, रिलायंस ब्रांड्स, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, डोरलिंग एंड किंडरस्ले पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, टीसीएनएस, लगुना क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, टेक्सपोर्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड, नवी टेक्नोलॉजीज, इंक्चर टेक्नोलॉजीज, यूनिक्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विप्रो, स्केलर अकेडमी, इमेजिन एक्सपी, लेंसकार्ट , क्लासिक फैशन, इन्फो एज लिमिटेड, टार्गेट कॉर्पोरेशन, टाइटन, डेकाथलॉन, सिम्पलोटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, एक्वारेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल थे।

6.2.7.2 अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट

घरेलू कंपनियों के अलावा, कुछ प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय

कंपनियां जैसे लैंडमार्क ग्रुप, क्लासिक फैशन, स्टैंडर्ड कार्पेट एण्ड टारगेट, और वीआईपी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने भी निफ्ट प्लेसमेंट 2023 में भाग लिया।

6.2.7.3 निफ्ट न्यूज़लेटर "वी कनेक्ट"

पहली बार, निफ्ट ने अपने पूर्व छात्रों और उद्योग भागीदारों, जो इस संस्थान की सफलता में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं, से जुड़ने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक डिजिटल न्यूज़लेटर "वी कनेक्ट" लॉन्च किया। निफ्ट अलम्नाई न्यूज़लेटर के पहले अंक का अनावरण 24 फरवरी 2023 को निफ्ट मुंबई में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान माननीय वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया।

चित्र: वीकनेक्ट न्यूजलेटर का शुभारंभ

6.2.8 अंतर्राष्ट्रीय लिंकेज

एनआईएफटी ने 2023-24 में अपनी वैश्विक साझेदारी का विस्तार करना जारी रखा, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए अद्वितीय अवसर मिले। मुख्य सहयोगों में शामिल थे:

- एफआईटी न्यूयॉर्क के साथ दोहरी डिग्री। वर्ष 2023-24 कार्यक्रम के लिए 44 छात्रों का चयन किया गया, जिससे वे निफ्ट और एफआईटी, दोनों से डिग्री हासिल कर सकेंगे।
- सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। ईएनएसएटी (फ्रांस), एनएबीए (इटली) और क्यूयूटी (ऑस्ट्रेलिया) जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी से छात्र आदान-प्रदान और शैक्षणिक सहयोग आसान हुआ।

6.2.8.1 निफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

निफ्ट ने 23 अग्रणी अंतरराष्ट्रीय फैशन संस्थानों और संगठनों, जिनमें कुछेक अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, स्वीडन जैसे संस्थान है, के साथ महत्वपूर्ण समझौते और साझेदारियां की हैं, जिनका एक जैसा दृष्टिकोण है।

भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम में, निफ्ट ने कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे बीजीएमईए यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी (बीयूएफटी), नमुना कॉलेज ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी (नेपाल), आर्ट्स यूनिवर्सिटी बोर्नमाउथ (यूके), रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरएमआईटी) और टैम्पियर यूनिवर्सिटी (फिनलैंड) में इंडिया सेक्रिटेरिएट में नॉर्डिक सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

6.2.9 फैकल्टी ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण विकास

निफ्ट की फैकल्टी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (एफओटीडी) यूनिट ने वर्ष 2023-24 के दौरान 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें तकनीकी वस्त्र, डिजाइन थिंकिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषय शामिल थे। इन कार्यक्रमों में आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे, जिससे सभी कैंपसों के 397 फैकल्टी सदस्य लाभान्वित हुए। व्यावसायिक विकास भत्ता (पीडीए) के माध्यम से, 25 फैकल्टी सदस्य अनुसंधान और उद्योग अटेचमेंट से जुड़े, जिससे उनके व्यावसायिक विकास में योगदान दिया और निफ्ट में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया।

6.2.10 पीएचडी, अनुसंधान और आईपीआर

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में निफ्ट के पीएचडी कार्यक्रम में वृद्धि जारी रही, जिसमें 55 छात्र डॉक्टरेट में अध्ययन कर रहे हैं और छह स्कॉलरों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। शोध क्षेत्रों में डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी पर फोकस किया जाता है, जो फैशन और वस्त्रों में ज्ञान के ढांचे में योगदान करते हैं।

बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए ग्यारह इनोवेशन फाइल किए गए जिनमें टेक्सटाइल इलेक्ट्रोड डिजाइन, गारमेंट निटिंग और सीम-लिंकिंग तकनीक शामिल थीं।

6.2.11 प्रकाशन

निफ्ट प्रकाशन यूनिट सभी परिसरों की निफ्ट के परिसरों में फैकल्टी के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर स्कॉलरो और शिक्षाविदों की बौद्धिक कुशाग्रता को उजागर करने के लिए अनुसंधान-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ एक इन-हाउस, इंटरडिसिप्लिनरी मंच के रूप में परिकल्पना की गई है। 'निफ्ट जर्नल ऑफ फैशन (एनजेएफ)' एक सह-पेशेवरों द्वारा समीक्षाकृत और मुक्त रूप से सुलभ जर्नल है जो डिजाइन, संचार, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित फैशन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए मूल शोध लेख प्रकाशित करता है। 'सस्टेनेबल फ्यूचरिंग: पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेज' विषय पर एनजेएफ का दूसरा संस्करण वर्ष 2023 में जारी किया गया।.

अध्याय-VII

अवसंरचना हेतु सहायता

7.1 पीएम-मेगा एकीकृत वस्त्र और अपैरल पार्क (पीएम मित्र):

प्रस्तावना:

भारत सरकार इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम-मित्र पार्क स्थापित कर रही है। इस योजना से वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए ₹4,445 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक, एकीकृत बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यह योजना वस्त्र उद्योग की कुल मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे की सुविधा विकसित करेगी, उदाहरण के लिए, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, कपड़ा निर्माण, प्रसंस्करण और कपड़ा मशीनरी उद्योग। इन पार्कों को उन स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें वस्त्र उद्योग के फलने-फूलने की अंतर्निहित ताकत है और सफल होने के लिए आवश्यक लिंकेज हैं। इस योजना में समयबद्ध तरीके से तेजी से कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।

उद्देश्यः पीएम-मित्र पार्क में भारत को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 ('लोचशील अवसंरचना का निर्माण, सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा और नवाचार का संवर्धन') को प्राप्त करने में सहायता करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत बड़ा पैमाना और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को विकसित करने के लिए है। इनसे भारतीय वस्त्रों में लॉजिस्टिक लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और स्वयं को वैश्विक वस्त्र बाजार में मजबूत स्थिति में लाने में सहायता करेगी।

योजना का प्रोत्साहन ढ़ांचा

ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क- ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पार्कों के लिए क्रमश: 500 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए प्रति पार्क की अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30% की दर से **विकास पूंजीगत सहायता (डीसीएस)** का प्रावधान है। डीसीएस महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे विकसित कारखाना स्थलों, प्लग एंड प्ले सुविधा, इंक्यूबेशन केंद्र, सड़कें, बिजली, जल तथा अपशिष्ट जल प्रणाली और सामान्य प्रसंस्करण केंद्र और सीईपीटी, कामगार हॉस्टल एवं आवासन, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाओं जैसी सहायता अवसंरचना के सृजन के लिए एक सहायता है। इसमें दुकानों और कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, हॉस्टल और सम्मेलन केंद्रों जैसे वाणिज्यिक विकास हेतु पार्क के क्षेत्र का 10% क्षेत्र का प्रयोग किए जाने का प्रावधान है।

प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) -

पीएम मित्र पार्क में समय से पूर्व स्थापित करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु 300 करोड़ रुपए प्रति पार्क का प्रावधान है, जिसमें विनिर्माण इकाइयों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। यह केवल उन विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो वस्त्र पीएलआई योजना से लाभांवित नहीं हो रहे हैं। यह सहायता पीएम मित्र पार्क हेतु प्रदान की गई निधि का पूर्ण रूप से प्रयोग न हो जाने तक उपलब्ध रहेगी।

गवर्नेंस:

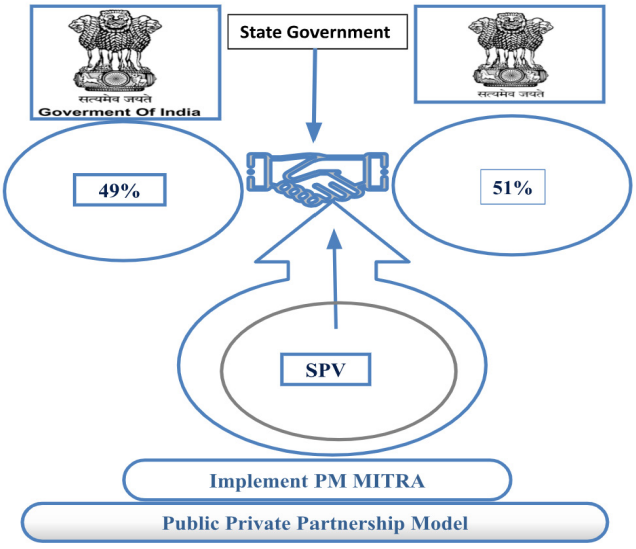

ग्रीनफील्ड पार्कों हेतु यह योजना 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए इस उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन तंत्र द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी और अधिकार में लाई जाएगी। यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत होगी। भारत सरकार पीएम मित्र पार्क के तहत स्थापित की जाने वाली एसपीवी की प्रदत्त पूंजी का 49% इक्विटी का भुगतान करेगी और प्रतिभागी राज्य सरकार प्रदत्त पूंजी का 51% का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार वस्त्र/उद्योग की देखरेख करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को एसपीवी का सीईओ नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार सांकेतिक न्यूनतम मूल्य पर एसपीवी को भूमि हस्तांतरण करेगी और बाद में यह भू-संपत्ति, रियायत अवधि के दौरान उच्च मानक विशिष्टता के साथ पीएम मित्र पार्क के विकास और रखरखाव हेतु पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए एसपीवी/मास्टर डेवलपर द्वारा बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रयोग की जाएगी। इस योजना के विशेष प्रयोग हेतु शर्तें और रूपरेखा आरएफपी के निर्माण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएंगी। सचिव (वस्त्र), भारत सरकार को एसपीवी का अध्यक्ष नामित किया जाएगा। भारत सरकार इस परियोजना के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में कार्य के समन्वय के लिए एक मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक पीएमयू की स्थापना की जाएगी।

ब्राउनफील्ड पार्कों के मामले में, एसपीवी की शेयरधारिता जारी रहेगी।

प्रचालनात्मक माडलः पीएम मित्र पार्क को डिजाइन-निर्माण-वित्त-प्रचालन-हस्तांतरण (डीबीएफओटी) प्रारूप पर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित मास्टर डेवलपर (एमडी) मॉडल में विकसित किया जाएगा। हालांकि, सरकारी एसपीवी आधरित मॉडल या निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी वाले हाइब्रिड मॉडल जैसे अन्य मॉडल पर भी भारत सरकार के अनुमोदन के साथ अपवादस्वरुप स्थिति में भी विचार किया जा सकता है।

पात्रता एवं रुपरेखाएं: पीएम मित्र पार्क की स्थापना राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाएगी, जिनके पास कम से कम 1000 एकड़ का समीपवर्ती और भार-मुक्त भूमि उपलब्ध है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को नाममात्र मूल्य पर भूमि हस्तांतरित करनी होगी।

राज्यों से प्राप्त योग्य प्रस्तावों का मूल्यांकन विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर पारदर्शी चुनौती पद्धति का उपयोग करके किया गया। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित 7 स्थल हैं:

श्रेणी क- ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	**श्रेणी ख- ब्राउनफील्ड परियोजनाएं**
1. तमिलनाडु (विरूद्धनगर) 2. गुजरात (नवसारी) 3. कर्नाटक (कुलबुर्गी) 4. मध्य प्रदेश(धार) 5. उत्तर प्रदेश(लखनऊ)	1. तेलंगाना (वारंगल) 2. महाराष्ट्र (अमरावती)

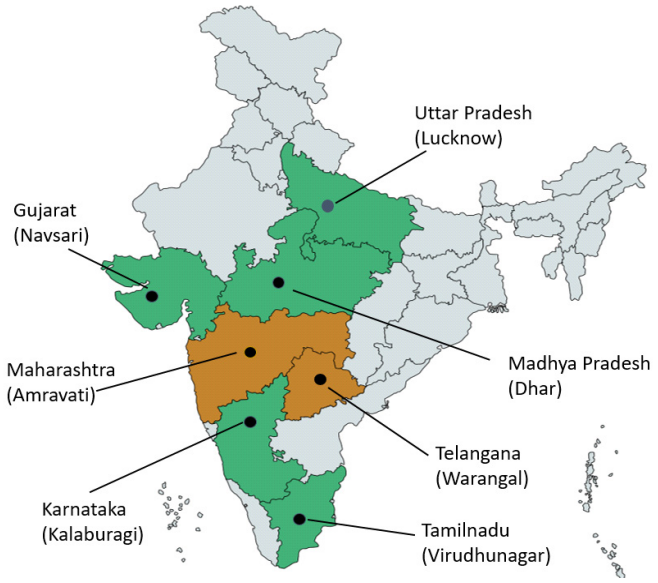

7.2 वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस)

भारत में वस्त्र उद्योग अंतर-निर्भर क्लस्टरों के रूप में विकसित हुआ है। इनमें से कुछ कलस्टरों को आधुनिक नहीं बनाया गया है और वे बदलते हुए माहौल के साथ स्वयं को गतिमान रखने योग्य नहीं है और पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी और मशीनरी से काम करना जारी रखे हुए है। इसके परिणामस्वरूप इन कामगारों की अकुशलता और कम उत्पादकता उत्पन्न हुई है। इस प्रकार, एक ठोस नीति द्वारा समग्र कलस्टर विकास मॉडल वस्त्र मूल्य श्रृंखला में

स्थायित्व और प्रचालन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। उपर्युक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रालय उन्हें प्रचालनशील और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भावी और मौजूदा वस्त्र इकाइयों हेतु एकीकृत कार्यस्थल और लिंकेज आधारित पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करने की दृष्टि से रोल ओवर देनदारियों को पूरा करने के लिए दिनांक 1.4.2021 से वस्त्र कलस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) को क्रियान्वित कर रहा है। टीसीडीएस का कलस्टर विकास मॉडल अधिक अच्छी पहुंच को विशेष रूप तैयार किए जाने, प्रचालन में बड़ी अर्थव्यवस्था, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता, लागत कुशल, प्रौद्योगिकी और सूचना की बेहतर पहुंच आदि हेतु बढ़े पैमाने पर लाभ प्रदान करेगा। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इस योजना का कुल परिव्यय 853 करोड़ रुपए है। रोल ओवर देयताओं के लिए टीसीडीएस के निम्नलिखित घटक हैं:

(क) एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना: वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वित किया जा रहा था; लेकिन, अब इस योजना को वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जिसका कुल परिव्यय केवल वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 853 करोड़ रुपये है।

योजना के तहत, परियोजना लागत में एकीकृत वस्त्र पार्क (आईटीपी) की जरूरतों के आधार पर उत्पादन/सहायक गतिविधियों (वस्त्र मशीनरी, वस्त्र इंजीनियरिंग, सहायक उपकरण, पैकेजिंग सहित) के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा, सामान्य सुविधाओं के लिए भवन और कारखाना भवन शामिल हैं।

कार्यान्वयन की स्थिति: इस योजना के तहत 50 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत 50 परियोजनाओं में से, 30 परियोजनाएं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी हो चुकी हैं और 20 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

इस योजना के तहत अब तक भारत सरकार का 1512 करोड़ रुपये का अंश जारी किया जा चुका है, 14538 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया है। वर्तमान में कुल 2171 इकाइयां चालू हैं, जिनमें 1.22 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

(ख) व्यापक पावरलूम, निटवियर और रेशम मेगा कलस्टर:

भिवंडी (महाराष्ट्र) और इरोड (तमिलनाडु) में पावरलूम मेगा कलस्टर विकसित करने के लिए वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2008-09 में व्यापक पावरलूम कलस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) का निर्माण किया गया था। इसके बाद, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-10 वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2014-15 में अपने बजट भाषण में क्रमश: भीलवाड़ा (राजस्थान), इचलकरंजी (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) और मैसूर (कर्नाटक) में रेशम मेगा कलस्टर के विकास की घोषणा की थी। वर्ष 2022-23 में करंज (गुजरात) में पावरलूम मेगा कलस्टर को मंजूरी दी गई है।

भूमि की अनुपलब्धता और हितधारकों/राज्य सरकार से खराब प्रतिक्रिया के कारण भिवंडी तथा भीलवाड़ा में पावरलूम मेगा कलस्टर रद्द कर दिए गए थे।

कलस्टर के डिजाइन में निहित दिशानिर्देश/सिद्धांत विश्वस्तरीय अवसंरचना का सृजन करने के लिए हैं तथा उत्पादन श्रृंखला को इस रूप में एकीकृत करते हैं जोकि उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय छोटे और मध्यम उद्यमियों की व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेगा कलस्टर पहुंच योजना का विस्तृत उद्देश्य बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी के संबंध में कलस्टरों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उत्पादों की उच्चतर इकाई मूल्य प्राप्ति करके बढ़ी हुई उत्पादकता सुनिश्चित करना है। यह योजना आवश्यक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास, कच्ची सामग्री बैंक, मार्किटिंग तथा प्रचार, ऋण, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य संघटकों को प्रदान करती है जोकि विकेंद्रीकृत पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की सस्टेनेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है।

यह योजना 3 वर्ष की अवधि (दिनांक 1.4.2017 से 31.03.2020 तक) तक क्रियान्वयन के लिए दिसंबर,

2016 में संशोधित की गई थी। संशोधित योजना के तहत, एक मेगा कलस्टर हेतु सरकारी सहायता परियोजना लागत का 60% तक सीमित है जोकि अधिकतम 50 करोड़ रुपए होगी। चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 101.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 से, विभिन्न अवसंरचना संबंधी मामलों में बाधाओं को दूर करने के लिए इरोड और इचलकरंजी के दो पावरलूम कलस्टरों को सहायता दी गई है। इरोड मेगा कलस्टर ने इरोड मेगा कलस्टर में और उसके आसपास उनके अपने उत्पादों को पावरलूम बुनकरों को बेचने के लिए मार्किट लिंकेज विकसित किए हैं जबकि इचलकरंजी मेगा कलस्टर ने पावरलूम-पूर्व और पश्च प्रावधान किए हैं। इस योजना के तहत इचलकरंजी मेगा कलस्टर में एक अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है जिसमें पावरलूम बुनकरों को कलस्टर से ही अपने तैयार उत्पादों को बेचने के लिए एक नया जीवन मिला है। इन पहलों में कलस्टरों के पावरलूम बुनकरों को उनके उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए उत्साहित करने की क्षमता है। इरोड (तमिलनाडु) में पावरलूम मेगा कलस्टर का कार्य पूरा हो गया है और इचलकंरजी (महाराष्ट्र) में पावरलूम मेगा कलस्टर का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(ग) पावर टेक्स इंडिया स्कीम के कुछ घटक

(i) समूह वर्कशैड योजना (जीडब्ल्यूएस):

इस योजना का उद्देश्य आधुनिक वीविंग मशीनरी वाले पावरलूम हेतु वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए अवसंरचना की स्थापना करना है। संशोधित योजना के अनुसार, वर्कशैड के निर्माण हेतु अधिकतम सब्सिडी 400 रुपए प्रति वर्ग फुट, अथवा इकाई की निर्माण लागत का 40% तक जो भी कम हो, सीमित होगी। सामान्यत: एकल चौड़ाई (230 से.मी. तक) वाले 24 आधुनिक करघों के साथ अथवा और अधिक चौड़ाई वाले 16 करघों (230 से.मी. और उससे अधिक) के साथ न्यूनतम 4 बुनकर एक समूह बनाएंगे, प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 4 करघे होने चाहिएं।

प्रति पावरलूम न्यूनतम 1.25 व्यक्तियों के आवासन हेतु डोरमिट्री/कामगार आवास जिसमें पर्याप्त स्वच्छ शौचालय तथा स्नानागार (स्टोर रूम के साथ किचन तथा डाइनिंग हॉल वैकल्पिक रूप में शामिल किया जा सकता है), के निर्माण हेतु 125 वर्ग मी. प्रति व्यक्ति की दर से अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। डोरमिट्री/कामगार आवास हेतु प्रति वर्ग मी. सब्सिडी की दर समूह वर्कशैड पर लागू प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर के समान होगी।

इस योजना के तहत जारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 55.80 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2014-15 से मौजूदा छोटे पावरलूम बुनकरों द्वारा न्यूनतम 4 पावरलूम बुनकरों का एक समूह बनाकर 347 नए समूह वर्कशैड स्थापित किए गए। इन समूह वर्कशैडों में 12,492 शटलरहित करघे स्थापित किए गए हैं।

(ii) गैर-टीएक्ससी पावरलूम सेवा केंद्रों को सहायता अनुदान(पीएससी)

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के नियंत्रणाधीन 15, वस्त्र अनुसंधान संघों(टीआरए) के तहत 26 और राज्य सरकार के तहत 6 पावरलूम सेवा केंद्र कार्यशील हैं। ये पीएससी सरकार की ओर से पावरलूम क्षेत्र को प्रशिक्षण, नमूना परीक्षण, डिजाइन विकास, परामर्श, सेमिनार आयोजन/ कार्यशाला आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही हैं। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मुख्य रूप से पावरलूम क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने हेतु पीएससी चलाने के लिए होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। टीआरए/राज्य सरकार की एजेंसियों के पीएससी को मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा सहायता अनुदान की मंजूरी दी जाएगी। इस घटक के तहत कुल 23.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(iii) पावरलूम बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजनाः

भारत सरकार, पावरलूम बुनकरों की ऋण आवश्यकताओं (सावधि ऋण) और कार्यशील पूंजीगत निवेश आवश्यकता पूरा करने के लिए उनको लचीले और लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में दो घटक अर्थात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत श्रेणी-I और स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत श्रेणी-II है। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय ने योजना के प्रचालन के लिए ऋण देने वाली एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। चल रही परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 93.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में पीएम स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत आधुनिक

शटल रहित करघों के साथ 510 महिला उद्यमियों ने अपनी नई इकाइयों को स्थापित किया है।

(iv) साधारण विदयुयतकरघा के लिए स्व-स्थाने उन्नयन योजना:

इस योजना का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त अटैचमेंट के साथ अपने मौजूदा साधारण करघों का उन्नयन करके उत्पादित किए जा रहे फैब्रिक की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना है और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाना है। यह योजना 8 करघे तक विद्युत करघों इकाइयों के लिए है। 4 करघों से कम वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रति करघा 50%, 75% और 90% की सीमा तक उन्नयन लागत का अधिकतम सब्सिडी क्रमशः 45,000/- रुपये, 67,500/- रुपये और 81,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वर्ष 2014-15 से, इस योजना के अंतर्गत 2,09,748 साधारण पावरलूम को सेमी-ऑटो करघा में उन्नत किया गया।

(v) सुविधा, प्रचार, आईटी, एमआईएस और प्रशासनिक व्यय

पावरलूम क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए; उत्पादकता और दक्षता में सुधार, क्लस्टरों में पावरलूम बुनकरों के कौशल का प्रशिक्षण और विकास/उन्नयन एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना या कौशल विकास मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया, मल्टीमीडिया के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए व्यापक प्रचार करना है, जिसमें कार्यक्रम-आधारित प्रचार आदि शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण है। इसके अलावा, यह समग्र वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक लागत, एमआईएस और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के व्यय को भी कवर करेगा। इस घटक के तहत कुल 9.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उद्योग की विभिन्न बाधाओं और इसके आंकड़ों की पहचान करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक बेस लाइन सर्वेक्षण प्रस्तावित किया गया है ताकि इस क्षेत्र में समस्याओं, करघे के विवरण और रोजगार को समझा जा सके। कुछ राज्यों में राज्य सरकार ने तकनीकी सलाह के लिए सर्वेक्षण हेतु अपने अभ्यास के भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय को शामिल किया है। उपर्युक्त के अलावा, अवसंरचना, सामान्य सुविधाओं अन्य आवश्यकता आधारित नवाचारों, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र क्लस्टरों में क्लस्टर समन्वय समिति (सीसीसी) का गठन किया गया है ताकि मौजूदा क्लस्टरों के सुधार में सहयोग किया जा सके जिसके लिए प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक अंतर को पाटने की कार्रवाई से आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचे की पहचान की जाएगी, जिसकी पहचान की जानी अपेक्षित है। वस्त्र क्लस्टरों में एक समर्पित जागरूकता अभियान चलाने के लिए वस्त्र आयुक्त और क्षेत्रीय कार्यालय डीजीएफटी, ईसीजीसी और सिडबी आदि के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य विभागों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकारों के एमएसएमई विभागों और उद्योग संघों/व्यापार और उद्योग मंडलों के साथ क्लस्टर इंटरफेस को मजबूत कर रहे हैं।

7.3 एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस)

वस्त्र प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग मूल्य श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र की मजबूती पर निर्भर है। चूंकि भारत में प्रसंस्करण क्षेत्र में मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्यम शामिल हैं, इसलिए व्यक्तिगत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए समर्पित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। परिणामस्वरूप, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और कॉमन वाटर सप्लाई सिस्टम उनकी इकाइयों के लिए उपयुक्त हैं।

वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और मौजूदा प्रसंस्करण क्लस्टरों में नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन के साथ-साथ विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में नए प्रसंस्करण पार्कों को समर्थन देने के लिए, सरकार पूरे देश में एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) लागू कर रही

है। इस योजना का दिनांक 31.03.2021 तक कार्यान्वित किया जा रहा था; लेकिन, अब इस योजना को केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 275 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बढ़ा दिया गया है।

योजना के अंतर्गत परियोजना लागत में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

समूह क : जल उपचार और अपशिष्ट उपचार संयंत्र और प्रौद्योगिकी (समुद्री, नदी और जेडएलडी प्रणाली सहित),

समूह ख : नवीकरणीय और हरित ऊर्जा सहित कैप्टिव बिजली उत्पादन संयंत्र जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे।

समूह ग : परीक्षण प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों जैसी सामान्य सुविधाएं।

भारत सरकार के अनुदान की अनुमति केवल समूह क और ख के अंतर्गत आने वाले घटकों के लिए है, जिसमें कैप्टिव बिजली उत्पादन संयंत्र शामिल है (परियोजना लागत के 50% की कुल सीमा के भीतर, जेडएलडी और समुद्री निर्वहन के लिए 75 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और नदी और पारंपरिक उपचार के लिए 10 करोड़ रुपये, जैसा भी मामला हो। एसपीवी भारत सरकार की अन्य अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के साथ मिलकर समूह ग घटक के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

योजना के तहत, 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक, सरकार का हिस्सा 202 करोड़ रुपये जारी किया गया है।

अध्याय-VIII

तकनीकी वस्त्र

8.1 परिभाषा:

"तकनीकी वस्त्र मुख्य रूप से सौंदर्य विशिष्टताओं की अपेक्षा तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक उद्देश्यों हेतु निर्मित वस्त्र सामाग्री और उत्पाद हैं"।

उनकी कार्यात्मक आवश्यकताओं और अन्त्य उपयोग अनुप्रयोगों के आधार पर, तकनीकी वस्त्र की विभिन्न श्रेणियों को 12 समूहों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

i. एग्रोटेक- (जैसे शैडनेटस, फसल-आवरण, आदि)
ii. मेडिटेक (जैसे डायपर, पीपीई, कांटेक्टलेंस आदि),
iii. मोबिलटेक - (जैसे एयर-बैग, नायलॉन टायर कॉटस आदि),
iv. पैकटेक- (जैसे रैपिंग फैब्रिक, जूट बैग आदि),
v. स्पोर्टेक- (जैसे कृत्रिम टर्फ, पैराशूट आदि),
vi. बिल्डटेक- (जैसे आर्किटेक्चरल मेम्ब्रेन, होर्डिंग और साइनेज आदि),
vii. क्लोथेक - (छाते का वस्त्र, इंटरलिनिंग आदि),
viii. होमटेक- (ब्लेंड, आग प्रतिरोधीपर्दे, आदि),
ix. प्रोटेक- (बुलेट प्रूफ जैकेट, रासायनिक सुरक्षा कपड़े आदि),
x. जियोटेक- (जियो-ग्रिड, भू-कंपोजिट आदि),
xi. ओयेकोटेक- (पर्यावरणीय संरक्षण, आदि),
xii. इंडूटेक- (जैसेकंवेयरबेल्ट, बॉलटिंग क्लॉथ आदि)।

8.2 मंत्रालय द्वारा विगत में की गई पहलें:

8.2.1 तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी)

देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने और बढ़ रही मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर, 2010 में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमटीटी) की शुरूआत की थी। टीएमटीटी के दो मिनी मिशन थे

(क) उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना; और

(ख) बाजार विकास और फोकस उद्भवन केंद्रों की स्थापना करना। टीएमटीटी के अंतर्गत, 8 उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, मुंबई (2), गाजियाबाद, कोयंबटूर (2), कोल्हापुर, अहमदाबाद और थाणे में की गई है। इसी प्रकार 11 फोकस उद्भवन केंद्रों (एफआईसी) का स्थापना की गई है जो देशभर में फैले हुए हैं इनमें आईआईटी खड़गपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुर: निटरा, सिटरा, अटिरा, डीकेटीई इंजीनियरिंग कॉलेज और पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शामिल हैं। उद्देश्य पूरा होने से, यह योजना बंद हो गई है।

8.2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'जियोटेक्निकल टेक्सटाइल्स 'उपयोग संवर्धन योजना:

पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास में जियोटेक्सटाइल को बढ़ावा देने और इसका उपयोग करने के लिए 427 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए वर्ष 2014 में (2014-15 से 2018-19 तक) शुरुआत की गई। यह जागरूकता का सृजन करने, परीक्षण दक्षता और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अवसंरचना को लाभ पहुंचाने के लिए प्रायोगिक परियोजना थी। इस योजना के अंतर्गत, 12 सड़क परियोजनाएं, 11 जलाशय परियोजनाएं और 17 ढलान स्थिरीकरण परियोजनाएं शुरू की गईं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ हुआ है। अवसंरचना का जीवनकाल लगभग दो गुना हो गया है और रखरखाव की लागत में 50% की कमी आई है। यह भी पाया गया कि 30% जलक्षय की रोकथाम हुई है। प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है।

8.2.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाइल्स उपयोग संवर्धन योजना :

वित्त वर्ष 2012-13 में 55 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, एग्रोटेक्सटाइल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्रों और शेष भारत में 10 प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत कुल 1218 एग्रोटेक्सटाइल्स किटों का वितरण किया गया है ओर 5012 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 48.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। प्राप्त प्रमुख लाभ थे (i) 30-45% जल संरक्षण (ii) कृषि उत्पादकता में दो गुना वृद्धि (iii) किसानों की आय में 60% वृद्धि होने

की सूचना दी गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2019-20 में बंद कर दी गई थी।

8.2.4 जूट सहित वस्त्र उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास योजना:

12 वीं पंचवर्षीय योजना (2014-15 से 2018-19) में 149 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं: -

घटक-I: वस्त्र और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान में लगे (टीआरए), अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों आदि सहित प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान और विकास परियोजनाएं (कुल परिव्यय: 50 करोड़ रु.)

घटक-II: जूट क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना; जूट क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और प्रसार गतिविधियां (कुल परिव्यय: 80 करोड़ रु.)

घटक-III: बेंचमार्क अध्ययन, ज्ञान प्रसार और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से हरित पहल को बढ़ावा देना (कुल परिव्यय: 15 करोड़ रुपये)।

ये परियोजनाएं टीआरए/अनुसंधान एजेंसियों द्वारा शुरू की गई हैं और वस्त्र आयुक्त/पटसन आयुक्त के कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। केवल प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए इस योजना को बढ़ाया गया है।

8.3 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में वर्तमान पहलें:

8.3.1 एचएसएन (नामावली की सुसंगत प्रणाली) कोड की अधिसूचना:

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) संहिता में तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित कोई विशिष्ट अध्याय नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, या तो तकनीकी वस्त्रों के रूप में घोषित किए गैर-तकनीकी वस्त्रों की वस्तुओं का गलत वर्गीकरण किया गया था या वास्तविक तकनीकी वस्त्रों को व्यापार नीति के भाग के रूप में सही ढंग से प्रचारित नहीं किया जा रहा था। उद्योग काफी समय से तकनीकी वस्त्रों के एक अलग वर्गीकरण की मांग कर रहा था। स्टेकेहोल्डरों के लाभों को ध्यान में रखते हुए और व्यवसाय को आसान बनाने की दृष्टि से, 239 एचएसएन कोड को आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत परिशिष्ट-V में तकनीकी वस्त्रों के रूप में वर्गीकृत और अधिसूचित किया गया है।

8.3.2 239 तकनीकी वस्त्र मदों की व्यापार सांख्यिकी:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार शेष (निर्यात - आयात)
2021-22	21,200.12	18,336.56	+2863.6
2022-23	20,095.5	18,182.3	+1913.2
2023-24	21,407.45	17,001.64	+4,405.81

8.3.3 तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना:

अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, वर्तमान में दस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में अनिवार्य उपयोग के लिए 116 तकनीकी वस्त्र उत्पादों की पहचान की गई है। अब तक तकनीक वस्त्र के 68 उत्पादों के अनिवार्य उपयोग की अधिसूचना जारी की गई है

8.3.4 कौशल विकास :

वस्त्र क्षेत्र में कौशल अंतर धीमे विकास का एक प्रमुख कारक है। चूंकि मशीनों और संयंत्रों में उन्नत तकनीक शामिल है, इसलिए इन मशीनों के प्रचालन करने के लिए विशेष रूप से कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। उद्योग के अनुरोध पर, वस्त्र मंत्रालय ने अपने कौशल विकास कार्यक्रम-समर्थ में तकनीकी वस्त्रों के लिए छह (6) अतिरिक्त पाठ्यक्रम शामिल किए हैं।

8.4 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

तकनीकी वस्त्रों में देश को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार वर्ष की अवधि के साथ कुल 1480 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मिशन को वर्तमान व्यय में ही वित्त वर्ष 2025-26 तक और विस्तार दिया गया है। तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में मूलभूत और एप्लाइड अनुसंधान दोनों के रिसर्च और विकास के लिए है; संवर्धन और बाजार विकास गतिविधियों के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों पर जोर दिए जाने का स्तर बढ़ाने; तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में कुशल और शिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए निधि आवंटित की जाती है।

इस मिशन के चार घटक है :

8.4.1 घटक-I (अनुसंधान, नवाचार और विकास):

अनुसंधान विषय में विशिष्ट फाइबर और कम्पोजिट, जियोटेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, वस्त्र, मेडिकल टेक्सटाइल्स, रक्षा वस्त्र, स्पोर्टस टेक्सटाइल, और पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को शामिल करते हुए उनकी पहचान की गई है और अनुसंधान प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया है। अब तक स्पेशलिटी फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल की श्रेणी में 474 करोड़ रुपये मूल्य की 137 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

भारत में तकनीकी वस्त्रों के लिए हाइ एंड मशीनरी, उपकरण, टूल और परीक्षण उपकरणों के स्वदेशी विकास की सहायता करने के लिए दिशा-निर्देश और घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए स्वदेशी मंच स्थापित करने की शुरुआत की गई है।

तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और युवा वैज्ञानिकों को समर्थन देने के लिए दिशा-निर्देशों को अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी) में अनुमोदित किया गया है, जिसके तहत इस विशिष्ट क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को एनटीटीएम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

8.4.2 घटक-II (संवर्धन और बाजार विकास):

एनटीटीएम के घटक II के अंतर्गत, देश में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों कासंवर्धन और बाजार विकास के लिए जागरूकता और मांग सृजन करना है। एग्रोटेक्सटाइल्स के लाभ प्रदर्शित करने के लिए द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (ससमीरा), मुंबई के साथ नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात में एग्रो-टेक का एक प्रदर्शन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।

घरेलू उपभोग तथा आयात की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, टेक्निकल रेग्यूलेशन/क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओएस) के तहत लाने के लिए 87 आइटमों की पहचान की गई। मंत्रालय द्वारा जियोटैक टेक्सटाइल के 19 आइटमों, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल के 12 आइटमों, एग्रो टेक्सटाइल के 20 आइटमों तथा मेडिटैक टेक्सटाइल के 06 आइटमों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए गए हैं। एनटीटीएम के आरंभ होने के बाद 200 से अधिक बीआईएस स्टैंडर्ड विकसित किए जा चुके हैं।

8.4.3 घटक-III (निर्यात संवर्धन):

इस घटक का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र के निर्यात में प्रतिवर्ष 10-12% औसत वृद्धि सुनिश्चित करना है। एसआरटीईपीसी (अब मेटेक्सिल) को तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

8.4.4 घटक- IV (शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास) :

तकनीकी वस्त्रों में भावी भारतीय इंजीनियरों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ और इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिभा का स्तर सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है;

(क) वस्त्र मंत्रालय न केवल वस्त्र क्षेत्र में बल्कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे इंजीनियरिंग के अन्य विधाओं, कृषि संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, फैशन संस्थानों में भी तकनीकी वस्त्रों में इको-सिस्टम विकसित करना चाहता है।

उक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से एनटीटीएम के तहत निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए' 'तकनीकी वस्त्रों में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम

बनाने के लिए सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 'निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए' 'तकनीकी वस्त्रों में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए सामान्य दिशानिर्देश' नए तकनीकी वस्त्र डिग्री कार्यक्रम (यूजी और पीजी) को सक्षम बनाएंगे और तकनीकी वस्त्रों के नए कागजातों के साथ मौजूदा परंपरागत डिग्री कार्यक्रमों को अद्यतन करेंगे। तकनीकी वस्त्र में इको-सिस्टम को विकसित करने हेतु संकाय की ट्रेनिंग एवं लैब सुविधाओं में अपग्रेडेशन हेतु आईबीआईडी गाइडलाइन के तहत 151 करोड़ रुपए के ऐसे 26 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए' विस्तृत तकनीकी वस्त्र में शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए-विस्तृत 'सामान्य दिशानिर्देश वस्त्र मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एनटीटीएम वेब पेज https://www.texmin.nic.in/technical-textiles-mission के पर उपलब्ध हैं।

(ख) तकनीकी वस्त्र में इंटर्नशिप सहायता (जीआईएसटी) के लिए अनुदान हेतु सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं: -

एनटीटीएम में कृषि, चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, फैशन अन्य सहित तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले भावी इंजीनियरों/पेशेवर स्नातक छात्रों को ज्ञान और ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

जीआईएसटी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के इस उभरते क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिभा विकसित करने के लिए तकनीकी वस्त्रों में भावी भारतीय इंजीनियरों/पेशेवरों के लिए शिक्षा के स्तर और ज्ञान को बढ़ाना है।

टेक्निकल टेक्सटाइल (जीआईएसटी) में इंटर्नशिप सपोर्ट हेतु अनुदान संबंधी जनरल गाइडलाइन भी जनवरी, 2023 में लांच की गई, जिसमें पैनल वाली कंपनियों के माध्यम से बैचेलर तथा मास्टर छात्रों को इंटर्न के रूप में प्रति छात्र प्रति माह 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार इंटर्नशिप प्रदान करने हेतु 12 कंपनियों/टीआरए का एक पैनल तैयार किया गया है।

8.5 वस्त्र अनुसंधान संघ

वस्त्र और परिधान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं की प्रगति में अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान करते हुए, मंत्रालय वस्त्र अनुसंधान संघों का सहयोग कर रहा है जो इस क्षेत्र के संपूर्ण विस्तार को कवर करता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत आठ टीआरए हैं:

i. अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए)
ii. बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (बीटीआरए)
iii. साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (एसआइटीआरए)
iv. उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एनआईटीआरए)
v. मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (एमएएनटीआरए)
vi. सिंथेटिक और आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन (एसएएसएमआईआरए)
vii. भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (आईजेआईआरए)
viii. ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए)

अध्याय-IX

क्षेत्रगत योजनाएं

9.1 हथकरघा

9.1.1 प्रस्तावना

हथकरघा पीढ़ीगत विरासत का एक अनमोल हिस्सा है और हमारे देश की समृद्धि और विविधता तथा बुनकरों की कलात्मकता का उदाहरण है। हाथ से बुनाई की परंपरा देश के सांस्कृतिक लोकाचार का एक हिस्सा है। कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करके इसे बनाए रखा गया है। इस क्षेत्र की शक्ति इसकी विशिष्टता, उत्पादन का लचीलापन, नवाचारों के लिए खुलापन, आपूर्तिकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलता और इसकी परंपरा की संपत्ति में निहित है।

हथकरघा क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान है। एक आर्थिक गतिविधि के रूप में हथकरघा कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह क्षेत्र लगभग 28.23 लाख हथकरघों पर कार्यरत 35.23 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से 13.7% अनुसूचित जाति, 17.8% अनुसूचित जनजाति, 36% अन्य पिछड़ा वर्ग और 32.4% अन्य जातियों से संबंधित हैं।

हालांकि, आधुनिक तकनीकों के अभिग्रहण और आर्थिक उदारीकरण ने हथकरघा क्षेत्र में गंभीर पैठ बना ली है। पावरलूम और मिल क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, सस्ते आयातित कपड़ों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों ने हथकरघा क्षेत्र की जीवंतता को खतरे में डाल दिया है।

भारत सरकार, स्वतंत्रता के बाद से, कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति का पालन कर रही है। यह क्षेत्र विभिन्न नीतिगत पहलों और क्लस्टर दृष्टिकोण, एग्रेसिव मार्केटिंग पहल और सामाजिक कल्याण उपायों जैसे योजनागत पहलों के माध्यम से स्वयं को कायम रखने में समर्थ रहा है। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
- कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना।

योजना-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश अप्रैल 2023 में जारी किए गए हैं, और इन्हें 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। यह योजना हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करती है। यह योजना सहकारी समितियों के भीतर और बाहर, स्वयं सहायता समूहों आदि सहित बुनकरों को डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से मार्किटिंग सहायता, शहरी हाट, मार्किटिंग परिसरों आदि के रूप में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:-

i. लघु कलस्टर विकास कार्यक्रम
ii. हथकरघा मार्केटिंग सहायता
iii. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा
iv. हथकरघ बुनकरों का कल्याण
v. मेगा कलस्टर विकास कार्यक्रम
vi. आवश्यकता आधारित विशिष्ट आधारभूत परियोजनाएं

i. लघु कलस्टर विकास कार्यक्रम:

लघु कलस्टर विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के घटकों में से एक है। उन्नत करघे और सहायक उपकरण जैसे विभिन्न पहलों के लिए प्रति लघु क्लस्टर 2.00 करोड़ रुपये तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लघु कलस्टर विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय हथकरघा सौर प्रकाश इकाइयों, वर्कशेड, डिजाइन और उत्पाद विकास, मार्किटिंग आदि के घटकों में से एक है। प्रस्तावों की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 96 कलस्टर विकास कार्यक्रमों में विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए 76.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

ii. हथकरघा मार्किटिंग सहायता:

हथकरघा मार्किटिंग सहायता का मुख्य उद्देश्य बुनकरों

एवं हथकरघा संगठनों को अपना उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मार्किटिंग के लिए मंच प्रदान करना है। एचएमए के घटक हैं-(क) घरेलू मार्किटिंग को बढ़ावा; (ख) हथकरघा निर्यात को बढ़ावा; (ग) शहरी हाट की स्थापना और (घ) मार्किटिंग को प्रोत्साहन। इस घटक के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

a. एक्सपो, कार्यक्रमों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
b. निर्यात संवर्धन
c. हैंडलूम मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के माध्यम से ब्रांड का प्रचार
d. हथकरघा पुरस्कार
e. भौगोलिक संकेतक

(क) मार्केटिंग एक्सपो, कार्यक्रम, दिल्ली हाट प्रदर्शनी एवं शिल्प मेलों का आयोजन:

राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों, राज्य सरकारों / संघ राज्य-क्षेत्रों और राज्य सरकार की नामांकित हथकरघा एजेंसियों को हथकरघा उत्पादों को जिले से राष्ट्रीय स्तर तक बेचने के लिए शिल्प मेला, अन्य मार्केटिंग कार्यक्रम आदिजैसे राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो (एनएचई) और राज्य हथकरघा एक्सपो (एसएचई), जिला हथकरघा एक्सपो (डीएचई), शिल्प मेला जैसे अन्य मार्केटिंग कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएचडीपी के तहत आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आयोजित कार्यक्रम	जारी राशि (करोड़ रुपए में)
2021-22	211	32.30
2022-23	210	28.64
2023-24	155	37.77

(ख) नरि्यात संवर्धन:

हथकरघा निर्यात संवर्धन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, सेलर्स-बायर्स मीट आदि में भाग लेने तथा नवीनतम डिजाइन, रुझान, रंग पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों/शीर्ष और हथकरघा निर्यातकों की सहायता करना है। इस घटक के तहत, (i) निर्यात परियोजनाओं (ii) बीएसएम/आरबीएसएम और (iii) विविध प्रचार गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सहायता दी जाती है।

निर्यात के प्रमुख हथकरघा क्लस्टर तमिलनाडु में करूर और मदुरै, केरल में कन्नूर और हरियाणा में पानीपत हैं। जबकि करूर, मदुरै और कन्नूर तथा पानीपत में निर्यात योग्य हथकरघा उत्पाद जैसे टेबलमैट्स, प्लेसमैट्स, कशीदाकारी वस्त्र सामग्री, पर्दे, फर्श मैट, रसोई के सामान आदि का उत्पादन किया जाता है एवं पानीपत दरी और अन्य भारी किस्मों के लिए प्रसिद्ध हैं जहां हाथ से काते हुए धागे का बहुतायत से उपयोग किया जाता है।

इसके अलावा केकरा, वाराणसी, भागलपुर, शांतिपुर, जयपुर, अहमदाबाद, वारंगल, चिराला, पोचमपल्ली और संबलपुरी जैसे अन्य केंद्र भी हथकरघा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बड़ी संख्या में व्यापारी निर्यातक हैं जो अपने उत्पाद इन केंद्रों से प्राप्त करते हैं।

पिछले 03 वर्षों के दौरान निर्यात उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	उपलब्धि	
	रू. करोड़ में	अमेरीकी डॉलर में
2021-22	1987.63	266.88
2022-23	1445.53	180.47
2023-24	1146.33	138.45

(ग) हैंडलूम मार्क:

हैंडलूम मार्क खरीदारों को गारंटी के रूप में सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है कि उनके द्वारा खरीदा जा रहा उत्पाद एक वास्तविक हस्तनिर्मित उत्पाद है और पावरलूम या मिल निर्मित उत्पाद नहीं है। हैंडलूम मार्क को समाचार पत्रों और पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिंडिकेटेड लेखों, फैशन शो, फिल्मों आदि में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित और लोकप्रिय किया जाता है। वस्त्र समिति हैंडलूम मार्क के प्रचार के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, हैंडलूम मार्क के लिए कुल 24488 पंजीकरण जारी किए गए हैं। 815 खुदरा आउटलेट, हैंडलूम मार्क लेबल के साथ हथकरघा सामान बेच रहे हैं।

'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड:

ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं पर्यावरणात्मक अनुपालनों के अलावा कच्ची सामग्री, प्रोसेसिंग, बुनाई एवं अन्य मानकों की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि हेतु माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 07.08.2015 को प्रथम हथकरघा दिवस के अवसर पर 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी) का शुभारंभ किया गया था। 'इंडिया हैंडलूम ब्रांड' केवल उत्कृष्ट हस्तनिर्मित उत्पादों के इच्छुक ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले त्रुटिरहित प्रीमियम एवं प्रामाणिक हथकरघा उत्पादों के लिए प्रदान किया जाता है। 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य बुनकरों के लिए विशेष बाजार स्थान तथा आय में वृद्धि करना है।

(घ) हथकरघा पुरस्कार

वस्त्र मंत्रालय हथकरघा बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए संत कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

संत कबीर हथकरघा पुरस्कार:

संत कबीर हथकरघा पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को प्रदान किया जाता है जो इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोई भी हथकरघा बुनकर, जिसे राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिला है अथवा असाधारण कौशल वाला कोई हथकरघा बुनकर जिसने बुनाई परम्परा के संवर्धन, विकास और संरक्षण तथा बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इस पुरस्कार में 3.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, स्वर्ण से मढ़ा हुआ एक सिक्का, एक ताम्रपत्र, एक शॉल और प्रमाण पत्र शामिल है।

राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार:

राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट कारीगरी में योगदान और हथकरघा बुनाई के विकास में पहचान के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान उन्हें और अधिक उत्साहवर्धक और सार्थक तरीके से काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा और अन्य को भी उनका अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक ताम्रपत्र, एक शॉल, एक स्मार्ट फोन तथा एक प्रमाण पत्र शामिल है।

बुनाई के क्षेत्र में मौजूदा संत कबीर पुरस्कारों और राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा, वर्ष 2016 से केवल महिला हथकरघा बुनकरों के लिए 02 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 04 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं। महिला हथकरघा बुनकरों को दिए जाने वाले इस विशिष्ट पुरस्कार का नाम 'संत कबीर/राष्ट्रीय (कमलादेवी चट्टोपाध्याय) पुरस्कार' रखा गया है। वर्ष 2020-22 के दौरान महामारी और गृह मंत्रालय के निर्देशों पर हथकरघा पुरस्कार के तंत्र में बदलाव करने और उसे युक्तिसंगत बनाने के कारण हथकरघा पुरस्कार प्रदान नहीं किए जा सके। गृह मंत्रालय ने पुरस्कारों की संख्या को कम करने और इसके स्तर को बढ़ाने का निदेश दिया है। तदनुसार, संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों को युक्तिसंगत बनाया गया है और कुछ नई उक्त श्रेणियों को भी शामिल किया गया तथा राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण-पत्र पुरस्कार को हटा दिया गया है। पुरस्कारों में बदलाव और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के बाद किसी वर्ष में दिए जाने वाले संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की संशोधित संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

हथकरघा दिशानिर्देशों की श्रेणियां और उप-श्रेणियां:

संत कबीर हथकरघा पुरस्कार:

श्रेणी	बुनाई	पुरस्कार की संख्या
उप श्रेणी	बुनाई	03
	विशिष्ट रूप से महिला बुनकरों के लिए (कमला देसी चटोपध्याय संत कबीर हथकरघा पुरस्कार)	01
	लुप्त हो रही बुनाई	01
	जनजातीय बुनाई	01
	कुल	**06**

राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार:

क्र.सं	श्रेणियां	उप-श्रेणियां	प्रत्येक श्रेणी/उप श्रेणी के तहत पुरस्कारों की संख्या
1	बुनाई	बुनाई	08
		विशिष्ट रूप से महिला बुनकरों के लिए (कमला देसी चटोपध्याय संत कबीर हथकरघा पुरस्कार)	02
		युवा बुनकर (अधिकतम 30 वर्ष की आयु वाले)	01
		दिव्यांग बुनकर	01
		लुप्त हो रही बुनाई	01
		जनजातीय बुनाई	01
2	डिजाइन विकास		02
3	हथकरघा उत्पादों की मार्किटिंग		02
4	स्टार्ट उद्यम/उत्पादक कंपनी		01
		कुल	**19**

वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक: वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक आदि को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है और इनका दूसरों द्वारा अनधिकृत प्रयोग किए जाने से रोका जाता है। पंजीकरण के लिए 1.50 लाख रूपए की वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण तथा सूचना के प्रचार-प्रसार आदि के लिए 1.50 लाख रूपए हैं। अभी तक इस अधिनियम के तहत 103 हथकरघा उत्पादों को पंजीकृत किया गया है।

iii. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना:

इस घटक के तहत, देश भर में हथकरघा क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाता है। हथकरघा संगठन भारत सरकार द्वारा 7% तक की ब्याज छूट के अध्यधीन 3 वर्ष की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर को ऋण राशि का 20%, जो अधिकतम 25,000/- रुपये है, तथा हथकरघा संगठन को ऋण राशि का 20%, जो अधिकतम 20.00 लाख रुपये है (प्रत्येक 100 बुनकर/कर्मचारी के लिए 2.00 लाख रुपये) मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है। हथकरघा संगठन को ऋण पर ऋण गारंटी शुल्क भी 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

वित्तीय सहायता के समय पर हस्तांतरण के लिए, मार्जिन मनी, ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी शुल्क के संबंध में सहभागी बैंकों द्वारा दर्ज किए गए दावों के निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 'हैंडलूम वीवर मुद्रा पोर्टल' नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है। मार्जिन मनी सीधे बुनकर के ऋण खाते में अंतरित की जाती है और ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी शुल्क संबंधित बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है।

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में स्वीकृत ऋण राशि के साथ स्वीकृत ऋण की स्थिति निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	मंजूर किए गए ऋण की सं.	मंजूर किए गए ऋण की राशि (रु. करोड़ में)
2020-21	8,456	47.38
2021-22	9,526	56.89
2022-23	7,789	51.19
2023-24	7,913	58.73

iv. हथकरघा बुनकर कल्याण:

इस घटक का क्रियान्वयन हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, पुरस्कार विजेता हथकरघा बुनकरों/कामगारों को आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा देश भर में बुनकरों/कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18-50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये देय हैं। पीएमजेजेबीवाई के तहत 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का शेयर निम्नानुसार है:

भारत सरकार का शेयर	Rs.198/-
राज्य सरकार/लाभार्थी का शेयर	Rs.238/-
कुल प्रीमियम	Rs.436/-

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

पीएमएसबीवाई एक बीमा योजना है जो मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल आधार पर नवीकरणीय होगा। इसके लिए 18-70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी हथकरघा बुनकर/कामगार पात्र हैं। उपलब्ध जोखिम कवर दुर्घटना मृत्यु/स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 2.00 लाख रुपये और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 1.00 लाख रुपये होगा। 20/- रु. का समग्र प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

कनवर्ज्ड महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई):

कनवर्ज्ड महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जो 51-59 वर्ष की आयु समूह वाले ऐसे

हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए मृत्यु अथवा दिव्यांगता के लिए जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जो दिनांक 31.05.2017 को एमजीबीबीवाई के तहत पहले से ही शामिल हैं। प्राकृतिक मृत्यु पर 0.60 लाख रुपये, दुर्घटनावश मृत्यु/पूर्ण दिव्यांगता पर 1.50 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 0.75 लाख रुपये का जोखिम कवर उपलब्ध होगा। 470/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम का शेयर निम्नानुसार है:

भारत सरकार का शेयर	Rs.290/-
राज्य सरकार/लाभार्थी का शेयर	Rs.180/-
कुल प्रीमियम	Rs.470/-

पिछले तीन वर्षों और चालू नीति वर्ष में पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और कनवर्ज्ड एमजीबीबीवाई के तहत बुनकरों/कामगारों का नामांकन इस प्रकार है:

नीति वर्ष	नामांकित बुनकर
2020-21*	-
2021-22	1,11,957
2022-23	69,909
2023-24	1,30,140

*डीएफएस, वित्त मंत्रालय के दिनांक 13.05.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/11/2015-एनएस.II/I के पत्र के आधार पर पूर्ण प्रीमियम भुगतान प्रणाली में 1.4.2020 से परिवर्तन किया गया था। इसलिए 2020-21 के दौरान कोई नामांकन नहीं हुआ था।

पुरस्कार विजेता बुनकरों/कामगारों को विकट परिस्थितियों में वित्तीय सहायता:

60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों/कामगारों जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से कम, प्रति पुरस्कार विजेता को 8,000/- रुपये प्रति माह प्रति पुरस्कार विजेता (पद्मश्री/ संत कबीर/राष्ट्रीय/राज्य) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।

छात्रवृत्ति:

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, 3/4 वर्षीय डिप्लोमा/ स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिएहथकरघा बुनकरों/कामगारों के बच्चों (2 बच्चों तक)/ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित वस्त्र संस्थानों को अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता।

v. मेगा कलस्टर विकास कार्यक्रम

एनएचडीपी के तहत प्रत्येक मेगा हथकरघा क्लस्टर (2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयनाधीन), 5 वर्षों की अवधि में प्रति क्लस्टर 30.00 करोड़ रुपये तक के भारत सरकार के योगदान के साथ कम से कम 10000 हथकरघा/क्लस्टरों को कवर करेगा।

वर्तमान में, 8 राज्यों अर्थात असम (शिवसागर), उत्तर प्रदेश (वाराणसी), तमिलनाडु (विरुधुनगर और त्रिची), पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद), झारखंड (गोड्डा और पड़ोसी जिले), आंध्र प्रदेश (प्रकाशम और गुंटूर जिला) तथा बिहार (भागलपुर) और मणिपुर (पूर्वी इंफाल) में 9 मेगा हथकरघा क्लस्टर कार्यान्वयनाधीन हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान मेगा कलस्टर में विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए 14.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

vi. आवश्यकता आधारति वशिष अवसंरचना परयिोजनाएँ

उत्पाद विकास/विविधीकरण, हथकरघा उत्पादों की उत्पादकता/गुणवत्ता में सुधार, हथकरघा उत्पादों के मूल्य संवर्धन, मार्किटिंग आदि के लिए परियोजनाओं की स्थापना के लिए 12.00 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा) तक की आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि गतिशील बाजार की चुनौतियों का सामना किया जा सके। 04 शिल्प हथकरघा मोहपारा (असम), कोवलम (केरल), प्रणपुर (मध्य प्रदेश) और मोइरंग (मणिपुर) का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही, सारण (हिमाचल प्रदेश), कनीहामा (जम्मू और कश्मीर), रामपुर (बिहार) और सेलाउलीम (गोवा) के निकट चार शिल्प हथकरघा ग्रामों का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा,

निफ्ट के सहयोग से आईआईएचटी का 'पुनर्गठन और री-ब्राडिंग' के लिए विशेष परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) तैयार की गई है। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा और वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें, शीर्ष सोसाइटियां तथा राज्य हथकरघा निगम राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। इस योजना के तहत मालभाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का 2% (प्रति माह 15,000/- रुपये तक सीमित) डिपो प्रचालन शुल्क डिपो प्रचालन एजेंसियों को दिया जाता है।

आईए को मालभाड़ा प्रतिपूर्ति, डिपो प्रचालन व्यय और सेवा शुल्क की दरें निम्नानुसार हैं:

(आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	मालभाड़ा			डिपो प्रचालन शुल्क	कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क
	सिल्क यार्न	जूट/कॉयर यार्न	सिल्क को छोड़कर और जूट/ कॉयर यार्न		
सामान्य राज्यों में	1.0%	10%	2.5%	2.0%	2%
पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में	2.25%	10%	7.5%	2.0%	2.50%

इसके अलावा, कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनेन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के साथ 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है। आरएमएसएस के तहत आपूर्ति किए गए यार्न की मात्रा और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	परिवहन सब्सिडी के तहत यार्न आपूर्ति की मात्रा (लाख किलो)	मूल्य सब्सिडी के तहत यार्न आपूर्ति की मात्रा (लाख किलो)	जारी निधियां (करोड़ में)
2018-19	442.04	146.26	126.84
2019-20	406.17	93.26	142.21
2020-21	215.09	78.56	60.32
2021-22	235.80	98.60	89.53
2022-23	304.72	125.41	60.32
2023-24	339.98	132.75	159.71

क) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) फैब्रिक्स, होम फार्निशिंग, कारपेट और फ्लोर कवरिंग आदि जैसे सभी हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नोडल एजेंसी है। एचईपीसी का गठन 96 सदस्यों के साथ 1965 में किया गया और देशभर में इसकी वर्तमान सदस्यता 1625 है। एचईपीसी का मुख्यालय चेन्नई में है और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है।

एचएचईपीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के लिए भारतीय हथकरघा निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सभी प्रकार की सहायता एवं मार्गदर्शन है।

9.1.2 हथकरघा की सुरक्षा एवं हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 क्रियान्वयन के लिए योजना

हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के क्रियान्वयन का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों की आजीविका तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर पावरलूम तथा मिल क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। इस समय, दिनांक 3.9.2008 के सां.आ. सं. 2160 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत हथकरघों पर उत्पादन के लिए कुछ विनिर्देशों के साथ 11 प्रकार की वस्त्र वस्तुएं आरक्षित हैं। विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार) किए गए पावरलूम निरीक्षणों की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद स्थित तीन प्रवर्तन कार्यालय हथकरघा की सुरक्षा और हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के क्रियान्वयन का पालन सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार हथकरघा की सुरक्षा एवं हथकरघा का क्रियान्वयन (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के लिए प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.1 (संख्या में)

क्र. सं.	वास्तविक प्रगति	2022-23	2023-24
1.	पावरलूम निरीक्षणों के लक्ष्य	1,65,192	3,95,400
2.	पावरलूम निरीक्षणों की सं.	1,88,642	3,84,860
3.	दर्ज एफआईआर की सं.	53	98
4.	अपराध सिद्धि	61	52

तालिका 1.2 (रुपये लाख में)

क्र.सं.	वास्तविक प्रगति	2022-23	2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	46.80	39.01
2.	पश्चिम बंगाल	16.14	19.18
3.	गुजरात	45.54	56.73
4.	राजस्थान	32.50	-
5.	मध्य प्रदेश	19.51	5.98
6.	हरियाणा	-	-
7.	Tतमिलनाडु	103.90	216.57
8.	उत्तर प्रदेश	176.98	253.56
9.	तेलंगाना	58.63	31.85
	कुल	500.00	622.68

9.2 हस्तशिल्प:

हस्तशिल्प क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो रोजगार सृजन और निर्यात आय दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने महत्व के बावजूद, यह क्षेत्र पूंजी तक सीमित पहुंच, आधुनिक तकनीकों के

प्रति अपर्याप्त संपर्क, बाजार की जानकारी का अभाव और कमजोर संस्थागत ढांचे जैसी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके प्रतिउत्तर में, सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं और परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र ने उत्पाद विकास, घरेलू बिक्री और चालू वर्ष के दौरान निर्यात प्रदर्शन में वृद्धि सहित विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति का अनुभव किया है।

9.2.1 वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं के विभिन्न उप-घटकों द्वारा कारीगरों के बीच बढ़ी हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता से इस क्षेत्र ने निर्यात के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है। वर्ष 2023-24 [मार्च 2024 तक] के दौरान हस्तनिर्मित कालीन सहित हस्तशिल्प का निर्यात 26478 करोड़ रुपए है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात 2018-19 से 2023-24 के दौरान हस्तशिल्प का निर्यात

क्र. सं.	वर्ष	हस्तशिल्प का निर्यात (रुपए करोड़ में)
1.	2018-19	37913.66
2.	2019-20	37069.59
3.	2020-21	39490.37
4.	2021-22	49385.12
5.	2022-23	44126.80
6.	2023-24	45282.38*

*अनंतिम डेटा

9.2.2 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय समग्र रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन और विकास तथा कारीगरों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है;

क. "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" (एनएचडीपी)

उप योजनाएँ:
1. मार्किटिंग सहायता एवं सेवाएं
2. हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास
3. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
4. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6. अनुसंधान एवं विकास

ख. व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना

9.2.2.1 मार्किटिंग सहायता एवं सेवाएँ

हस्तशिल्पों का संवर्धन एवं बाज़ार बढ़ाने के उद्देश्य से देश के हस्तशिल्प कारीगरों को प्रत्यक्ष मार्किटिंग मंच की सुविधा मुहैया कराने के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को मेट्रोपॉलिटन शहरों/ राज्यों की राजधानियों/ पर्यटन अथवा वाणिज्यक स्थलों/ अन्य स्थानों पर घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शनियां/संगोष्ठियां आयोजित करने/उनमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान 767 घरेलू और 19 अंतर्राष्ट्रीय विपणन आयोजनों को मंजूरी दी गई है। इन आयोजनों ने गांधी शिल्प बाज़ारों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के माध्यम से 11,667 कारीगरों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अवसर प्रदान करने में मदद की है। अब तक ₹5337.56 लाख स्वीकृत किए गए हैं और ₹3875.44 लाख जारी किए गए हैं।

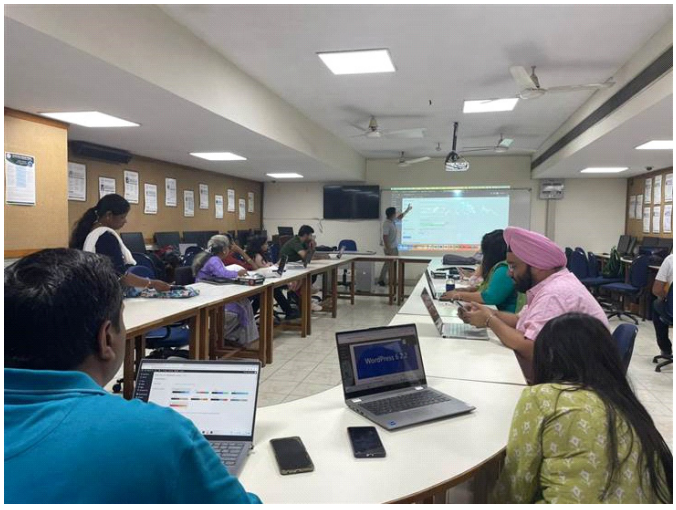

आत्मनिर्भर भारत उत्सव, जनवरी 2024

गांधी शिल्प बाजार में आगंतुकों के लिए हस्तशिल्प प्रदर्शित करते हुए कारीगर

डीटीडीडब्ल्यू कार्यक्रम

9.2.2.2 हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास

हस्तशिल्प अपने सौंदर्यपरक, संबद्ध पारंपरिक मूल्यों, विशिष्टता, गुणवत्ता और शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध है। सामान्यतया पारंपरिक ज्ञान और शिल्प अभ्यास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राकृतिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। तथापि, नए औजारों और प्रोद्यौगिकी के उद्भव से, शिल्प ज्ञान की प्रक्रिया में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। परिवर्तनशील हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए मानकीकृत उत्पादन प्रक्रियाएँ, कुशल मानवबल, हस्तशिल्प उत्पादों के लिए डिजाइन डाटाबेस, त्वरित एवं प्रभावी प्रोटोटाइपिंग, संचार कौशल और अन्य सॉफ्ट स्किल अपरिहार्य आवश्यकताएं बन गई हैं। 'हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास' उप योजना की संकल्पना इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है और इसके निम्नलिखित चार घटक हैं:

क. डिजाइन घटकः

1. डिज़ाइन एवं प्रोद्यौगिकी विकास कार्यशाला
2. उन्नत टूलकिट वितरण कार्यक्रम

ख. प्रशिक्षण घटकः

1. गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम

कारीगरों को उन्नत टूलकिटों का वितरण

वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान, 272 डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशाला, 158 गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम और 16 व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम के साथ-साथ 11,400 टूलकिट वितरण को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल परियोजना लागत ₹ 3910.56 लाख है।

ग. समर्थ प्रशिक्षण:

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान आयोजित 72 समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में

1899 हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है, जो एनएसक्यूएफ से मान्यता प्राप्त हैं और हस्तशिल्प और कारपेट सैक्टर स्किल काउंसिल द्वारा डिजाइन किए गए हैं।

9.2.2.3 अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना(एएचवीवाई)

Tइस उप-योजना का उद्देश्य कारीगरों के समूहों को प्रभावी ढ़ग से सदस्य भागीदारी एवं परस्पर सहयोग के सिद्धान्त के आधार पर पेशेवर तरीके से व्यवस्थित और आत्मनिर्भर समुदाय के उद्यम के रुप में विकसित करते हुए भारतीय हस्तशिल्पों का संवर्धन करना है। इस योजना में हस्तशिल्प के सतत विकास हेतु शिल्पियों की सहभागिता द्वारा परियोजना आधारित, आवश्यकता आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इस उप-योजना के घटक निम्नानुसार हैः-

1. शिल्प क्लस्टर का आधारभूत सर्वेक्षण और कारीगरों को क्लस्टर में संगठित करना।
2. पहचाने गए क्लस्टर कारीगरों के लिए पहचान कार्ड तैयार करना।
3. आधारभूत सर्वेक्षण में व्यवहार्य पाए गए क्लस्टरों में उत्पादक कंपनी (पीसी) का गठन।
4. एनएचडीपी के सभी घटकों को शामिल करते हुए पीसी को एंड टू एंड सॉफ्ट और हार्ड एंटरवेंशन सहायता।

वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान, डिजाइन कार्यशालाएं, टूलकिट वितरण, प्रदर्शनी, स्टडी ट्यूर, सेमिनार, शिल्प प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम, ब्रांड संवर्धन और प्रचार आदि जैसे 675 विभिन्न कार्यक्रमों लिए ₹ 5618.75 लाख की राशि मंजूर की गई है और देश भर में 75 पीसी के लिए ₹ 2278.49 लाख जारी किए गए हैं।

9.2.2.4 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ (कल्याण):

इस योजना में कारीगरों को स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, पहचान, ऋण सुविधाएँ देने, औजार एवं उपस्कर मुहैया कराने आदि जैसे कल्याणकारी उपायों परिकल्पना की गई है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं-

1. दीनहीन परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता
2. ब्याज की छूट एवं ऋण की सुविधा के लिए मार्जिन मनी
3. Iफोटो पहचान-पत्र जारी/नवीकरण करना और डाटाबेस का निर्माण
4. हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना:
    1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
    2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
    3. अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (अभिसरित संशोधित एएबीवाई)
5. जागरूकता कैंप/चौपाल/शिविर
6. हस्तशिल्प पुरस्कार।

उद्यमी विकास कार्यक्रम

मुद्रा ऋण के लिए कारीगरों को प्रोत्साहित करना

वर्ष 2023-24 [दिनांक 31.03.2024 तक] के दौरान हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए ₹593.65 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

9.2.2.5 अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता

यह उप-योजना देश में कुशल व्यक्तियों/कारीगरों के संसाधन पूल में सुधार करने के लिए कारीगर क्लस्टर में और उसके आसपास उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन विकास, कच्चे माल के बैंक और मार्किटिंग और संवर्धन सुविधाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रौद्योगिकी और सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। योजना के घटकों का उद्देश्य देश में हस्तशिल्प उत्पादन में सहायता करने, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना है ताकि इस क्षेत्र को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके। उप-योजना निम्नलिखित घटकों के लिए वित्त पोषण की सहायता करती है:

1. शहरी हाट
2. एम्पोरियम
3. मार्किटिंग और सोर्सिंग हब
4. शिल्प आधारित संसाधन केंद्र
5. सामान्य सुविधा केंद्र
6. कच्चा माल डिपो
7. निर्यातकों/उद्यमियों को प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता
8. परीक्षण प्रयोगशालाएँ
9. शिल्प ग्राम, और
10. अन्य आवश्यकता आधारित परियोजनाओं आदि का निर्माण।.

वर्ष 2023-24 [दिनांक 31.03.2024 तक] के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना/क्रियान्वयन के लिए ₹2257.78 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

9.2.2.6 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास योजना की शुरुआत महत्वपूर्ण शिल्पों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन तथा हस्तशिल्प क्षेत्र की समस्याओं एवं विशिष्ट पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई थी जिससे नीति आयोजन में उपयोगी इनपुट सृजित किए जा सकें तथा चल रहे कार्यकलापों को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और इस कार्यालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सके। आर एंड डी के तहत निम्नलिखित क्रियाकलाप क्रियांवित किए जा रहे हैं :

1. शिल्प क्षेत्र के विकास के लिए सर्वेक्षण/अध्ययन
2. जीआई शिल्प का पंजीकरण (अधिकृत उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण सहित), कानूनी पैरा, मानक, ऑडिट और लेबलिंग/प्रमाणन आदि के लिए अन्य दस्तावेज तैयार करना।
3. लुप्तप्राय शिल्पों का संरक्षण
4. देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना
5. वैश्विक मानकों या गुणवत्ता मानकों को अपनाने में हस्तशिल्प निर्यातकों की सहायता करना
6. हस्तशिल्प के विकास संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाएं/सेमिनार
7. हस्तशिल्प योजनाओं के लिए मूल्यांकन/प्रभाव आकलन अध्ययन आदि
8. हस्तशिल्प के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शिल्प पर डेटा संग्रह और रिपोर्ट तैयार करना
9. क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके डेटाबेस द्वारा डिजाइनरों और मास्टर शिल्पकारों का पैनल बनाना
10. हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए कोई विशेष आवश्यकता-आधारित परियोजना

वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान ₹ 398.44 लाख की लागत से 153 कार्यशाला/सेमिनार की स्वीकृती प्रदान की गई हैं।

9.2.3 व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (मेगा क्लस्टर)

मेगा क्लस्टर दृष्टिकोण हस्तशिल्प क्लस्टरों में अवसंरचना और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ाने का एक अभियान है, जो असंगठित रहे हैं और अब तक हुए आधुनिकीकरण और विकास के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं। यह योजना बाजार संपर्क और उत्पाद विविधीकरण के साथ अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन में सहायता करती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, प्राथमिक उत्पादकों को सहायता के प्रावधान के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना, कारीगरों को डिजाइन और कौशल प्रशिक्षण और मार्किटिंग सहायता पर आधारित संशोधित रणनीति इस योजना के तहत प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और लद्दाख में हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹1850.24 लाख

स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुल ₹30.00 करोड़ की परियोजना लागत के साथ एक मेगा क्लस्टर परियोजना को मंजूरी दी गई है।

9.2.4 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

- रघुराजपुर शिल्प ग्राम (ओडिशा) और कुंडा शिल्प ग्राम, जयपुर (राजस्थान) का उद्घाटन क्रमशः 25.01.2024 और 04.02.2024 को श्रीमती दर्शना जरदोश, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार और सुश्री दीया कुमारी, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा किया गया है।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने भारत के कोने-कोने में आयोजित जी-20 कार्यक्रमों में हस्तशिल्प का प्रदर्शन करके बड़े पैमाने पर भाग लिया है।
- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा वार्षिक मेले के रूप में शुरू किए गए और जनवरी, 2024 के महीने में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के पहले संस्करण में भाग लिया है।
- कन्वर्जेंस की भावना से, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के साथ मिलकर 152 कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से अक्टूबर, 2023 के पूरे महीने में पूरे भारत में खादी महोत्सव मनाने के लिए हाथ मिलाया है।.

जनवरी 2024 में श्रीमती दर्शना जरदोश, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा,
रघुराजपुर शिल्प ग्राम, पुरी का उद्घाटन

फरवरी 2024 में राजस्थान की माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती दीया कुमारी द्वारा जयपुर में
कुंडा शिल्प ग्राम का उद्घाटन

विकास आयुक्त [हस्तशिल्प] कार्यालय के अंतर्गत अन्य संगठन:

1. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी

राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी (पूर्व में राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसके मुख्य उद्देश्यों में हस्तशिल्प और हथकरघा की भारतीय प्राचीन परंपराओं के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिल्पकारों, डिजाइनरों, निर्यातकों, विद्वानों और जन साधारण के लिए एक इंटरेक्टिव मंच प्रदान करना, शिल्पकारों को बिचौलियों के बिना मार्किटिंग मंच मुहैया कराना और भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपराओं के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना शामिल है। शिल्प नमूनों का संकलन, संरक्षण और परिरक्षण तथा कला और शिल्प का पुनरुद्धार, पुनरुत्पादन और विकास करना शिल्प संग्रहालय की प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान, कुल 73,535 आगंतुकों ने संग्रहालय का दौरा किया है, जिसमें 3206 विदेशी नागरिक शामिल हैं।

संग्रहालय दीर्घाएँ:

हस्तशिल्प और हथकरघा, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपरा को स्थायी दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। धातु के प्रतीक, अनुष्ठान के सामान, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, लकड़ी की नक्काशी, चित्रित लकड़ी और कागज की लुगदी, गुड़िया, मुखौटे, लोक और आदिवासी पेंटिंग और मूर्तियां, टेराकोटा, लोक और आदिवासी आभूषणों से युक्त कलाकृतियों को पारंपरिक भारतीय वस्त्रों के एक पूरे खंड सहित प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में विभिन्न दीर्घाओं में 1207 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। 26,000 से अधिक हस्तनिर्मित कलाकृतियों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया है और संग्रहालय के भंडारण में आधुनिक कॉम्पैक्टर में रखा गया है।

ग्राम परिसर:

संग्रहालय का ग्राम परिसर ग्रामीण भारत की याद दिलाता है, जिसमें देश के विभिन्न भागों की विशिष्ट ग्राम संरचनाएँ हैं, जिसे 1972 में ग्रामीण भारत परिसर के रूप में स्थापित किया गया था, इसमें झोपड़ियाँ और आवास, दीवारें और आँगन शामिल हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषता हैं, जो प्रतिकृति में निर्मित हैं और क्षेत्र की पारंपरिक लोक कला रूपों से सुसज्जित हैं। परिसर में कुल्लू हट (हिमाचल प्रदेश), मेहर हट (सौराष्ट्र, गुजरात), गदबा हट (ओडिशा), बन्नी हट (गुजरात), मधुबनी प्रांगण (बिहार), आदि कुटीर (अरुणाचल प्रदेश), निकोबार हट (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), जम्मू और कश्मीर का प्रांगण, राभा हट (असम), नागा हट (उत्तरी नागालैंड), टोडा हट (तमिलनाडु), गोंड हट (मध्य प्रदेश), देवनारायण का मंदिर (राजस्थान), बंगाल प्रांगण (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं।

ओपन-एयर थिएटर:

परिसर में चार ओपन-एयर थिएटर भी विकसित किए गए हैं, जिनके नाम हैं, कादंबरी थिएटर, सारंगा एम्फीथिएटर, आंगन मंच और पिलखन मंच, जहाँ नृत्य, रंगमंच और नाटक जैसे प्रदर्शन किए जाते हैं।

पुस्तकालय:

संग्रहालय में एक विशेष संदर्भ पुस्तकालय है, जिसमें पारंपरिक भारतीय कला, शिल्प, वस्त्र और भारतीय जनजातियों आदि पर प्रमुख मानवशास्त्रीय कार्यों पर 9333 से अधिक संदर्भ पुस्तकें और अन्य पत्रिकाएँ हैं। सामान्य तौर पर, विभिन्न संस्थानों के शोध विद्वान और छात्र नियमित रूप से संग्रहालय का दौरा करते हैं। इस अवधि में 1919 पाठकों और 20000 केवी/अन्य स्कूलों के छात्रों ने पुस्तकालय का दौरा किया और 1193 पुस्तकें जारी की गईं।

शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम (सीडीपी):

संग्रहालय पूरे वर्ष आयोजित अपने नियमित शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम (सीडीपी) के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा का समर्थन करता है। शिल्पकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाता है। सरकार शिल्पकारों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निःशुल्क आवास सुविधा प्रदान करती है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक सीडीपी में 138 मास्टर शिल्पकार और 58 लोकगीत/नृत्य कलाकारों ने भाग लिया है।

संरक्षण एवं परिरक्षण:

संरक्षण एवं परिरक्षण अनुभाग का मुख्य कार्य वर्ष भर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/वस्तुओं की निवारक एवं उपचारात्मक देखभाल करना है। कुल 137 वस्तुओं को साफ करके रासायनिक उपचार किया गया है ताकि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, आभला प्रदर्शनी के प्रदर्शन के लिए धातु की 19 वस्तुएं, लकड़ी की 18 वस्तुएं, 06 पेंटिंग, 87 वस्त्र एवं पोशाकें साफ करके फ्रेम की गई हैं। इसके अलावा, 22 वस्तुओं (पुस्तकों) पर फफूंद और कीड़ों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। इसके अलावा, सीएसआर परियोजना के तहत संग्रहालय के भंडारण के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है, साथ ही सभी 30000 वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी, 8000 वस्तुओं की 3डी स्कैनिंग का कार्य भी पूरा हो गया है। सभी उन्नत सुविधाओं के साथ एक नई उन्नत वेबसाइट विकसित की गई है। संग्रहालय की वर्चुअल रियलिटी का कार्य भी पूरा हो गया है।

कार्यशालाएँ एवं विशिष्ट प्रदर्शनियाँ:

1. अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान शिल्प संग्रहालय ने 10 कार्यशालाएँ और 12 प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं।
2. स्कूली बच्चों के लिए "अपनी बुनाई जानो" अभियान के साथ 1 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक 15 दिनों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 मनाया गया। केन्द्रीय विद्यालय और अन्य स्कूली छात्रों के 10,000 से अधिक छात्र हथकरघा बुनाई और अन्य शिल्प परंपराओं का अनुभव करने के लिए संग्रहालय आते हैं।
3. अक्टूबर महीने के दौरान अपनी बुनाई जानो अभियान के साथ-साथ खादी महोत्सव मनाया गया। सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं और साथ ही चरखा और खादी बुनाई प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया है।
4. राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय की कलाकृतियों को क्रमशः लाल किला, नई दिल्ली और आईटीपीओ में आयोजित भारत कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक 2023 और आत्मनिर्भर भारत मेले में प्रदर्शित किया गया।

अगस्त 2023 में मनाए जाने वाले हथकरघा सप्ताह के दौरान शिल्प संग्रहालय में स्कूली बच्चों के लिए "बुनाई लहर को जानो" अभियान

2. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)

भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे आईआईसीटी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। आईआईसीटी वर्ष 2001 में बी.टेक. (कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी) कार्यक्रम शुरू करके वास्तव में कार्यात्मक बन गया, जो अपनी तरह का एक अनूठा डिग्री कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक बैच में 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

आईआईसीटी की गुणवत्ता नीति:

- स्टेकहोल्डरों की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना।
- मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु निरंतर आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना।
- उद्योग और अन्य सभी स्टेकहोल्डरों को सभी विभागों में समय पर और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना।

विभिन्न क्षेत्रों में संस्थान का निष्पादन:

1) मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

(i) कालीन एवं वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक. कार्यक्रम।

- कुल 172 छात्र बी.टेक. कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।
- अब तक 788 छात्र इस ट्रेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें आईआईटी, आईएसएम, आईआईएम, एनआईएफटी आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन शामिल है।

(ii) परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

- व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) - इस योजना के तहत 3500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- आईएसडीएस के माध्यम से 1138 को प्रशिक्षित किया गया है।
- समय-समय पर उद्योग आधारित आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

(iii) अल्पावधि पाठ्यक्रम: समय-समय पर उद्योग आधारित आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

2) डिजाइन निर्माण और विकास (डीसीडी):

15000 से अधिक डिजाइन मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 4622 डिजाइनों का उपयोग उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया गया है। 114 डिजाइन बनाए गए हैं (जनवरी 2024 तक)। डिजाइन बैंक की विविधता में पारंपरिक भारतीय रूपांकन (जैसे: हड़प्पा, अजंता, मुगल, रंगोली, जयपुरी, फुलकारी, कांथा, पैठणी, कलमकारी, बनारसी, जामेवार आदि), आधुनिक रूपांकन आदि शामिल हैं।

3) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी):

उत्पाद विकास गतिविधियां संस्थागत स्तर पर और सहयोग से पूरी हो गई हैं जिनमें कॉयर आधारित कालीन, रेशम कालीन, एरी रेशम कालीन, मोडैक्रेलिक आधारित कालीन, हस्तनिर्मित एस्ट्रोटर्फ प्रकार कालीन, प्राकृतिक फाइबर आधारित कालीन, प्राकृतिक रंगाई, जैविक उत्पाद, पॉलिएस्टर शैगी का विकल्प, बुजबुन उपयोग, वर्टिकल ब्लाइंड, कॉयर पेपर और कॉयर सिल्क, पीपीई कवरॉल (बॉडी सूट और शू कवर), कालीन उद्योग के रेशेदार अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, कालीन उद्योग से अपशिष्ट, अपशिष्ट कालीन से हीटिंग पैड का निर्माण और मूल्यांकन, हाथ से बने कालीनों में जूट सामग्री का उपयोग, एर्गोनोमिक और लचीले टफ्टिंग फ्रेम की अवधारणा, क्रॉस बार हॉरीजेंटल लूम सीबीएचएल (लकड़ी या धातु के) हाथ से बुने हुए और तिब्बती, शैगी, सौमक आदि शामिल हैं।

4) उद्योग को तकनीकी सहायता (टीएसआई)

- ।संस्थान अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे सीएडी लैब, डिज़ाइन स्टूडियो, भौतिक एवं रासायनिक लैब और कालीन लैब के माध्यम से उद्योग को निरंतर तकनीकी सेवाएँ प्रदान कर रहा है, ताकि वैश्विक बाज़ार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कालीन निर्यातकों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
- कालीन उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खरीदारों की गुणवत्तापरक आवश्यकताओं की पुष्टि करने के लिए उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं का उपयोग किया है। वर्ष के दौरान ऊन, कालीन और वस्त्रों के विभिन्न पहलुओं के लिए रासायनिक, भौतिकी और कालीन प्रयोगशाला में 467 नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- उद्योग अपने व्यावसायिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए परामर्श के लिए आईआईसीटी को नियुक्त कर सकते हैं।
- आईआईसीटी प्रयोगशालाएँ एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए परीक्षण रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हैं।
- "कालीन बंधु" - उद्योग के लिए मंच-आईआईसीटी इंटरफ़ेस पूरे वर्ष इंटरैक्टिव कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रहा।

प्रमुख उपलब्धियां:

- एनबीए मान्यता: टियर II में यूजी कालीन और वस्त्र प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की मान्यता को वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक अर्थात् 30.06.2025 तक के लिए एनबीए द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- कालीन एक्सपो, भदोही कालीन एक्सपो मार्ट भागीदारी 08-11 अक्टूबर, 2023 में संस्थान की टीम ने भाग लिया और सहज ज्ञान युक्त गतिविधियों का प्रदर्शन किया। छात्रों, शिक्षकों और प्रयोगशाला कर्मचारियों को उद्योग के नवीनतम रुझानों, डिजाइनों और संबंधित पहलुओं से खुद को परिचित करने के लिए एक्सपो का दौरा करने की अनुमति दी गई थी।
- संस्थान अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है और सभी चार पोर्टफोलियो अर्थात (1) मानव संसाधन विकास), (2) डिजाइन निर्माण और विकास (3) अनुसंधान और विकास, (4) उद्योग को तकनीकी सहायता में गतिविधियों को पूरा कर रहा है।
- आईआईसीटी के विभिन्न संकायों और सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि में भाग लिया और शोध पत्र प्रस्तुत किए तथा विभिन्न मंचों पर आईआईसीटी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया।
- उद्योग प्रायोजित व्याख्यान जिसमें कालीन उद्योग के समकालीन विकास और हाल की चुनौतियों पर व्याख्यान देने के लिए उद्योग के प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है।

3. धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एमएचएससी)

धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र, मुरादाबाद, भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी और उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से मार्च 1983 में स्थापित एक संस्था है। प्रारंभिक चरणों में संस्थान के मामलों की देखभाल उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यू.पी. स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) के माध्यम से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा की जाती थी। लेकिन

अगस्त 1991 के बाद एम.एच.एस.सी. भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (एच) कार्यालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।

यह संस्थान धातु कला वस्तुओं के परीक्षण, धातु परिष्करण और संबद्ध प्रक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और मुरादाबाद और उसके आसपास के निर्यातकों को कौशल और तकनीक/सेवा का आवश्यक उन्नयन प्रदान करता है। धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र ने सभी उन्नत प्रौद्योगिकी और परीक्षण सुविधाओं जैसे लैकरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग (सोना, चांदी, निकल, तांबा, पीतल, क्रोम आदि), एंटीक फिनिश, पाउडर कोटिंग और रेत/शॉट ब्लास्टिंग आदि और सीसा और कैडमियम लीचिंग, सतह कोटिंग में सीसा, एफडीए टेस्ट और कैलिफोर्निया प्रोप जैसी परीक्षण सुविधाओं के साथ स्थापित किया है।

सरकार द्वारा निर्धारित संस्थान के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- कलात्मक धातु के सामान के उत्पादन में गुणवत्तापरक सुधार लाना तथा उनकी निर्यात योग्यता को बढ़ाना।
- विनिर्माण तकनीकों आदि में सुधार के लिए विनिर्माण इकाइयों को पेशेवर और तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- उद्योग में लगे शिल्पकारों और तकनीशियनों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
- आधुनिक संयंत्र और मशीनरी के साथ परिष्कृत अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के साथ एक साझा सुविधा स्थापित करना।
- गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

निर्यातकों, निर्माताओं और कारीगरों को लाभ:

सभी संबंधित परीक्षण सुविधाएँ उनके घर के पास उपलब्ध हैं और यह लागत प्रभावी है। ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण सबसे कम समय में किया जाता है। निर्यातक नमूने दिल्ली या अन्य जगहों पर न ले जाकर समय और पैसे की बचत करते हैं। माल की तीसरे पक्ष द्वारा जाँच की सुविधाएँ उनके घर के पास उपलब्ध हैं। आरटीसी प्रयोगशाला द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्र को विभिन्न देशों के कई विदेशी खरीदारों, खरीद केंद्रों, निर्यात केंद्रों और व्यापार कर जैसे सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

- एमएचएससी हर वर्ष जीएसटी, एसईजेड, आयकर, रेलवे, बीएचईएल, जल निगम, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन - उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, फोरेंसिक विभागों और दिल्ली और गुरुग्राम के आभूषण निर्यातकों जैसे सरकारी विभागों के लाभार्थियों के अलावा मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र के हस्तशिल्प व्यापार निर्यातकों, निर्माताओं और कारीगरों को व्यापक रूप से धातु परिष्करण, परीक्षण, निरीक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करता रहा है।
- संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लगभग 2600 कारीगर, 2550 निर्यातक और 1800 निर्माता लाभान्वित हुए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र के आय और व्यय का ब्यौरा:

वर्ष	आय (रुपए में)	व्यय (रुपए में)
2020-21	1,73,12,764.00	1,80,38,940.00
2021-22	2,34,17,989.00	2,13,90,653.00
2022-23	2,42,70,056.00	2,24,29,249.00

मुख्य उपलब्धियां:

- एमएचएससी के धातु परिष्करण सेक्शन (एमएफएस) ने 1 अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 92,94,116.00 रुपए का राजस्व प्राप्त किया।
- एमएचएससी की आरटीसी प्रयोगशाला ने 1 अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 42,241,82 रुपए का राजस्व प्राप्त किया।
- धातु परिष्करण सेक्शन (एमएफएस), आरटीसी प्रयोगशाला और "भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान" के माध्यम से कौशल विकास गतिविधियों से अर्जित कुल राजस्व 1 अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 1,35,18,298.00 रुपए है, जो 1 अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक पिछले वर्ष के 2,08,57,764.00 रुपए के आंकड़े से कम है। राजस्व में कमी का कारण अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के मुद्दे के कारण मांग में कमी और समय पर कच्चे माल की अनुपलब्धता है।
- संस्थान की टीम ने आईएचजीएफ दिल्ली मेला 2023, ग्रेटर नोएडा में 15 से 19 मार्च, 2023 तक भाग

लिया और हस्तशिल्प व्यापार के लिए उपलब्ध संस्थागत सेवाओं को प्रदर्शित किया।

- भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास केंद्र "भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान" (जी+4) के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
- एमएचएससी ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद [ओडीओपी] कार्यक्रम के तहत समर्पित प्रशिक्षण विभाग अर्थात भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान [आईआईएचटी] के माध्यम से धातु शिल्प में 400 कारीगरों को प्रशिक्षित किया है।

डॉ. एस.टी.हसन, माननीय संसद सदस्य, मुरादाबाद का दौरा
और सभी सेवाओं का निरीक्षण

श्री संजय कुमार चौहान, आईएएस (नगर आयुक्त) ने
एमएचएससी में सेवाओं का निरीक्षण किया

अध्याय-X

वस्त्र क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलें

10.1 वस्त्र मंत्रालय में डिजिटल तैयारी

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहलों को सक्रियता से बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं पारदर्शी हो, नागरिकों को आसानी से प्राप्त हो सकें। मंत्रालय का आईटी प्रभाग, नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने और एप्लीकेशन
सिस्टम को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पर उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अधिकांश एप्लीकेशन नेशनल क्लाउड सर्विसेज (मेघराज) पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों की अधिकांश योजनाएं और सेवाएं कभी भी कहीं भी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।

सरकार के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अपनी ई-गवर्नेंस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु कई पहलें की हैं। ई-ऑफिस स्यूट, ई-खरीद आदि जैसे जी2जी/जी2बी/जी2ई एप्लीकेशनों को क्रियांवित किया गया है। मंत्रालय और इसके संगठन, नियमित आधार पर विभिन्न राज्यों और विभागों के साथ व्यापक रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी डेस्कटॉप वीडियो कॉफ्रेंस सुविधा दी गई है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय,संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों के लिए विभिन्न एप्लीकेशनों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10.2 वेबसाइट का प्रबंधन

वस्त्र मंत्रालय की कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) आधारित वेबसाइट का नियमित आधार पर रखरखाव किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों/विभागों द्वारा वेबसाइट के लिए समय पर वेब अपडेट सुनिश्चित करने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) स्थापित है। अपडेट के लिए नियमित आधार पर सामग्री की समीक्षा भी की जा रही है। वेबसाइट भारत सरकार के वेबसाइट संबंधी दिशा-निर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुरूप है।

10.3 आईसीटी अवसंरचना का उन्नयन

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और लैन/वैन/पीसी के बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए एनआईसी नेटवर्क प्रभाग द्वारा आवश्यक उन्नयन किया जाता है। साइबर सुरक्षा संबंधी स्थिति का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाने,फायरवाल नियमों आदि को अद्यतन करने जैसे आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

10.4 ई-गवर्नेंस

इन-हाउस वर्क-फ्लो को मजबूत करने के लिए नई विशेषताओं के साथ वेब आधारित ई-ऑफिस स्यूट को उन्नत किया गया है। रिकार्डों और फाइलों का पहले ही डिजीटलीकरण कर दिया गया है। मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में ई-ऑफिस पहले ही क्रियान्वित किया गया है, मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए ई-ऑफिस पर नियमित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों (वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई और पटसन आयुक्त, कोलकाता) में भी लागू किया गया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), बेंगलुरु, वस्त्र समिति मुंबई और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) के कार्यालय में इसके कार्यान्वयन के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। अधिकारियों को घर से और दौरे के दौरान काम करने में सक्षम बनाने के लिए वेब वीपीएन बनाए गए हैं। फाइल बनाने, उसके मूवमेंट आदि में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र/ई-हस्ताक्षर को क्रियान्वित किया गया है और संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। .

10.5 नई पहलें

**1. वस्त्र मंत्रालय के लिए पीएल
आई पोर्टल**

डेटा के विज़ुअलाइज़ेशन के लिए एपीआई के माध्यम से

प्रयास पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है। तिमाही समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों/भागीदार कंपनियों के लिए क्यूआरआर मॉड्यूल काम कर रहा है। यूआरएल https://plitextiles.ifciltd.com/ है।

2. वस्त्र मंत्रालय का डैश बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय का डैशबोर्ड बनाया गया है और इसे एनआईसी का दर्पण फ्रेमवर्क का प्रयोग करके विकसित किया गया है। संबंधित उपयोगकर्ताओं को पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है और अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए परियोजना प्रशासन बनाए गए हैं। डैशबोर्ड सार्वजनिक डोमेन में है।

3. माई हैंडीक्राफ्ट पोर्टल

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की सभी योजनाओं का एंड टू एंड डिजिटलीकरण करने के लिए एक व्यापक पोर्टल-माई हैंडीक्राफ्ट पोर्टल का विकास।

4. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम)

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के पोर्टल के विकास कार्य चल रहा है।

अध्याय-XI

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चित करना है। सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेज और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजात को द्विभाषी रूप से अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया। मंत्रालय में, राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

निगरानी और निरीक्षण

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर निरीक्षण के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों के तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती और समय-समय पर इन कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित कार्यालयों को अपेक्षित सुझाव/निदेश दिए जाते हैं। संबंधित कार्यालयों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

अनुवाद कार्य

वस्त्र मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मंत्रिमंडल नोटों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी दस्तावेजों, आउटपुट-आउटकम, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, श्रम संबंधी स्थायी समिति व अन्य संसदीय समितियों से संबंधित कागजातों, वस्त्र मंत्री एवं वस्त्र राज्य मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों तथा प्रेस विज्ञप्तियों आदि का अनुवाद मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा नियमित रूप से समयबद्ध आधार पर किया जाता है।

हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, इस वर्ष भी मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर, 2023 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा 14 एवं 15 सितंबर, 2023 के दौरान पुणे में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। सरकारी कामकाज हिंदी में करने को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान **हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी निबंध, हिंदी वाद-विवाद, हिंदी कविता पाठ, हिंदी टंकण एवं हिन्दी श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताएं** आयोजित की गईं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंत्रालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा, इस वर्ष मंत्रालय में संविदा आधार पर कार्यरत एमटीएस के लिए हिन्दी श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वस्त्र मंत्रालय और इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ सभी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकतम कार्य हिंदी में करने को प्रेरित करने के लिए हिंदी दिवस के अवसर पर, माननीय गृह मंत्री, वस्त्र मंत्री, वस्त्र राज्य मंत्री और सचिव (वस्त्र) की अपीले परिचालित की गईं।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल घोषित किए गए सभी प्रतिभागियों को दिनांक 01 दिसंबर, 2023 को मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार एवं प्रभारी राजभाषा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही **"सरकारी कामकाज (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) मूल**

रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना" में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आर्थिक सलाहकार एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। समिति की बैठक में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित लिए गए निर्णयों के अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई समयबद्ध आधार पर गई है।

हिंदी सलाहकार समिति

मंत्रालय की पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति की पहली बैठक माननीय वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में दिनांक 03 अक्तूबर, 2023 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गयी। बैठक में समिति के सरकारी तथा गैर सरकारी सभी सदस्यों ने भाग लिया। समिति के सदस्यों ने बैठक आयोजित करने के लिए माननीय वस्त्र मंत्री को धन्यवाद देते हुए, मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया।

माननीय वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान समिति के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए।

माननीय वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल और वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यगण

हिंदी कार्यशाला

मंत्रालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। इन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ/अतिथि वक्ता को आमंत्रित किया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने और हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने के लिए मंत्रालय में आयोजित प्रत्येक कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यशाला के विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे गए। इस प्रश्नोत्तरी में सफल होने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है।

विशेष बैठक/कार्यशाला

वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में राजभाषा संबंधी विशेष बैठक/ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा प्रमुखों/प्रभारियों तथा राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों ने भाग लिया। बैठक/कार्यशाला के दौरान मंत्रालय द्वारा संघ की राजभाषा नीति तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के तरीकों आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को साझा किया और परस्पर चर्चा के माध्यम से उनका निवारण किया गया।

अध्याय-XII

एससी/एसटी, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपाय

12.1 रेशम क्षेत्र:

वर्ष 2023-24 के दौरान सिल्क समग्र योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) का क्रियान्वयन

12.1.1. अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी):

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान रेशम उत्पादन के तहत अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के क्रियान्वयन के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। एससीएसपी के तहत आवंटित समग्र निधि का कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, पंजाब राज्यों को शामिल करते हुए लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए पूर्णत: उनका उपयोग किया गया/ जारी किया गया।

12.1.2 जनजातीय उप-योजना (टीएसपी):

वर्ष 2023-24 के दौरान, आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) पूर्वात्तर जनजातिय (एनईटी) को क्रमश 15.00 करोड़ रुपए और 20.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। टीएसपी के तहत आवंटित समग्र निधि का कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, तथा नागालैंड राज्यों द्वारा पूर्णत: उपयोग किया गया/जारी किया गया और एनईटी के तहत समग्र निधि का भी सिल्क समग्र-2 योजना के तहत लाभार्थी उन्मुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों द्वारा पूर्णत: उपयोग किया गया/ जारी किया गया।

12.1.3 लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

(क) रेशम

लैंगिक न्याय एवं लैंगिक बजट

रेशम उत्पादन अपने कम निवेश, अधिक सुनिश्चित आय, अल्प परिपक्वता अवधि और आय को बढ़ाने के अधिक अवसरों तथा वर्ष भर परिवार के सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के कारण सीमांत तथा छोटे स्तर के भू-स्वामियों, दोनों के लिए उपयुक्त है। रेशम उत्पादन क्षेत्र महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए भी संभावनाएं भी उपलब्ध कराता है। यह अनुमान है कि रेशम उत्पादन में संलग्न लोगों में से 55% से अधिक महिलाएं हैं। महिलाएं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं जिससे वे परिवार तथा समाज में अधिक पहचान तथा सम्मान प्राप्त होने में समर्थ बनती हैं।

औसतन 30% महिला लाभार्थी केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'सिल्क समग्र-2' (एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना) के अंतर्गत शामिल हैं। सीएसबी का आरएंडडी संस्थान रेशम उत्पादन में महिलाओं की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रेशम उत्पादन श्रृंखला से संबंधित सभी क्रियाकलापों में थकान को कम करने पर बल देता है।

वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान सिल्क समग्र-2 योजना (रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना) के अंतर्गत सीएसबी में एससी/एसटी तथा महिला कर्मचारियों से संबंधित जनशक्ति व्यय का विवरण तथा आबंटन क्रमश: अनुबंध-I तथा II में दिया गया है।

अनुबंध-I

अनु.जाति एवं अनु. जनजाति विकास योजना							[करोड़ रुपए में]
क्र. सं.	योजना का विवरण	बी.ई. 2023-24 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		आर.ई. 2023-24 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		बी.ई. 2024-25 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचित)	
		कुल आबंटन	एससी/ एसटी का शेयर	कुल आबंटन	एससी/ एसटी का शेयर	कुल आबंटन	एससी/ एसटी का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ सहित	563.00	143.00	509.46	125.78	540.00	142.17
2	रेशम उत्पादन का विकास	354.77	60.00	365.54	60.00	360.00	60.00
	कुल	917.77	203.00	875.00	185.78	900.00	202.17
	प्रतिशत (%)	22.12		21.23		21.44	

अनुबंध-II

महिलाओं के विकास के लिए योजना							(करोड़ रुपए में)
क्र. सं	योजना का विवरण	बी.ई. 2022-23 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		आर.ई. 2023-24 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित)		बी.ई. 2024-25 (वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचित)	
		कुल आबंटन	महिलाओं का शेयर	कुल आबंटन	महिलाओं का शेयर	कुल आबंटन	महिलाओं का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक लागत (सीएसबी के कर्मचारियों का वेतन/ मजदूरी) पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभों सहित	563.00	11W2.60 (20%)	509.46	101.89 (20%)	540.00	112.08 (20%)
2	रेशम उत्पादन का विकास	354.77	106.43 (30%)	365.54	109.66 (30%)	360.00	115.55 30%
	कुल	917.77	219.03	875.00	211.55	900.00	227.63

दिव्यांगजन के लिए कल्याणकारी उपाय

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 33 के तहत दिव्यांगजन के लिए आरक्षित 3% रिक्तियों के सापेक्ष समूह 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में विभिन्न पदों पर उनकी संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं..	कार्यालय/संगठन	समूह ए		समूह बी		समूह सी		समूह डी	
		एसएस	पीडब्ल्यूडी की सं.	एसएस	पीडब्ल्यूडी की सं.	एसएस	एसएस	पीडब्ल्यूडी की सं.	पीडब्ल्यूडी की सं.
1	वस्त्र मंत्रालय	49	0	94	2	52	0	0	0
2	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय	40	00	398	00	1383	06	00	00
3	केंद्रीय रेशम बोर्ड	576	10	1010	10	523	13	--	--
4	विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय (मुख्यालय) और डब्ल्यूएससी/ आईआईएचटी	94	0	279	3	696	12	--	--
5	वस्त्र समिति	80	01	156	02	280	01	--	--
6	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड	164	00	77	02	196	05	00	02
7	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	69	00	45	02	481	02	156	03
8	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	80	03	84	00	883	11	139	03

एसएस: स्वीकृत संख्या

पीडब्ल्यूडी: दिव्यांगजन

अध्याय-XIII

सतर्कता क्रियाकलाप

1. मंत्रालय की सतर्कता इकाई के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो मंत्रालय के संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर के अंशकालिक सीवीओ हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी से की जाती है। सीवीओ मंत्रालय के सतर्कता ढ़ांचे में नोडल बिन्दु हैं और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः

- कदाचार/लालच संबंधी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और आवश्यकता अनुसार उन पर उपयुक्त जांच/अन्वेषण शुरू करना;
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित टिप्पणियों सहित वास्तविक रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पहले और दूसरे स्तर की सलाह प्राप्त करना और जहां कहीं आवश्यक हो,अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- आरोपी अधिकारी पर लगाए जाने वाले दंड की मात्रा पर संघ लोक सेवा आयोग की सांविधिक सलाह प्राप्त करना।
- वस्त्र मंत्रालय में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित सतर्कता स्वीकृति जारी करना और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के मामले में सीवीसी से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना।
- सहमत सूची और संदिग्ध निष्ठा और अनिच्छुक संपर्क व्यक्तियों (यूसीएम) की सूची तैयार करना।

2. अब तक, वस्त्र मंत्रालय के नियत्रंणाधीन कार्यशील निम्नलिखित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के 4 पद स्वीकृत हैं:

i. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (एनटीसी लि.)
ii. भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआई लि.)
iii. भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई लि.)
iv. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)
v. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (सीसीआईसी और एनएचडीसी)।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यशील संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी/सतर्कता अधिकारी हैं।

3. मुख्य रूप से कदाचार तथा लालच से संबंधित संवेदनशील अथवा संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देते हुए निवारक सतर्कता पर निरंतर प्राथमिकता से ध्यान दिया जा रहा है। की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मंत्रालय में संवेदनशील प्रकृति के क्षेत्रों की पहचान की जाती है और उन पर नजर रखी जाती है।
ii. सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाया गया है और कदाचार से बचने के लिए उचित संस्थागत प्रणालियां लागू की गई हैं।
iii. वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को समय-समय पर सीवीसी, लोक उद्यम विभाग और डीओपीएंडटी के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने आचरण, अनुशासनिक और अपील नियमावली को संशोधित और अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति का अनुपालन करने के लिए निदेश दिया गया है।

4. चालू वित्त वर्ष वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी पोर्टल तथा व्यक्तियों से 125 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों पर समुचित कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

5. 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 मनाया गया, जो 30.10.23 को शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू हुआ।

6. अधिकारी और कर्मचारी वर्ग, दोनों के लिए दिनांक 01.11.2023 को निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता का विषय था "सुशासन के साधन के रूप में निवारक सतर्कता"

और वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय था "भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए ई-गवर्नेंस और आईटी का उपयोग"। 02.11.2023 को निवारक सतर्कता/सतर्कता जागरूकता पर एक परस्पर संवादात्मक सुग्राहीकरण सत्र भी आयोजित किया गया।

7. समापन समारोह दिनांक 03.11.2023 को आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता वस्त्र मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की गई। निबंध प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। विभिन्न श्रेणियों में 22 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पेशेवर तरीके से संपन्न हुए।

अनुलग्नक

सीएंडएजी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 2, एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना

पैरा 3.1: योजना के तहत स्वीकृत पार्कों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में भारी कमी थी। योजना की शुरुआत से 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी, 56 पूर्ण/चल रहे पार्कों की वास्तविक उपलब्धि रोजगार सृजन के मामले में 30 प्रतिशत, निवेश के मामले में 50 प्रतिशत और वस्त्र इकाइयों की स्थापना के मामले में 37 प्रतिशत थी, जबकि पार्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

पैरा 3.2 और 3.3: पार्कों के पूरा होने में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष से अधिक की देरी हुई। पार्कों के पूरा होने में देरी के प्रमुख कारण सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी, पार्कों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित मुद्दे और विशेष प्रयोजन तंत्रों की कमजोर वित्तीय स्थिति थी। इसके अलावा, कुल स्वीकृत पार्कों में से 43 प्रतिशत को रद्द कर दिया गया। बड़ी संख्या में पार्कों को रद्द करने और पार्कों के पूरा होने में अत्यधिक देरी ने इस योजना के उद्देश्य को इस हद तक विफल कर दिया।

पैरा 3.4: बहुत कम संख्या में पार्क पूरी तरह से एकीकृत टेक्सटाइल पार्क थे, जिनमें मूल्य श्रृंखला और औद्योगिक क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लाभ थे, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती। बड़ी संख्या में पार्कों का प्रस्ताव, मूल्य श्रृंखला के केवल एक या दो खंडों के साथ किया गया था।

पैरा 3.5: योजना दिशानिर्देशों में यथा परिकल्पित मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों के सफलतापूर्वक पूरा होने को सुनिश्चित किए बिना, मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में और अधिक पार्कों को मंजूरी देने के साथ आगे की कार्रवाई गई।

पैरा 3.7: मंत्रालय ने अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र भौतिक सत्यापन के माध्यम से सिफारिश की सत्यता सुनिश्चित किए बिना, अकेले परियोजना प्रबंधन सलाहकार की सिफारिश के आधार पर पार्कों को 'पूर्ण' माना। लेखापरीक्षा में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की ओर से गलत सूचना के उदाहरण पाए गए।

पैरा 3.8: भारत सरकार के अनुदान का 90 प्रतिशत जारी करने के बाद, मंत्रालय ने कम संख्या में फैक्ट्री इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना के बदले हुए कांफिगरेशन को मंजूरी दी। हालांकि, फैक्ट्री इकाइयों की कम संख्या के संदर्भ में पार्क को पूर्ण मानने के लिए 25 प्रतिशत परिचालन इकाइयों का मानदंड पूरा हो गया था, लेकिन पार्क के पूरा होने को सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका।

पैरा 3.9: सूरत सुपर यार्न पार्क के संबंध में, मंत्रालय ने ₹42.30 करोड़ की लागत से चीन से 2x7.5 मेगावाट सेकेंड-हैंड कैप्टिव पावर प्लांट (टरबाइन और बॉयलर सहित कुछ सहायक उपकरण) खरीदने की अनुमति दी। वर्ष 2012 में कैप्टिव पावर प्लांट की केवल एक इकाई चालू की गई थी, लेकिन यह चालू होने के एक वर्ष के भीतर ही बंद हो गई और बाद में पार्क भी बंद हो गया।

पैरा 3.10: 20 निरस्त पार्कों को जारी किए गए ₹122.61 करोड़ के अनुदान में से, 10 निरस्त पार्कों से ₹117.72 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के अलावा ₹77.34 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई। शेष 10 निरस्त पार्कों में से, जहां अनुदान वसूल किया गया था, सात पार्कों के मामले में ₹34.75 करोड़ की दंडात्मक ब्याज की राशि वसूल नहीं की गई।

पैरा 3.11: मंत्रालय को भारत सरकार के अनुदान जारी होने के बाद कुछ परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा क्योंकि एसपीवी/परियोजना प्रबंधन सलाहकार सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहे, जो परियोजना शुरू करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता थी।

पैरा 4.1: नमूने में शामिल 10 पूर्ण हो चुके पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने नौ पार्कों में फील्ड दौरा किया और पाया कि तीन पार्क, जहां कुल 93.60 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था और मंत्रालय ने उन्हें सफलतापूर्वक पूरा हुआ माना था और अपने रिकॉर्ड में उन्हें क्रियाशील दिखाया था, बंद पाए गए।

पैरा 4.2 और 4.3: एक पार्क गैर-वस्त्र गतिविधियों जैसे इंजीनियरिंग कार्य, फर्नीचर कार्य, बीज प्रसंस्करण आदि के साथ चलता हुआ पाया गया। इसके अलावा, एक पार्क बैंक द्वारा जब्त पाया गया।

पैरा 4.4: मंत्रालय ने सामान्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं

के सृजन को सुनिश्चित किए बिना कुछ पार्कों को पूरा मान लिया, जिनकी योजना शुरू में उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में बनाई गई थी।

पैरा 4.5: नमूने में शामिल आठ चालू पार्कों में से, लेखापरीक्षा ने पांच पार्कों में फील्ड दौरान किया और पाया कि तीन पार्क, जहां कुल 79.61 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया था और मंत्रालय द्वारा उन्हें क्रियाशील माना गया था, सांविधिक मंजूरी न मिलने के कारण अटके हुए थे। मंत्रालय ने पार्कों के शुरू होने से पहले सांविधिक मंजूरी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की सिफारिशों के आधार पर अनुदान (कुल अनुदान का 60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत के बीच) जारी किया था।

पैरा 5.1 और 5.2: मंत्रालय ने सलाहकारों द्वारा दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के बावजूद परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की। ऐसे उदाहरण सामने आए जहां पीएमसी ने बैंकों से ऋण प्राप्त करने में विशेष प्रयोजन तंत्र की सहायता करने के बजाय परियोजना के ऋण घटक के लिए स्वयं एक स्वीकृति पत्र जारी कर दी। इसके परिणामस्वरूप 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत पार्कों के संबंध में पीएमसी द्वारा निभाई गई भूमिका में हितों का टकराव हुआ।

पैरा 5.3: परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा पार्कों की प्रगति की समीक्षा एक स्वतंत्र कार्य नहीं था, बल्कि यह परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/विशेष प्रयोजन तंत्र द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर आधारित था।

पैरा 5.4: मंत्रालय ने योजना में भागीदारी के लिए राज्य सरकारों को शामिल नहीं किया और पार्कों की मंजूरी से पहले मंत्रालय द्वारा उनकी सिफारिशें नहीं मांगी गईं। परियोजनाओं के उचित चरण में राज्य सरकारों की गैर-भागीदारी, परियोजना विफलता का एक प्रमुख कारण रही है क्योंकि भूमि संबंधी मुद्दों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सांविधिक मंजूरी के कारण विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं।

पैरा 5.5: पार्कों की प्रगति के समन्वय और निगरानी के लिए वस्त्र मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाना था, लेकिन मंत्रालय द्वारा इसका गठन नहीं किया गया।

पैरा 5.6: योजना के दिशा-निर्देशों में पार्कों की निगरानी वस्त्र आयुक्त/क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्तों की किसी भी भूमिका की परिकल्पना नहीं की गई थी।

सत्यमेव जयते

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली

www.ministryoftextiles.gov.in